छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026

(फाल्गुन 29, शक सम्वत् 1947)

[अंक 15]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज पहले नंबर में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न है तो वह बैठ ही नहीं रहे हैं । वह आकर सीधे खड़े हो गये हैं।

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी वैसे ही एक नंबर में हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वह पहले नंबर में प्रश्न को लेकर भारी एक्साइटेड हैं ।

सभापति महोदय :- डॉ. चरण दास महंत ।

प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योग

[आवास एवं पर्यावरण]

1. (*क्र. 2262) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली कुल कितनी औद्योगिक इकाईयां (लघु, मध्यम, बड़े उद्योग) प्रचलन में हैं? औद्योगिक इकाई का नाम, पता उसके अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के विवरण सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन करना, अपशिष्ट की रोकथाम करना पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण करने की क्या व्यवस्था किन-किन प्रक्रियाओं के माध्यम की जा रही है?सम्पूर्ण विवरण ईकाईवार देवें? (ग) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश के कितने हानिकारक प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले उद्योगों में आनलाईन एमिशन मानीटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है? इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली कुल 665 औद्योगिक इकाईया (लघु, मध्यम बड़े उद्योग) प्रचलन में है औद्योगिक इकाई का नाम, पता

उसके अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के विवरण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ग)वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026 में प्रदेश के कुल 19 उद्योगों में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है । एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गई है। उद्योगों को जारी जल, वायु सम्मति में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापना का शर्त निहित होता है। तदानुसार उद्योगों द्वारा स्वयं के व्यय से चिमनियो में ऑनलाइन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की जाती है ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से और चंद्राकर जी की कृपा से आज मेरा पहले नंबर पर प्रश्न है और प्रश्न पूरी तरीके से प्रदेश के स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रदूषण पर आधारित है । संभवत: मैं ज्यादा समय ले सकता हूं । मैं तो आशा नहीं करता था कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

सभापति महोदय :- अच्छा, हम यह सोच रहे थे कि आज 25 तक जाना है करके । आज सब लोग बैठे हुए हैं, सबका नंबर लग जाये करके ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, बड़ी हिम्मत से मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है । मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि प्रदेश में 665 औद्योगिक इकाईयां खतरनाक अपशिष्ट पैदा कर रही हैं लेकिन पिछले 2 वर्षों में केवल 19 उद्योगों में ही ऑनलाईन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है । इस रफ्तार से तो सभी उद्योगों को पूरा सिस्टम में लाने में लगभग 50 साल लग जायेंगे फिर 2047 का क्या होगा ?

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह जो नये स्थापित उद्योग हैं उनमें यह लगाया गया है और जो ऑनलाईन सिस्टम लगा है । आपने जो ट्रेडिशनल वर्ड यूज किया है वह ट्रेडिशनल जो पहले जमाने से लगते आ रहा है वही है और उसमें सभी उद्योगों में लगा हुआ है । जो 19 नये स्थापित हुए हैं, वह 19 की जानकारी वर्ष 2024-25, वर्ष 2025-26 के लिये है बाकी जो पुराने हैं उसमें पहले से लगा हुआ है ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, तो शायद वह संख्या भी आपको देनी चाहिए थी ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- जी ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं आपको याद कराना चाहता हूं, वैसे याद तो करते ही होंगे ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- जी ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, फ्राईडे, 23 फरवरी, 2024 को आपने बताया था कि 163 उद्योग ऐसे हैं जो कि एलर्ट की श्रेणी में आते हैं । हानिकारक प्रदूषण वाले उद्योगों की

संख्या 163 है और आज आप बता रहे हैं कि 665 है तो यह इतनी गति से कैसे बढ़ गया ? इस पर कोई जानकारी देना उचित समझेंगे ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिये ऐसा लग रहा है । जो ऑनलाईन कन्टिनुएशन एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम है । ओ.सी.ई.एम.एस. जो पहले से सिटम चला आ रहा है वह है उसके अंतर्गत 665 हैं लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती थी वह मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में मॉनिटरिंग के लिये यही सिस्टम चलता है लेकिन इसमें हम लोगों ने व्यावहारिक रूप से यह ऑब्जर्ब किया है कि जैसे चिमनी है, चिमनी में धुआं निकल रहा है तो जो धुआं निकल रहा है उसमें प्रॉस्पिरेटर रहता है जिसको चालू करने से वह पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है लेकिन यह व्यावहारिक समस्या, व्यावहारिक रूप से यह बदमाशी की शिकायत आती रहती है कि बिजली बचाने के लिये इस ई.एस.पी. को बंद कर दिया जाता है, यह आता रहता है लेकिन क्या होता है कि यह जो ऑनलाईन कंटीनुअस एमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो पूरे देश भर में चलता है, इसको थोड़ा सा लोग टिवस्ट करके मिसयूज कर लेते हैं और क्या होता है कई जगह, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग करते हैं । कई जगह ऐसी शिकायत मिली कि उसमें जो एमीशन हो रहा है, उसमें जो गैसेस हैं उसका डेटा पहले उनके सर्वर में जाता था, उस सर्वर से लिंक होता था डिपार्टमेंट का जो सर्वर है उससे तो उसी की जगह हमने अपने से ही, यह कोई कानून में नहीं लिखा है, न कहीं पर लिखा है लेकिन अपने से ही हमारी सरकार आने के बाद हमने इसका जो बेस्ट और टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन क्या हो सकता है, जिससे इस तरह का डेटा मैनुपुलेशन करके कोई उद्योग प्रॉस्पिरेटर को बिजली बचाने के लिये बंद करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न कर सके इसके लिये हमने सी.जी. निगरानी पोर्टल बनाया और इसमें आई.ओ.टी. जो टेक्नालॉजी है उसको यूज कर रहे हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने 163 उद्योगों की जो बात कही है वह इसके आई.ओ.टी. के दायरे में जो अत्यंत इस तरह के गैस एमीशन करते हैं, वह उसके दायरे में है। अभी उसकी संख्या एक और बढ़ गयी है। अब वह 163 से 164 हो गया है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन 164 में से 124 में आई.ओ.टी. वाला जो नया अपग्रेडेड सिस्टम है, वह 164 में से 124 में हमने अपने initiative से हमारी सरकार आने के बाद लगाया है। इसमें कोई डेटा manipulation नहीं कर पाएगा। अगर कोई प्रसपिरेटर कोई भी बंद करेगा, अभी भी हमने कई मॉनिटरिंग कर ली और उसके आधार पर कई कार्यवाहियां भी की हैं। अभी जो डेटा एमिशन करेगा, वह तुरंत हमारे सर्वर में डायरेक्ट आ रहा है। पहले जो ऑनलाईन सिस्टम लगाने की जिम्मेदारी होती थी वह पहले उन उद्योगों की स्वयं की होती थी, लेकिन अब हम इसको एक्स्ट्रा अपने अपग्रेडेड टेक्नॉलाजी के साथ पर्यावरण बोर्ड के खर्चे में पर्यावरण बोर्ड लगा रहा है तो इन 164 में से 124 में लग गया है, अब 40 बचे हुए हैं। मैं आपके आपके माध्यम से सदन को पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इन 164 का एक-दो महीने के अंदर

इसको पूरा कर लेंगे और हम इसका और भी परीक्षण करवायेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री को इसके दायरे में, पहले चरण में जो ज्यादा खतरनाक हैं उनको लिया था, जहां पर तुरंत डेटा manipulation रोकने की आवश्यकता थी। आगे हम इसका और विस्तार करने के संबंध में initiative लेंगे। जो 19 हैं, अभी जो नये लगे हैं उसका डेटा है बाकी सब में ऑनलाईन सिस्टम लगा हुआ है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आपने उसी भाषण के दूसरी, तीसरी लाईन में कहा था कि हम उसको विभागीय खर्च से instrument को डायरेक्ट उसकी चिमनी में लगा रहे हैं और वह डेटा उसके सर्वर के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट हमारे सर्वर में आएगा। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि जब सरकार ने शासकीय खर्चे से लगाने का निर्णय किया था तो आपने उसके लिए कोई राशि स्वीकृत की है या आपने कितनी राशि दी है क्या आपने किसी बजट में प्रावधान किया ? या आपने डायरेक्ट दे दिया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, इसमें पूरी टेण्डर प्रक्रिया के साथ उस मशीन का निर्धारण करते हैं। वह मशीन कोई 4-5 लाख रूपये के आसपास की होती है, मुझे एक्टेक्ट एमाउंट याद नहीं है, पर 4-5 लाख रूपये के आसपास की मशीन रहती है और सरकारी विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसको क्रय किया जाता है। उसमें हमको बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि हम इंडस्ट्रीज में पेनाल्टी अधिरोपित करते हैं, जो भी प्रदूषणकारी उद्योग हैं, हम उस पर पेनाल्टी करते हैं, फ्लाईएश पर पेनाल्टी करते हैं, इस तरह की जो हम पेनाल्टी इंपोज करते हैं, हम उस पेनाल्टी की राशि से उसको लगवा रहे हैं और वह पेनाल्टी की राशि पर्याप्त है, उसके लिए और अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई सरकारी बजट डायरेक्ट बजट के माध्यम से खर्च नहीं किया गया है। हम उसको पेनाल्टी के एमाउंट से ही लगाते हैं और उसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, वैसे अभी आपने कुछ कम संख्या भी बतायी है। वह 163 जो भी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करेन वाली कुल 665 औद्योगिक इकाईयों की सूची पुस्तकालय में रखी हैं उसमें से आपने कितनी औद्योगिक इकाईयां का पिछले 2 वर्षों में भौतिक सत्यापन किया या कराया और कितनी औद्योगिक इकाईयों पर मानकों का उल्लंघन करने का आरोप पाया गया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, यह जो मूल रूप से प्रश्न है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने हरजाडास मेटल के बारे में पूछा है जहां तक भौतिक निरीक्षण और परीक्षण की बात है तो जो इंवायरमेंट लॉस में रेग्युलर physical verification के नार्म्स लिखे हुए हैं और यह कितने-कितने दिनों में करना है, वह भी पूरा लिखा हुआ है। उसके अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वह जाकर रेग्युलर भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं और जो हरजाडास मेटल के मामले हैं, उसमें भी काफी व्यापक कार्यवाहियां की गयी हैं हरजाडास मेटल, जो भी उसमें ट्रांसपोटेशन होता है, यहां पर वह वर्षवार पूरी जानकारी है और

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को जो जानकारी उपलब्ध करायी है, वह 200 पेज से अधिक की जानकारी है तो उसमें भी पूरा डिटेल है तो उसमें लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष एक विषय जरूर लाना चाहूंगा कि प्रदेश में पिछले दो ढाई दशकों में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, पिछले 25 सालों में अनेक प्रकार के उद्योग लगें तो उसमें एक विषय होता था कि जैसे कई जगह जो पर्यावरण विभाग के आर.ओ. ऑफिस हैं, उनका सेटअप बहुत सीमित होता था तो वह बहुत कम जगहों पर बैठते थे जैसे जांजगीर जिला, सक्ती जिला, माननीय सदस्य का जो क्षेत्र है, उनमें आर.ओ. नहीं बैठते थे इन 25 सालों से वैसी व्यवस्था नहीं थी, जबकि इन 25 सालों में वहां बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं तो मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहूंगा कि हमने इन 25 सालों बाद सेटअप को फिर रिवाईस किया है और जहां-जहां ज्यादा जरूरत है, वहां नये पोस्ट भी क्रियेट किये हैं और हम उसकी भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 1 साल के भीतर उन सब जगहों में आर.ओ. भी बैठेंगे तो उससे और अच्छे से मॉनिटरिंग और कार्यवाहियां हो पाएंगी और physical verification हो पाएगा।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने परिशिष्ट में इतनी बड़ी जानकारी दी है । इसमें जितने भी 665 उद्योग हैं, उसके बारे में तो नहीं तो फिर भी एक-दो बार प्रश्न पूछना चाहता हूं-जैसे कोरबा के बालको है, वहां किस-किस प्रकार के अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं और उनके निपटान के लिए आपने क्या-क्या व्यवस्था की है ? सिर्फ बालको का ही प्रश्न है । इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि वहां कौन-कौन अधिकारी देखने गए थे, कब-कब गए थे ? इतना मैं आपसे जानकारी चाहता हूं ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, बालको के जो हेजार्डस्ट) Hazardous) वेस्ट हैं, वह निश्चित रूप से अत्यंत ध्यान देने वाले विषय हैं और वे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक भी होते हैं । इसके लिए प्रथम, सबसे ज्यादा जो बहुचर्चित हेजार्डस्ट मेटल है, वह एस.पी.एल. (स्पेन पॉट लाईनिंग) है । इसकी वर्षवार जो पूरी क्वांटिटी है, वह पूरी जानकारी मेरे पास रखी हुई है कि कितनी क्वांटिटी उत्सर्जित हुई, उसका किस-किस तरह से निराकरण हुआ, वह मैं पूरी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा । दूसरा, जो वहां पर हेजार्डस्ट मेटल निकलता है, वह यूज्ड एनाट बट है । चार प्रकार के हेजार्डस्ट मेटल निकलते हैं । यह अलग-अलग केमिकल नाम है । इसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा । थोड रिसीडीव है, वह भी है । बालको के संदर्भ में कुल चार प्रकार के हेजार्डस्ट है । इनके निपटान के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जो हेजार्डस्ट मेटल होते हैं, उसके निपटान के संदर्भ में भी जो एक बड़ा काम पिछले साल हुआ है, वह सी.टी.एच.डी.एफ. (कॉमन ट्रीटमेंट स्टोरेज एण्ड डिस्पोज़ल फैसलिटी) है । यह बहुत सारे राज्यों में नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी नहीं था । उद्योग विभाग के अंतर्गत आने

वाली सीएसआईडीसी संस्था ने इसको पीपीपी मॉडल पर 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया है और जो भी हेजार्डस्ट मेटल जो रिसाईकल करने योग्य होते हैं, उनको रिसाईकल किया जाता है । रिसाईकल जो यूज़ करने वाले होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह की इंडस्ट्री में 600 डिग्री से अधिक का तापमान रहता है, वहां पर कई मेटल ऐसे होते हैं, जो बिना कोई हेजार्डस्ट के डिस्पोज़ हो जाते हैं और जो अंत में बच जाता है, उसको लैण्ड फिल में डिपॉजिट करने के लिए, डंप करने के लिए यह साईड डेव्हपल किया गया है और यह 50 एकड़ का साईड डेव्हलप किया गया है और इसकी इतनी क्षमता है कि ये 60 हजार मेट्रिक टन प्रतिवर्ष तक को उसमें हर डिपॉजिट कर सकेंगे और छत्तीसगढ़ में अभी जितनी इंडस्ट्री हैं और जितने हजार्डस्ट मेटल क्रिएट हो रहे हैं और जो रिसाईकल नहीं हो पाते हैं, उनको 30 सालों तक डिपॉजिट कर सकेगा । हमारी सरकार आने के बाद इतनी बड़ी व्यवस्था 23 मई, 2025 को प्रारंभ हुई । इससे निश्चित रूप से हेजार्डस्ट मेटल के डिस्पोजल को एक नया आयाम मिलेगा और दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि हमने अपने विभाग से एक और इनेसेटिव लिया है । ये डिस्पोजल के लिए जो सेन्टर बनाया है, उसमें दूसरे राज्यों का डिस्पोजल होगा, उसमें हम यहां पर नहीं लेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का ही डिस्पोजल लेंगे और उसको डिस्पोज करेंगे, यह भी हमने व्यवहारिक तौर पर एक प्रक्रिया अपनाई है ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने यहां पर 4 हजार्डस्ट मेटल का जिक्र किया है और ये चारों के चारों मेटल स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं । इसके अलावा भी जैसे एन.टी.पी.सी. है, एस.ई.सी.एल. है, बालको है, यहां से रोज यदि आपके पास आंकड़े हो तो बताईए कि यहां पर कितने राखड़ उत्पन्न होते हैं, उसका कैसे यहां से वहां डिस्पोज करते हैं और आजकल रायपुर के कौन-कौन से ठेकेदार उसको डिस्पोज़ करने के लिए लगे हुए हैं ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- सभापति महोदय, यह प्रश्न हजार्डस्ट मेटल पर था, राखड़ उस हेजार्डस्ट की केटेगिरी में नहीं आता । लगभग रोज ही फ्लाईएश पर प्रश्न आते रहते हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय सभापति महोदय, हेजार्डस्ट मेटल के बारे में ही बता दीजिए । राखड़ का प्रश्न वापस लेता हूं क्योंकि वह मामला गड़बड़ है ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- सभापति महोदय, उसमें भी एस.ओ.पी. बनाकर बहुत सारी कार्रवाईयां की गई हैं । अभी हेजार्डस्ट मेटल में क्या जानकारी चाह रहे हैं?

डॉ. चरण दास महंत :- आपने एस.पी.एल. कहा । यूज्ड एनाईड की बात हुई। आपने इस तरह से 2 और मेटल्स के बारे में बताया है। क्योंकि आपके परिशिष्ट में यह ज्यादा नहीं बताया था। इसलिए मैं ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया था, अभी अध्ययन करूंगा। इसमें जितना अध्ययन करेंगे, उसमें उतना जाते जायेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, एक्चुअली मैं पूरे डिटेल में जानकारी दे देता हूं। स्पेनपाट लायनिंग, उसके लिए एस.ओ.पी. है, उसके तहत कितने लोगों को अनुमति मिला है और किस तरह से

निष्पादन हुआ है, यूज्डएनाट बट्स कितना उत्पादित हुआ है और उसका कितना निष्पादन हुआ है। एल्युमीनियम ड्रास 11.5 यह जो तीसरा है, उसका कितना उत्पादन हुआ है। रिफैक्ट्री मटेरियल उसका कितना उत्पादन हुआ है और उसका किस-किस तरह से निष्पादन किया गया है।

सभापति महोदय :- मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय नेता जी का प्रश्न और आपका जवाब के बाद एक बार नेता प्रतिपक्ष जी के साथ बैठ जायेंगे। आपस में बैठकर वह जो-जो जानकारी चाहते हैं, वह उपलब्ध करा देंगे और बता देंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी।

सभापति महोदय :- क्योंकि यह प्रश्न बहुत लंबा चल रहा है। 15 मिनट से ऊपर हो गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, प्रश्न तो बहुत लंबा है। मैं उसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी की ओर से जवाब भी आ रहा है। मंत्री जी जो जवाब बता रहे हैं कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है तो आप क्या समझेंगे और हम क्या समझेंगे ?

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, कोशिश कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- यदि साथ में बैठ जायेंगे तो ज्यादा समझ में आ जायेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी बैठते नहीं हैं, वही तो समस्या है।

सभापति महोदय :- नहीं वह बैठ जायेंगे। मैं बोल रहा हूं, वह आपके साथ बैठ जायेंगे। क्यों मंत्री जी, आप बैठ जायेंगे न ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- 100 प्रतिशत। अगर अभी भी क्वांटिटी के बारे में जानना चाहेंगे तो मेरे पास टेबल है। पढ़ने के लिए बहुत सारे फिगर हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप मुझे अलग से उपलब्ध करा दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी। निश्चित रूप से उपलब्ध करा दूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं कि आपका घर और मेरा घर लगा हुआ है। सभापति महोदय, खतरनाक कचरा सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इससे पूरा जीवन, चाहे आदमी का हो चाहे पशुओं का हो, कुछ न कुछ होते रहता है। किसी को बीमारी, किसी को हार्ट अटैक होते रहता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र रायगढ़, मेरा क्षेत्र कोरबा और आप सब का क्षेत्र रायपुर है। क्या इन तीनों जगहों में स्वास्थ्य के एसेसमेंट के लिए, तीनों जगहों में हेल्थ इम्पेक्ट एसेसमेंट के लिए कुछ प्लान बनाया है ? करायेंगे ? कब तक करायेंगे ? स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहां-कहां से कितने धुएं, कार्बन डाईआक्साइड, कितने क्या निकल रहे हैं, उसका आप परीक्षण करा देते। छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं। तो लोग बचने के उपाय...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्नकाल है या चर्चाकाल है ?

डॉ. चरणदास महंत :- यह चर्चाकाल है।

सभापति महोदय :- मैं इसीलिए तो बोल रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नोत्तर हो रहा है या आपस में चर्चा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप भी कई नये प्रयोग करते रहते हैं। एकाध दिन मुझे दे दीजिये। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। विशेषकर 1990 के दशक से छत्तीसगढ़ में लगातार औद्योगिकीकरण हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में जो हेल्थ हजार्ड मेटल्स, मटेरियल्स हों या फ्लाई ऐश हो, इस तरह की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए बहुत सारे अच्छे सकारात्मक प्रयास किये गये हैं। जो आज उद्योग स्थापित हैं, आज की परस्थितियों में हमारे पास ऐसा च्वाइस नहीं है, उसको हटा दें, उखाड़कर फेंक दें, क्योंकि आर्थिक विकास भी जरूरी है। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से जो-जो कदम नियम-कानून में है, उसको हम सख्ती के साथ पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहां तक हेल्थ इम्पेक्ट एसेसमेंट की बात आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में भी स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके सकारात्मक प्रयास जरूर करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मगर बाजारों में यह बात है कि यहां से जो अससेमेंट या जांच करने जाते हैं, उसकी खबर उस इण्डस्ट्री को पहले लग जाती है। चाहे जितने भी कोल वॉशरी हैं या जहां जो उद्योग हैं, वहां जाते हैं तो अक्सर कोल वॉशरी बंद पाया जाता है और उत्सर्जन कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से यह इसलिए हो रहा है कि पर्यावरण का कोई अलग से कार्यालय नहीं है। पर्यावरण का सिर्फ मण्डल है। मण्डल में जो लोग कमण्डल लेकर बैठे हैं, उसमें कुछ सुधार कर दीजये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरण कार्यालय भी है, प्रदेश के अलग-अलग जगहों में रीजनल लेवल पर भी है, रीजनल आफिसर्स हैं। जैसा कि मैंने आज ही इसी प्रश्न के उत्तर के दौरान बताया कि 25 साल से उस सेटअप का रिवीजन नहीं हुआ था, विभाग ने उसका भी रिवीजन किया है। जांजगीर जैसे जगह में जहां अभी नया आर.ओ. पद स्वीकृत हुआ है। इसके पहले वहां का काम, सक्ती तक के काम बिलासपुर आर.ओ. देखता था, तो हमने वह भी स्वीकृत किया है। हम तो तकनीकी उपयोग कर रहे हैं, आई.ओ.टी. बेस्ड टेक्नालॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे डेटा का मेनुपुलेशन भी नहीं कर सकता है। मैं इस दृष्टिकोण से कहना चाहूंगा कि यह पर्याप्त सेटअप के साथ, पर्याप्त मैन पॉवर के साथ इस पर काम चल रहा है और आगे और 25 साल तक जो रिवीजन नहीं हुआ था, वह रिवीजन भी पिछले साल किया गया है, तो इसके सकारात्मक रूप से प्रयास जारी रहेंगे।

सभापति महोदय :- श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी।

श्री राघवेंद्र कुमार सिंह :- आदरणीय, मेरा इसी पर एक बहुत छोटा सा सवाल है जैसे आपने कहा कि एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, वह नए इंडस्ट्री में आप लगवा रहे हैं और IoT का जो सिस्टम है जो 164 आपने बताया कि पुराने में कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक आरोप लगाया है, वह कई जगह देखा जाता है कि पर्यावरण के जो लोग चेक करने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा कभी-कभी ऐसा पाया जाता है कि वह पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो क्या आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के मॉनिटर्स आसपास के गांव में इंस्टॉल करवाने के लिए आदेशित करेंगे? ताकि उसका एक सोशल ऑडिट का भी एक बहाना हो जाएगा कि सामने ही दिखता रहेगा कि कितना सही और कितना गलत हो रहा है। तो इन दोनों में क्या आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटर्स हैं, क्या वह इंस्टॉल करेंगे? और दूसरा, क्या पुरानी इंडस्ट्रीज में एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का आपका कोई प्लान है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया है लगता है। जो मैं 19 इंडस्ट्री में जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की चर्चा किया था, वह सभी इंडस्ट्री में लगाया गया है। वह डेटा वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 का माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा था, इसलिए वह दो साल का डेटा था। जो नए लगे, उसमें नया बना उसी का डेटा दिया गया था, बाकी सभी इंडस्ट्री में लगाया गया है। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि जो मॉनिटर बेस्ड रिफ्लेक्शन हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स का और अलग-अलग गैस के एमिशन का, उसके संदर्भ में कई मॉनिटर एनवायरनमेंट बोर्ड ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं और उसकी संख्या को निश्चित रूप से भविष्य में बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय :- श्री सुनील सोनी जी।

श्री राघवेंद्र कुमार सिंह :- आदरणीय, बस आखिरी प्रश्न है। जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उनमें मॉनिटर्स प्रायोरिटी में एक टाइम बाउंड में लग जाए?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि सकारात्मक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य से हम चर्चा भी करेंगे और जहां-जहां पर ज्यादा इशूज हैं, उस दिशा में उस इंडस्ट्री के परिसर में भी लगवाने के लिए हम कंपेल भी करेंगे। कई चीजें नियम अलाउ करती हैं, एक्ट में कई चीजों का प्रावधान है, कई चीजों का नहीं है, फिर भी हमने बहुत सारे स्टेप्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी मैं बताया हूं, विभागीय चर्चा में बताया हूं, बहुत सारे स्टेप्स व्यावहारिक रूप से नियम में नहीं है फिर भी जो जरूरी है, हमने उसके लिए स्टेप्स लिए हैं और लेते रहेंगे।

सभापति महोदय :- श्री सुनील कुमार सोनी।

छ.ग. में सप्तपर्णी (छातिम) वृक्ष के रोपण पर रोक

[आवास एवं पर्यावरण]

2. (*क्र. 2445) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि देश के विभिन्न राज्यों में सप्तपर्णी (छातिम) वृक्ष के स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों को देखते हुए इनके रोपण पर रोक लगाई गई है ? **(ख)** छ.ग. में पर्यावरण विभाग सप्तपर्णी (छातिम)) द्वारा स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में इनके रोपण पर प्रतिबंध लगाने एवं पूर्व से रोपित किए गए सप्तपर्णी (छातिम) वृक्षों को हटाकर उन्हें अन्य स्थानीय वृक्षों से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पर्यावरण विभाग द्वारा छातिम के दुष्प्रभावों से जनमानस को बचाने हेतु क्या कार्ययोजना है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी, नहीं। वन विभाग या पर्यावरण विभाग द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।**(ख)** कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त जानकारी अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वर्तमान में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव/कार्ययोजना नहीं है। पर्यावरण विभाग द्वारा सप्तपर्णी (छातिम) वृक्षों को हटाकर उन्हें अन्य स्थानीय वृक्षों से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित नही है, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- धन्यवाद सभापति जी। मेरा जो प्रश्न है, वह आम लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। जो छातिम झाड़ है, वह बहुत बड़ी संख्या के अंदर में लगे हैं और इससे अस्थमा हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, एलर्जी हो रही है और इसके अनेक उदाहरण आए। अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके और सभी लोगों ने कहा है कि यह जो छातिम झाड़ है, यह हानिकारक है। इस बात को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश सरकार, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, इन सब राज्यों ने इसके ऊपर में रोक लगा दी। उसके स्थान पर रोड पर नीम, पीपल ऐसे झाड़ लगाना प्रारंभ किये। एक उदाहरण मैं माननीय मंत्री जी को पहले भी दे चुका हूं, हाल ही में एक पेड़ मां के नाम..।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम का अभियान पूरे देश भर के अंदर में चला । मेरा प्रश्न यही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो उस समय जो छातिम के झाड़ लगे थे, उनको तत्काल हटाकर, उसमें रोक लगाकर दिनांक 09-01-2026 को इसका आदेश जारी किया कि इसके स्थान पर नीम और पीपल के झाड़ लगाए जाएं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी इन पेड़ों के स्थान पर नीम, पीपल जैसे जो ऑक्सीजन देने वाले झाड़ हैं या फल के झाड़ हैं, वह लगाएंगे क्या?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है। पेड़ लगाया ही जाता है कि लोगों के हेल्थ को फायदा हो, पर्यावरण को फायदा हो। अगर कोई पेड़ हेल्थ को नुकसान कर रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से उस पर हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। इस पर माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद उनसे अनौपचारिक चर्चा भी हुई थी, तो उस पर जो पहला विषय आया था, वह कोनोकार्पस का आया। जो मैंने स्टडी करवाई तो छातिम के अलावा पहला जो एक और विषय आया, वह कोनोकार्पस का आया, तो environment के संबंध में जो Central Empowered Committee है, उसने कोनोकार्पस के संबंध में एक रिसर्च प्रकाशित किया है, वह मुझे प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर हम निश्चित रूप से उसको बैन करने का काम करेंगे ही। जहाँ तक सप्तपर्णी का प्रश्न है, जिसको Botanical Name के हिसाब से एल्सटोनिया बोलते हैं, फिलहाल विभाग के लोगों को उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं मिल पाया है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अन्य राज्यों का जो आदेश हैं, वह हमको जरूर मिले हैं। मैंने मध्य प्रदेश का भी आर्डर देखा है। उन्होंने कोनोकार्पस और सप्तपर्णी, दोनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। सभापति महोदय, मैं पहला चीज़ आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भविष्य के लिए हम Forest Department एवं Health Department के साथ सामंजस्य करके भविष्य में वृक्षारोपण नहीं करने का प्रतिबंध तो लगा ही देंगे। अगर 1% भी डाउट है तो क्यों उसको नया लगाया जाए? सरकार में उचित सामंजस्य करके उचित विभाग से हम इस पर प्रतिबंध लगवा ही देंगे। जहाँ तक लगे हुए वृक्षों का प्रश्न हैं, उनके संबंध में हम माननीय सदस्य के साथ बैठ कर उनके पास जो दस्तावेज हैं, उसको ले लेंगे, विभाग से और रिसर्च करा लेंगे। चूंकि लगे हुए पेड़ हैं, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर उस पर रिसर्च जो भी हमको मिलता है, कोई साइंटिस्ट से भी बेस्ट रिसर्च मिल जाता है, तो उस पर भी हम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे। किंतु उस वृक्ष को भविष्य में लगाने के लिए हम अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगा देंगे। सभापति महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य ने पीपल पेड़ का ज़िक्र किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि रायपुर में भी जब हम लोग प्रशासन में थे, उस दौरान पीपल फॉर पीपल अभियान चलाकर बहुत सारे पीपल पेड़ लगाने का काम किए थे। आप कटोरा तालाब जैसे जगहों में जाएँगे तो गार्डन में, श्मशान में सब जगहों पर बहुत अच्छे से पेड़ दिखाई देगा। अभी नवा रायपुर में भी पीपल फॉर पीपल अभियान बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है और नवा रायपुर को एक पीपल सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। पीपल हमारी आस्था का भी प्रतीक है, साथ ही वह वृक्ष 100 साल से अधिक वर्ष तक जीवन जीता है, हमको ऑक्सीजन देता है, दिन के साथ-साथ रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए अभी नवा रायपुर में भी पीपल फॉर पीपल अभियान चलाया जा रहा है। उस पर already हम काम कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी कोनोकार्पस के सन्दर्भ में कहा, यह मेरे एक प्रश्न में है। रिसर्च के अनुसार यह झाड़ भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि मैं इतने सारे राज्यों का नाम ले रहा हूँ और मैंने आपको वहां का आर्डर भी दिया है। कोई कारण है तब तो उन्होंने उसके रोपण पर रोक लगाया है, नहीं तो वे बेवजह रोक नहीं लगाते। लगे हुए वृक्षों को मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 09.01.2026 को हटाना प्रारंभ कर दिया। मेरा अनुरोध यह है कि क्या आप इस पर निर्णय लेंगे और कब निर्णय लेंगे, यह बता दीजिये? माननीय मंत्री जी, रायपुर में बहुत बड़ी संख्या में यह वृक्ष लगे हुए हैं। क्या आप उन वृक्षों को हटवायेंगें? जैसा आपने कहा कि नवा रायपुर में पीपल फॉर पील वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आप पीपल के झाड़ का अभियान चला रहे हैं। आप नीम का भी अभियान चला दीजिए। मैंने अभी नीम के झाड़ लगवाया है। क्या आप इसके ऊपर में शीघ्र निर्णय लेकर लेंगे और कब लेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि मुझको कोनोकार्पस का रिसर्च पेपर मिल गया है। मुझको राज्यों का आर्डर मिला है, लेकिन किस रिसर्च के आधार पर, किस साइंटिस्ट के अभिमत के आधार पर, कौन से खोज के आधार पर उसको प्रतिबंधित किया गया है, वह आधार नहीं मिल पाया था। अभी दो-तीन दिन पहले विभाग वाले खोज रहे थे तो उनको कोनोकार्पस का रिसर्च पेपर मिल गया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, मुझको थोड़ा बता दीजिये क्योंकि नई बात है। सभापति महोदय, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा। यह बहुत अच्छा विषय है क्योंकि सप्तपर्णी (छातिम) के बारे में सामान्य धारणा है कि उससे अस्थमा की समस्या होती है, लेकिन कोनोकार्पस के बारे में जानकारी नहीं थी। आप नई जानकारी दे रहे हैं। उससे कौन सी बीमारी होती है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, वह हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं, इतना मुझे जनरल आईडिया है। मेरे पास में Scientific Research का जो भी पेपर है, Central Empowered Committee का जो Findings है, उसको मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगा। बाकी कोनोकार्पस के बारे में तो रिसर्च मिल भी गया है। इसलिए उस पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम करेंगे। सप्तपर्णी (एल्सटोनिया) भी भविष्य में ना लगाया जाए, हम इसका आदेश निश्चित रूप से विभागीय समन्वय करके जारी कर देंगे। जो लगे हुए पेड़ हैं, उसको उसको हटाने की दिशा में भी माननीय सदस्य के साथ बैठकर सकारात्मक कदम उठायेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय।

श्री सुनील सोनी :- पहले मेरा प्रश्न हो जाए, भाई। सभापति महोदय, कोनोकार्पस एक बहुत गंभीर विषय है। यह बहुत बड़ी तादाद में रायपुर में लगे हुए हैं और इससे अस्थमा की बीमारी फैल रही

है। मैं इसके अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ। लोग इसको काटने के लिए आवेदन भी दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, उस पर आप कब निर्णय लेंगे? कोनोकार्पस पेड़ रायपुर शहर के अंदर नई कॉलोनियों से लेकर पुरानी कॉलोनियों में बहुत तेज़ी के साथ में लग रहे हैं, क्या आप उसको हटाएंगे? या क्या आप उसको कटवायेंगे?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मैंने इस पर सकारात्मक रूप से पहल करने के लिये स्पष्ट बात की है और सभापति महोदय मैं खुद तो साइंटिस्ट हूँ नहीं कि इसका पूरा ब्यौरा दे सकूँ । लगे हुये पेड़ हैं इसलिये मैं इतना हैजिटेट कर रहा हूँ कि रिसर्च पेपर निकालकर अगर उसमें हैजार्ड्स पाया जाता है तो निश्चित रूप से हटाने का भी काम करेंगे ।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप आई.ए.एस. और युवा हैं, आप समझ रहे हैं, आप रिसर्च करते हैं, जो पेड़ आम जनता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, उसे नहीं हटायेंगे क्या ? पर्यावरण को ठीक करने का अभियान जो चला है वह स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये है, कृपया माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य सोनी जी ने बहुत गंभीर मामला उठाया है और बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, इसमें हम सब लोग चिंतित हैं और माननीय मंत्री जी भी चिन्तित हैं, उन्होंने बहुत सारे वृक्षों के अभाव के बारे में भी बताया है और नये स्टडी के बारे में भी बताया है । सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सुनील सोनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और उसमें कुछ अधिकारी रह जायें, विधान सभा के सदस्य हों, इसका अध्ययन करके अगले सत्र तक रिपोर्ट सबमिट कर दें । यह उचित है या अनुचित है, इसमें सारी जानकारी नहीं आ पा रही है, अत: सोनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और अध्ययन करके अगले सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करके फिर उसमें जो कार्यवाही करना है, सरकार कर ले । यदि ट्रेजरी बैंच सहमत है तो कर लेना चाहिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिये, इसमें मामला सिर्फ इतना है, रायपुर शहर में जो झाड़ लगे हैं उसके कारण अस्थमा फैल रहा है । माननीय मंत्री जी ने उसमें रिसर्च भी कराया है और एक झाड़ के बारे में रिपोर्ट आ गई है कि वह खराब है तथा दूसरे के बारे में आना है । जो रिपोर्ट आई और जो झाड़ हानिकारक है, मैं समझ रहा हूँ कि झाड़ में टंगिया चलाने के लिये आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है । हरे-भरे वृक्ष को कैसे काटा जाये, लेकिन वह हरा-भरा वृक्ष जिंदा इंसान को भी ठूँठ बना देगा, इसलिये उसको काट दिया जाये । आप सीधा-सीधा बोल दीजिए जो नुकसानदायक झाड़ है, उसको काट देंगे और बाकी का रिसर्च करके आप....। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- जेमा आदमी मरथे तेला काटे म काय हे । (व्यवधान)

श्री सुनील सोनी :- सभापति जी, मेरा आखिरी प्रश्न है, यह हरा-भरा इसलिये है और गर्मी में इसलिये ज्यादा हरा भरा रहता है क्योंकि यह जलस्त्रोत को भी खराब कर रहा है । वैज्ञानिकों ने इसका भी रिसर्च करके इसके ऊपर कमिट किया है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने छातिम के बारे में पूछा है । आपके पास उसका कोई रिपोर्ट नहीं है, आपने जो जानकारी दी है वह कोनोकार्प के बारे में है । यह बिल्कुल सही बात है । मैं आपसे असहमत नहीं हूँ । मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी लोग स्वास्थ्य के मामले में चिंतित हैं, सुनील सोनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और अगले सत्र तक प्रस्तुत कर दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सही जानकारी दिया है और मेरा कहना यही है कि इसमें विभाग पूर्णत: गंभीर है, माननीय सदस्य सुनील सोनी जी ने जो विषय लाया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि न मैं साइंटिस्ट हूँ और न आदरणीय सदस्य साईंटिस्ट हैं, हम इसके लिये विभाग की ओर से टेक्नीकल साईंटिस्ट की टीम बना देंगे और उसके आधार पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे । भविष्य के लिये हम प्रतिबंध लगा देंगे ।

डॉ.चरणदास महंत :- सभापति महोदय, जब आप संशोधन कर रहे हैं तो आप बेशरम समझते हैं ना, बेशरम का झाड़ लगाते हैं और उसके लकड़ी को गांव-गांव में गरीब लोग उपयोग करते हैं । लोगों को कहना है कि वह स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है और उससे टी.वी. तक होता है, ऐसा लोगों का कहना है । आप जब परीक्षण करायें तो बेशरम झाड़ को भी जोड़ लीजिए ।

सभापति महोदय :- उसमें परीक्षण करा दें ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी । माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसका भी अध्ययन करा लेंगे ।

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल मोहिले जी ।

<u>प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा एनपीएस से ओपीएस योजना का चयन</u>

[वित्त]

3. (*क्र. 2591) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** एनपीएस से पुनः ओपीएस योजना के विकल्प का चयन प्रदेश के कुल कितने अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किया गया है? वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त और वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त पुनः ओपीएस का विकल्प चयन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना का संचालन व कार्यप्रणाली क्या है? **(ख)** कंडिका (क) अनुसार वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त व वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त पुनः ओपीएस

का विकल्प चयन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी का जीपीएफ कटौती का प्रबंधन किस-किस प्रकार किया जा रहा है? क्या दोनों का प्रबंधन अलग-अलग किया जा रहा है? यदि हॉ, तो क्यों ? एक ही प्रकार से प्रबंधन कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और पेंशन के भुगतान के प्रभावी प्रबंधन के लिए बनाई गई वित्तीय योजना छ.ग. पेंशन निधि में दिनांक 15/02/2026 तक कितनी राशि जमा कर कुल कितनी राशि की निधि तैयार की गई है? क्या यह योजना किसी वित्तीय वर्ष में पेशन व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर अतिरिक्त भुगतान इस निधि से किये जाने हेतु या कोई अन्य सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी बनाई गई है? यदि हॉ, तो इससे अब तक कितनी राशि निकाली गई है? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) एनपीएस से पुन: ओपीएस योजना का विकल्प का चयन प्रदेश के कुल 2,91,797 अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया गया है।वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त और वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त OPS विकल्प वाले सभी शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। **(ख)** वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त शासकीय सेवकों का जीपीएफ कटौती का प्रबंधन महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा तथा वर्ष 2004 के पश्चात पुन: ओपीएस का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों का जीपीएफ कटौती का प्रबंधन संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि, छ0ग0 द्वारा किया जा रहा है। जी हॉ, दोनो का प्रबंधन अलग अलग किया जा रहा है। एक ही प्रकार से प्रबंधन किया जाना विचाराधीन नहीं है।**(ग)** छत्तीसगढ़ पेंशन निधि में दिनांक 15.02.2026 तक की स्थिति में कुल 1,068 करोड़ राशि जमा कर 1120.53 करोड़ की निधि तैयार की गई है। किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर अतिरिक्त भुगतान इस निधि से किये जाने का प्रावधान है। अभी तक इस निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली गई है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, NPS से पुन: OPS योजना का विकल्प के रूप में लगभग 2 करोड़ 91 लाख 797 अधिकारी कर्मचारी हैं। क्या ये NPS योजना के हैं या NPS योजना से अलग हैं ? OPS योजना में कितने अलग-अलग हैं ? बताने का कष्ट करेंगे।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, NPS और OPS मूल रूप से दो प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। इसमें पहले 2004 से जैसे भारत सरकार ने लागू किया था और विभिन्न राज्यों ने लागू किया था। वैसी इसको छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया था। पिछली बार 2022 में उस समय के बीच के कर्मचारियों के लिए OPS स्कीम को लाया गया था। 1 नवंबर, 2004 के पहले कर्मचारी जो ऑलरेडी OPS में हैं, उनके पेंशन संबंधी, उनके PF पीएफ संबंधी जो विषय होते हैं, उनको हैंडल करने का काम महालेखाकार करती है, जो भारत सरकार की संस्था

है। नवंबर 2004 के बाद NPS और OPS का विकल्प जो बाद में दिया गया, उसमें से लगभग 7,000 कर्मचारियों ने NPS अडॉप्ट किया और लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारियों ने OPS अडॉप्ट किया। सभापति महोदय, चूंकि अभी OPS भारत सरकार और दूसरे जगहों पर लागू नहीं है, इसलिए हमारा डायरेक्टरेट उसको खुद हैंडल करता है, इसलिए दो अलग-अलग प्रकार की संस्थाओं को उसको हैंडल करना होता है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, NPS और OPS में अधिकारी और कर्मचारी के भविष्य निधि कटौती कितने-कितने प्रतिशत होती है ? कटौती राशि कहां-कहां जमा होती है ? NPS की कटौती प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को कब तक बंद की गई ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, जो NPS की कटौती है, उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा एम्प्लायर का कंट्रीब्यूशन रहता है। जो एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन है, वह एग्जैक्ट 10% होता है और एम्प्लायर का जो कंट्रीब्यूशन है, वह पहले 10% होता था, अभी उसको बढ़ा करके मोदी जी ने पहले सेंट्रल लेवल पर 14% किया है तो ये दोनों जो राशि होती है PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) में जमा होती है, PFRDA पूरे देश के लिए है, उसमें जमा होती है और वह उस राशि का उचित नियोजन करता है। जहां तक GPF का प्रश्न है, उसकी 10% कटौती होती है और GPF रिटायरमेंट पर मिलती है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, NPS के स्थान पर OPS का चयन करने वाले अधिकारी कर्मचारी की भविष्य निधि कटौती वर्तमान में कितने प्रतिशत है ? लागू किस दिनांक से है, अब तक कुल कितनी राशि जमा की गई है? कितना-कितना प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष देय है ? वर्तमान में कर्मचारी के NPS में क्या स्थान है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, दो अलग-अलग प्रकार के एजेंसी हैंडल करते हैं, महालेखाकार नवंबर 2004 के पहले के प्रकरणों का हैंडल करते हैं, उसके बाद के जो OPS अडॉप्ट किए हैं, उनका डायरेक्टरेट फाइनेंस हैंडल करता है। उसके संबंध में मूल प्रश्न था, जो ब्याज मिलता है, PF (प्रोविडेंट फंड) पर जो ब्याज मिलता है, वह आज की तारीख में 7.1% है। उन्होंने PF के संबंध में और एडिशनल जानकारी चाही है, वह मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मेरा और प्रश्न है, जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने NPS के स्थान पर OPS चुना है, कुल कितनी राशि जमा है तथा उन्हें भविष्य में जमा राशि किस तरह प्राप्त होगी, क्या उनके खाते में जमा किए जाएंगे ? ये बताने कष्ट करें।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, NPS के अंतर्गत एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लायर के कंट्रीब्यूशन का जो पैसा होता है, वह PFRDA में लगभग 22,000 करोड़ जमा है और जिन्होंने OPS अडॉप्ट किया है, उसमें पहले एम्प्लाई का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें लाभांश उसको

PFRDA उचित तरीके से इन्वेस्ट करती है, उसमें लाभांश आता है तो लाभांश की राशि इसमें लगभग 22,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रूपये की राशि लाभांश की ही है। जो एम्प्लॉई का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है और उस पर जो लाभांश आया है, उन दोनों पर एम्प्लॉई का हक होगा। जो एम्प्लॉयर है, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार है, उस राशि पर जो लाभांश है और सरकार ने जो जमा किया है, पहले जो 10 प्रतिशत जमा होता था और जो 14 प्रतिशत बाद में जमा होता है, वह राशि एम्प्लॉयर को मतलब राज्य सरकार को मिलेगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मेरा एक आखिरी प्रश्न है। सभापति महोदय, वर्ष 2004 के पहले नौकरी लगने वाले का आपने OPS बता दिया। NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) 2004 के बाद नौकरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को क्या GPF फंड में कटौती की राशि उनके खाते में जमा होगी? मंत्री जी यह बता दें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, एक बार फिर से बोलें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वर्ष 2004 के बाद जो नौकरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी हैं, जिनके GPF खाते में राशि जमा नहीं है तो क्या उनके खाते में वह राशि जमा होगी और उन्हें देय होगी?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, वर्ष 2004 के बाद जिन्होंने OPS को अडॉप्ट किया है, उनके खाते में निश्चित रूप से GPF जमा होगी। जो NPS में ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका 10 प्रतिशत और 14 प्रतिशत के रूप में PFRDA में पैसा जमा होता रहेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि NPS की राशि लगभग 22,000 करोड़ रूपये PFRDA में जमा है तो क्या उसे लेने के लिए कोई कार्य योजना है? उसका लाभ एम्प्लॉयर तक, एम्प्लॉई तक कैसे पहुंचेगा? इसके बारे में कुछ बता दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जो 22,000 करोड़ रूपये की राशि जमा है, उसमें से कुछ राशि तो करंट एम्प्लॉईस की ही है। जो अभी भी NPS में हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक ऑल इंडिया सर्विस अर्थात आई.ए.एस., आई.पी.एस. और फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी भी है। जो अडॉप्ट करने का विकल्प दिया गया था, उसमें से करीब-करीब 7,000 ने NPS भी अडॉप्ट किया है, उनका ऑलरेडी मीटर चल रहा है तो उनका पैसा तो वापस होने वाला कोई विषय नहीं है। जो एम्प्लॉई है, उसका जिस दिन रिटायरमेंट होगा, उस दिन एम्प्लॉई का जो पैसा है, वह PFRDA से एम्प्लॉई को मिल जाएगा। भले ही अब वह OPS में आ गया है, लेकिन बतौर NPS उसने जो पैसा जमा किया है तो जिस दिन वह रिटायर होगा, उसके लाभांश और योगदान के साथ ही वह एम्प्लॉई के खाते में आ जाएगा। जो एम्प्लॉयर का पैसा है, मतलब जो सरकार का पैसा है, उसी के साथ एम्प्लॉई के रिटायरमेंट के साथ ही वह पैसा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वह लाभांश और प्रिंसिपल अमाउंट सहित सरकार के खाते में आ जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उमेश बाबू को तो उधर माननीय भूपेश बघेल जी से पूछ लेना चाहिए। वह NPS, OPS के पूरे राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पूरे कांग्रेस का एजेंडा बनाया है। क्या NPS है, क्या OPS है, उसको सभी देश और प्रदेश ने लागू किया है। आप यहां प्रश्न पूछ रहे हो, आपको बाजू में पूछ लेना था।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार टोप्पो।

<u>विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मैनपाट में स्थित कर्मा एथनिक रिसोर्ट का संधारण</u>

[पर्यटन]

4. (*क्र. 2165) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मैनपाट में स्थित कर्मा एथनिक रिसोर्ट किस मद की भूमि पर व कितने हैक्टेयर पर अवस्थित है? निर्माण वर्ष सहित इसकी कुल लागत क्या थी एवं निर्माण DPR में क्या-क्या सम्मिलित थे? वर्तमान में इस पर क्या सभी सुविधाएँ संचालित हैं? जानकारी प्रदान करें? (ख) रिसोर्ट के मंथली मेंटेनेंस हेतु राशि कितनी है? इसमें क्या-क्या कार्य शामिल हैं? जानकारी प्रदान करें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विधान सभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मैनपाट में स्थित कर्मा एथनिक रिसॉर्ट ‘‘पहाड़ व चट्टान मद’’ की भूमि पर व 8.093 हेक्टेयर पर अवस्थित है। कर्मा एथनिक रिसॉर्ट का निर्माण वर्ष 2019 से 2021 में राशि रू. 2137.38 लाख की लागत से किया गया तथा निर्माण DPR में ट्रायबल वर्कशाप सेंटर, सायकल ट्रैक, दो इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्राफ्ट एवं हर्बल हाट (आर्टिसन,सेंटर), कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप, टूरिस्ट रिसेप्शन एंड फेसीलिटेशन सेंटर, पगोड़ा, ओपन एम्फीथिएटर, ट्रायबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग, ओवर हेड टैंक, सम्पवेल, बोरवेल एवं वाटर सप्लाई पाईप लाईन, पम्प हाऊस, गार्ड रूम, लैंड स्केपिंग, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार, टेंट प्लेटफार्म, टायलेट, सोलर प्रकाशीकरण, ईको कुकिंग स्पाट, डे शेल्टर, वाक वे एवं प्रोटेक्टिव्ह रेलिंग, ब्रिज, पाथ वे/सीसी रोड लास्ट माईल कनेक्टिविटी, चेन लिंक फेंसिंग, साईनेजेस, सालिड वेस्ट मैंनेजमेंट के कार्य सम्मिलित थे। वर्तमान में इस पर सायकल ट्रेक, दो इलेक्ट्रीक व्हीकल, क्राफ्ट एवं हर्बल हाट (कक्ष), कैफेटेरिया (रेस्टोरेंट), पगोड़ा, ओपन एम्फीथियेटर, पार्किंग, ओवर हेड टैंक, सम्पवेल, बोरवेल एवं वाटर सप्लाई पाईप लाईन, पम्प हाऊस, गार्ड रूम, गार्ड रूम, लैंड स्केपिंग, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार, टायलेट, ईको कुकिंग स्पॉट, डे शेल्टर, वाक वे एवं प्रोटेक्टिव्ह रेलिंग, ब्रिज, पाथ वे/सी.सी. रोड लास्ट माईल कनेक्टिविटी, चेन लिंक फेसिंग एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग (संचालित) किया जा रहा है। (ख) रिसोर्ट के मंथली मेंटेनेंस हेतु माह जनवरी 2026 में राशि रू. 67,630.00 है। इसमें प्लंबिंग कार्य एवं गार्डन रख-रखाव कार्य शामिल है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में जो कर्मा एथनिक रिसॉर्ट बना था, उसका किस फर्म को टेंडर प्राप्त हुआ और क्या डी.पी.आर. में उल्लेखित सभी कामों को समय अवधि के अंदर पूर्ण किया गया है?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, विधान सभा सीतापुर अंतर्गत स्वदेश योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना हेतु कमलेश्वरपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर-139, रकबा-18.960 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर सरगुजा द्वारा दिनांक 13.12.2017 के माध्यम से आवंटित की गयी थी। निर्माण वर्ष 2019 से 2021 में कुल लागत 21.37 करोड़ रूपये है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, आप केवल इतना बता दीजिए कि किस फर्म को टेंडर मिला था और जो-जो कार्य डी.पी.आर. में सम्मिलित थे, क्या वे सभी कार्य समय अवधि के अंदर पूरे हुए? आप सिर्फ यह बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, डी.पी.आर. में टोटल 32 कार्य थे, जो वर्ष 2019 से 2021 के मध्य कम्पलीट हो गए हैं।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, टेण्डर किसको मिला था? काम करने वाली एजेंसी कौन थी?

श्री राजेश अग्रवाल :- TCIL कंपनी को टेंडर मिला था।

श्री रामकुमार टोप्पो :- यह कंपनी लोकल छत्तीसगढ़ की थी कि बाहर की थी ?

श्री राजेश अग्रवाल :- मेरे ख्याल से यह कंपनी बाहर की होगी। (हंसी)

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि डी.पी.आर. में उल्लेखित जितने भी कार्य हैं, वह सभी कार्य समय अवधि के अंदर पूर्ण हो गए हैं। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि चैन फेंसिंग कार्य, जो उस क्षेत्र में रिसॉर्ट की सुरक्षा के लिए शायद एक बाउंड्रीवॉल की तरह है, उसके लिए कितनी लागत थी? क्योंकि जब डी.पी.आर. बना होगा तो सभी कार्यों के लिए अलग-अलग पूरी डिटेल बनायी गयी होगी। आपने पहले ही बता दिया था कि ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं। दूसरा, जो गार्ड रूम है उसकी लागत कितनी है? इन दोनों विषयों का बता देंगे।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय चैन लिंक फेंसिंग का काम 141.98 लाख रूपये का था, लेकिन वास्तविक लागत 95.15 लाख रूपये है और गार्ड रूम का कार्य 2.73 लाख रूपये का था, लेकिन वह 4.18 लाख रूपये में कंप्लीट हुआ है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, मेरा इसी में प्रश्न है कि यह जो आप बता रहे हैं कि इतने लागत के काम थे, लेकिन वर्तमान में यह काम अधूरा है। यह जो चैन फेंसिंग कार्य है, आपने जो

हमको बताया है कि यह टोटल जितने हेक्टेयर भूमि में है, यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्धारित होगा लेकिन यह काम अभी अधूरा है। आपके कहने के अनुसार यदि इसमें 95 लाख रूपये का प्रावधान था, तो उसमें अभी-भी 30 लाख या 40 लाख रूपये के बीच की राशि का काम नहीं हुआ है। गार्ड रूम का काम वहां पर नहीं हुआ है। उसके बाद कई कामों का उसमें जिक्र हैं, जैसे वहां पर दो पार्ट में काम हुआ है। एक रोड के इस साइड में और दूसरा रोड के उस साइड में और दोनों मिलाकर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें से अभी-भी वहां पर बहुत सारे काम अधूरे हैं और उसके कारण वहां पर कई नुकसान भी देखे जाते हैं। मंत्री जी, आप इस पर क्या कहेंगे?

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये ना कि कब तक पूर्ण कराएंगे?

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, उनके जवाब के अनुसार कार्य पूर्ण तो हो चुका है क्योंकि यह मामला वर्ष 2021 तक कार्य पूर्ण करने का था। मंत्री जी, यह सारे दस्तावेज बोल रहे हैं कि कार्य पूर्ण हो गया है और आप भी बोल रहे हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है, तो फिर यह काम वहां पर भौतिक सत्यापन में अधूरा क्यों है? यह गलत जानकारी क्यों दी गयी है ? मंत्री जी, इस पर क्या कहेंगे?

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, डी.पी.आर. के अनुसार जो कार्य स्वीकृत हुए थे और वह कार्य जो पूर्ण हुए हैं, उसमें सिर्फ ऊपर के हिस्से में एक पार्ट अलग है, जहां कुछ पानी की कमी थी, वहां का भी काम कंप्लीट हो गया है लेकिन वह ऑपरेशन में अभी नहीं आ पाया है। कर्मा एथनिक रिसॉर्ट के वर्कशॉप सेंटर, सोवेनियर शॉप, रिसेप्शन एंड फैसिलिटेशन सेंटर एवं ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, यह दूसरे साइड में है, वहां पर पानी की कमी से वह काम कंप्लीट होने के बावजूद भी संचालन में नहीं है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- मंत्री जी, लेकिन इसमें आपने दिया है कि उसमें द्वार निर्माण कार्य है, लेकिन उसमें द्वार निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है, द्वार खुला है। उसके बाद आपने टंकी वगैरह का जो कार्य बताया है, वे सारे कार्य अधूरे हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपके रिकॉर्ड में कार्य पूर्ण है और माननीय सदस्य का कहना है कि काम नहीं हुआ है। आप अधिकारी और माननीय सदस्य की उपस्थिति में उसका भौतिक सत्यापन करा दीजिए।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, बिल्कुल करा देंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, भुगतान की स्थिति भी बता दीजिए।

श्री रामकुमार टोप्पो :- धन्यवाद। सभापति महोदय, इसमें मेरा एक और सवाल है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भुगतान की स्थिति भी बता दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भुगतान में हेरफेर हुआ है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- एक मिनट रूकिये, मुझे पूछने दीजिये । मंत्री जी, इस पर मेरा पॉइंट है। आपने उसमें जिक्र किया है वहां पर मंथली मेंटेनेंस राशि 67,630 रूपये दी जाती है। मैं इसमें यह पूछना चाहता हूं कि यह मेंटेनेंस करने का कार्य वर्तमान में कौन-सी कंपनी कर रही है? क्या इसका टेंडर होता है? यह स्टेट लेवल का टेंडर होता है कि लोकल लेवल का टेंडर होता है और इसमें मेंटेनेंस में कौन-कौन से कार्य सम्मिलित हैं? यह मुझे एक बार चिन्हित बता दीजिये फिर आगे क्लियर होगा।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, दिसंबर तक इसे टी.सी.आई.एल. कर रहा था, अब विभाग कर रहा है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- यदि विभाग कर रहा है तो पहले किस प्रावधान से कर रहा था और अभी किस प्रावधान से कर रहा है ? यदि विभाग कर रहा होगा तो वहां जो कर्मचारी हैं, उनको ऑलरेडी कलेक्टर दर से पेमेंट दिया जाता रहा होगा या जिस भी दर से दिया जाता होगा। क्या वही लोग वहां काम करते हैं कि उनके लिए अलग से कर्मचारी हायर किये गये हैं ? यह भी क्लियर करियेगा।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, गार्डन रखरखाव से संबंधित मजदूर लगे हुए हैं । जो बाहर के काम देखते हैं और जो 2 मैनेजर हैं, सैला में और कर्मा में वह प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त किये गये हैं । सभी लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय मंत्री जी, यह किस प्रावधान से ऐसा हुआ है? क्योंकि पहले आप बता रहे हैं कि कोई एजेंसी के द्वारा किया जाता था तो एजेंसी के द्वारा किया जाता था तो संभवत: टेंडर होता होगा और अभी अगर विभाग कर रहा है तो फिर यह तो नियम-कानून को तोड़ने वाला विषय हो गया तो फिर विभाग अपनी मर्जी से कैसे काम कर रहा है, वह कौन से नियम के तहत कर रहा है ? कृपया एक बार बतायेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- कि डबल इंजन के नियम से किया जा रहा है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- रामकुमार यादव जी, चूंकि ये हा वर्ष 2019 से 2021 में बनिस हे । चूंकि यह यात्रियों के रूकने के लिये है और इसमें पर्यटन विभाग यात्रियों की सुविधा के लिये अपने हिसाब से कर्मचारी रखता है और मैं यह बताना चाहूंगा कि सितम्बर, 2024 से जनवरी, 2026 तक कुल व्यय राशि 14 लाख 50,548 रूपये है, 11,526 उसके लिये था और 1 करोड़ 42 लाख 40,000 रूपये जो आय हुई है । उसी आय पर...।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय मंत्री जी, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि 67,630 रूपये प्रति महीना केवल मेंटेनेंस राशि आपने वहां पर आरक्षित किया है जिसमें प्लम्बिंग काम भी है और उसमें शायद संभवत: मेंटेनेंस में घास उखाड़ने से लेकर पोताई करने तक सब होगा यानी उसमें टेक्निकल काम नहीं है तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि क्या स्वयं सहायता समूह, लोकल के समूह को इस मेंटेनेंस हेतु प्रावधानित करेंगे क्या ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि बाहर के पर्यटक आते हैं । थोड़ा सा उसके लिये कुशल व्यक्ति रखे जाते हैं और मैं वही बताना चाह रहा हूं।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय मंत्री जी, मैं इसलिये पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या-क्या काम सम्मिलित है ? घास उखाड़ने के लिये कुशल व्यक्ति की जरूरत नहीं, स्वयं सहायता समूह उससे कुशल कोई हो ही नहीं सकता ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा उत्तर सुन लीजिये । दोनों बहुत ही अच्छे रिसॉर्ट हैं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार आय में वृद्धि हो रही है । हम अच्छे श्रमिक रखकर पर्यटकों की सुविधा बढ़ा रहे हैं और अच्छी इंकम वहां से जनरेट हो रही है और उसी इंकम के माध्यम से कुशल श्रमिक रखे जा रहे हैं और बहुत कम खर्च करने के बावजूद हम अच्छी इंकम वहां से ले रहे हैं ।

सभापति महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, मेरा थोड़ा सा बच गया है।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं । अंतिम प्रश्न ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, हां, अंतिम प्रश्न । यह क्लियर नहीं हुआ, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 67,000 की जो राशि मेंटेनेंस वाला है यह स्वयंसहायता समूह को किया जाये और दूसरा मेरा यह अंतिम प्रश्न है कि कर्मा एथनिक रिसॉर्ट कितनी भूमि पर बना हुआ है, एक बार बता देंगे फिर बस एक ही छोटा सा प्रश्न है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि वहां पर जितने भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं वह स्थानीय लोग ही हैं । कोई बाहरी लोग वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल उस सेंटर का एक प्लेसमेंट के कर्मचारी को छोड़ बाकी सभी स्थानीय लोग ही वहां पर कार्य कर रहे हैं और आपने क्या पूछा, रकबा ?

श्री रामकुमार टोप्पो :- हां, कितना रकबा है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- मैंने आपको रकबा पहले बताया था ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- एक-बार और बता दीजिये ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, स्वदेश योजना अंतर्गत ट्राईबल टूरिज्म सर्किट परियोजना हेतु ग्राम कमलेश्वरपुर तहसील मैनपाट स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर-139, रकबा 18.96 हैक्टेयर भूमि ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- ठीक है । माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिये इस विषय को दोहराया था ।

सभापति महोदय :- आप पूछना चाह रहे हैं, महंत जी ?

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, यह अंतिम है कि शीतकालीन सत्र 2025 में मैंने इसी विषय में प्रश्न किया था कि कितने हैक्टेयर में बना है तो उसका जवाब आया था कि लगभग 5.46 हैक्टेयर भूमि पर कर्मा एथनिक रिसॉर्ट बना है और अभी आप 8 पाइंट (8.) कुछ बता रहे हैं, यह दोनों जवाब सरकारी सदन पर प्राप्त हुए जवाब हैं, यह दोनों में वेरिएशन क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, दोनों ही जवाब सही है । 18.96 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई है और वह जो 5 पाइंट (5.) जितना इनको जवाब मिला है वह निर्माणाधीन है, वहां पर शेष भूमि खाली है ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- ठीक है । इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आधे मिनट का प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- हां, आधा प्रश्न कर लीजिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आधा मिनट का आधा प्रश्न। माननीय प्रश्न करने वाले उसी जिले के हैं, सीतापुर से विधायक हैं और माननीय मंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं । मैं इनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि पर्यटन के मंत्री हैं, पर्यटन संबंधी प्रश्न है तो क्या एक भी बार आप मंत्री बनने के बाद मैनपाट गये हैं ? (हंसी)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, नेता जी जाते हैं तो हमेशा वहीं रात रूकते हैं, जब भी जाते हैं । (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- उन्हीं को बोलने दीजिये न, वहां तो रात रूकने के बहुत सारे साधन हैं ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं। यह उत्तर अपूर्ण हैं। माननीय मंत्री जी रूकते हैं, यह अलग बात है क्या आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को रूकने के लिए आमंत्रित किया और यदि नहीं किया है तो उनको आमंत्रित कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को स्वायतता प्राप्त है। आप वह प्रश्नकाल में कई बार प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए हैं आपको बधाई हो।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है मैं अभी दो-तीन महीने पहले वहां मैनपाट महोत्सव हुआ था, मैं उसमें गया था और दिल्ली के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी को अपने साथ सभी जगहों पर घूमाया था, वहां जो उल्टा पानी है। हालांकि उस उल्टा पानी में पर्यटन का कोई रोल नहीं है और वहां पर पर्यटन ने कोई काम नहीं किया है। वह नेचुरल है, लेकिन वह उसको देखकर, आश्चर्यचकित रह गये और उन्होंने कहा कि मैं इसको पूरे देश में फैलाऊंगा। वहां यह जो एक जगह उल्टा पानी दिखा है, जिसका पानी भी ऊपर चढ़ता है और यदि गाड़ियों को भी न्यूट्रल कर दीजिए तो वह भी ऊपर चढ़ती हैं ..।

सभापति महोदय :- मैंने जिस बात को कहा कि आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बुलाया और उस मैनपाट को दिखाया क्या?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। यह मेरी गलती है।

सभापति महोदय :- तो आप उनको आमंत्रित कीजिए।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। मुझसे यह मेरी गलती हुई है। मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से क्षमा मांग रहा हूँ और भविष्य में आमंत्रित कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- आप उनको बुलाईये।

<u>डोंगरगढ़ में "प्रसाद योजना" के तहत श्री यंत्र भवन निर्माण में अनियमितता</u>

[पर्यटन]

5. (*क्र. 2808) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या डोंगरगढ़ में "प्रसाद योजना" के तहत श्री यंत्र भवन का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण हेतु कुल कितनी-कितनी राशि केन्द्रांश/राज्यांश के द्वारा स्वीकृत की गई तथा अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? निर्माण कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि क्या है? क्या कार्य समय सीमा में पूर्ण हुआ या नहीं? यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या हैं? **(ख)** निर्माण कार्य किस एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है? कार्यादेश की तिथि क्या है? क्या निर्माण कार्य का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो परीक्षण की रिपोर्ट क्या है? क्या निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता/शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत के विरुध्द क्या-क्या कार्यवाही की गई?पूर्ण जानकारी देवें ? **(घ)** क्या उक्त निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा कोई समिति /संरक्षक बनाया गया ? जिसकी निगरानी व देखरेख में कार्य पूर्ण कराया गया हो ? यदि हाँ, तो उस समिति में कौन-कौन जनप्रतिनिधि/अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं? पूर्ण जानकारी देवें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जी हॉ। डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत् श्री यंत्र भवन का निर्माण कराया गया है। डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत श्री यंत्र भवन के निर्माण हेतु रू. 2106.99 लाख केंद्रांश के द्वारा स्वीकृत की गयी है। राज्यांश राशि निरंक है। उक्त कार्य हेतु कुल राशि रू. 1658.37 लाख का भुगतान किया गया। उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 08.01.2021 है तथा कार्य पूर्णता तिथि 25.02.2025 है। कार्य को पूर्ण करने में दी गई समय-सीमा से अधिक समय लगा। परियोजना में विलम्ब के मुख्य कारण **संलग्न प्रपत्र-अ**[1] अनुसार है। **(ख)** निर्माण कार्य टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से निष्पादित किया

[1] परिशिष्ट "एक"

गया है। कार्यादेश की तिथि 26.11.2020 है। भवन की कांक्रीट संरचना का परीक्षण NIT रायपुर के माध्यम से कराया गया है तथा NIT रायपुर के रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 अनुसार कार्य संतोषप्रद है। निर्माण कार्यों के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत/अनियमितता प्राप्त नहीं हुई है। **(घ)** डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा 02 समितियों का गठन किया गया है, जिसका आदेश **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि मां बम्लेश्वरी के धर्मस्थल में पर्यटन की बहुत बड़ी योजना प्रसाद योजना के तहत् श्री यंत्र भवन का निर्माण कराया गया है। इसमें मैं ज्यादा समय न लेते हुए, सीधे यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या इस श्री यंत्र भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी यह दूसरा प्रश्न है।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आपने श्री यंत्र भवन का निर्माण के संबंध में पूछा है या आपने सभी कार्यों का पूछा है ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, मैंने सभी कार्यों का पूछा है जो वहां आपकी प्रसाद योजना के तहत् श्री यंत्र भवन का निर्माण कार्य एवं वहां पर सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं क्या ?

सभापति महोदय :- उन्होंने डोंगरगढ़ में ''प्रसाद योजना'' के संबंध में प्रश्न किया है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वहां उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 08.01.2021 है तथा कार्य पूर्णता की तिथि 25.02.2025 है। कार्य को पूर्ण करने में थोड़ा समय लगा और अभी 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है, वहां 10 प्रतिशत कार्य बाकी हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, इसमें मैंने यह पूछा था कि केन्द्र की राशि और राज्य की राशि कितनी है ? आपने कहा कि राज्य की राशि निरंक है और केन्द्र से 2 हजार 106.99 लाख रूपये केन्द्रांश दिया गया, जिसमें आपने 1 हजार 658.37 लाख रूपये का भुगतान किया है। क्या बाकी के जो छोटे ठेकेदार हैं उनका भुगतान कर लिया गया है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उसका निर्माणकर्त्ता एक ही कंपनी है और वहां पर जैसे-जैसे काम होता जा रहा है, उसको वैसे-वैसे भुगतान किया जा रहा है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल था कि उनको भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वहां लगातार भुगतान हो रहा है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि निर्माण कार्य टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से यह

निष्पादन किया गया, यह इनके उत्तर में है और इन्होंने जिस एजेंसी को दिया था, उसमें कैसे विलम्ब हुआ, कैसे क्या हुआ। इन्होंने उसकी पूरी सूची बतायी है कि वहां पर 5 कारणों से विलंब हुआ जिसमें निर्माण एजेंसी के संचालक श्री पंकज झा की सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन होने के बाद, उस एजेंसी को बदला गया या नहीं बदला गया ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उनके निधन के पश्चात् वह एजेंसी उनकी पत्नी के नाम से आयी, जिसके कारण से..।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, उस एजेंसी को बदला नहीं गया। उनकी पत्नी या भाई के द्वारा उसका संचालन किया गया और इन्होंने मेरे सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि एन.आई.टी. रायपुर के रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 अनुसार कार्य संतोषप्रद है। जिसके द्वारा कार्यों का परीक्षण किया गया तो इसका परीक्षण एक ही बार हुआ या इसके और भी परीक्षण किये गये हैं ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। हम वहां पर समय-समय कार्यों का..।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, वहां कितनी बार परीक्षण किया गया ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वहां कार्यों का परीक्षण होता रहता है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, वहां पर कितनी बार जांच की गयी।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम नियमानुसार लगातार...।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, वहां कितनी बार जांच की गयी।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप कितनी बार पूछ रही हैं, जब जरूरत होती है। वहां निर्माण कार्य चलते रहते हैं, उसका वास्तव में परीक्षण...।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल:- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है क्योंकि वर्ष 2021 में इसकी शुरूआत हुई थी।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :-

12:30 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-01 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल)

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-01 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) पटल पर रखता हूं ।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति महोदय, मैं आज परेशान नहीं कर रहा हूं, मैंने स्थगन नहीं दिया है, पर एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- आप नहीं भी बोलेंगे तो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात रख रहे हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मैं माननीय ओ.पी. चौधरी जी से जानना चाहता हूं । आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, हम लोग सब जानते हैं और आपने ही सदन में पारदर्शी प्रशासन, डिजीटल प्रणाली की बात कई बार दोहराई है कि हम डिजीटल प्रणाली से सब कर रहे हैं । आपके सरकारी विभाग के वेबसाईट पिछले तीन साल से अपडेट नहीं हैं, जो कि बहुत जरूरी है । वेबसाईट ही आपने बंद किया है, क्यों किया है, किसलिए किया है, मैं अभी नहीं जानना चाहता ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- कौन सी ?

डॉ. चरण दास महंत :- आपके सभी विभागीय वेबसाईट बंद हैं, आप चेक करवा लीजिए । आपको बिना बताये भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मंत्री जी के नालेज में लाये ।

सभापति महोदय :- चौधरी जी, आप बैठिए । बात में बता दीजिएगा ।

डॉ. चरण दास महंत :- लोगों ने किसी कारण से बंद कर दिया होगा, आप चेक करवा लीजिए । अजय चन्द्राकर जी ने भी इसी से संबंधित ध्यानाकर्षण किया था कि वेबसाइट बंद है तो बता दीजिए कि सही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- सभापति महोदय, मैंने बहुत ही त्वरित घटनाओं पर विभिन्न विभागों में ध्यानाकर्षण लगाया था, लेकिन मैंने आज की कार्यसूची देखी, आज बजट सत्र की

अंतिम कार्यसूची प्रकाशित हुई है । बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी शामिल नहीं की गई है । 20 मार्च तक विधान सभा का सत्र चला है, पर मेरा एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लगा है । मेरे साथ [xx][2] हो रहा है । विशेष निवेदन है । या तो उसको अग्राह्य किये थे, वह भी जानकारी आ जाती ।

सभापति महोदय :- उसको विलोपित कर देना ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा अंतर्गत ग्राम चीचा में कल एक युवती की सुबह 7 से 8 बजे के बीच में अधजली लाश मिली । मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल ही उसी गांव में क्लास तीसरी के बच्चे की नृशंसा हत्या हुई थी, जिसके बारे में आपने पूरी कार्रवाई की थी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जिस युवती की शादी होनी थी, 1 अप्रैल को उसकी बारात आनी थी । परसों वह युवती दोपहर को 12:30 बजे घर से निकली, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता, परिजन ढूंढते रह गए । 12:30 बजे रात तक उसका मोबाईल चलता है, लेकिन सुबह उसकी अधजली लाश मिली । उसको पैरा में जलाया गया है, वहां पर उसका आधा जला हुआ मोबाईल भी मिला । मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उसमें तत्काल कार्रवाही हो ।

सभापति महोदय :- आपने उसकी कोई सूचना दी है क्या ? आपकी बात आ गई ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी हां, मैंने सूचना दी है । मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें तत्काल कार्रवाई हो, ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके और उस परिवार को कम से कम उस मृतक के लिए एक मुआवजा की राशि के लिए भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मोर चन्द्रपुर विधान सभा अईसे हे कि रायगढ़ भी जाना हे तो चन्द्रपुर ला क्रास करके लाए बर लागथे और आये दिन उहां ओव्हर लोडिंग गाड़ी चल थे, आये दिन एक्सीडेंट होवथे । ओव्हर लोडिंग गाड़ी ला कोई चेक नहीं करथे, जेमा क्षमता से ज्यादा गाड़ी के उपयोग किय जात हे । आये दिन चक्का जाम होवथे, वहां पर आम जनता ला बहुत तकलीफ होथे । आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यानाकर्षित करना चाहथौं कि वहां पर ओव्हर लोडिंग के जांच किये जाए अउ वहां पर बड़े-बड़े ट्रक रहिथे, ओ मन के लिए उसके क्षमता के अनुसार सड़क के निर्माण करे जाये, ऐसे मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित कराना चाहथौं ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- सभापति महोदय, नगर पालिका जांजगीर नैला में वार्ड क्रमांक 7-8 में करोड़ों रूपए की लागत से एक नाली का निर्माण हो रहा है, परन्तु पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है । वहां पर स्तरहीन नाली का निर्माण है । कृपा करके एक बार जांच कराकर सही ढंग से नाली बन जाये, ताकि पानी का निस्तार निकलने लगे ।

---

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैनपुर विकासखण्ड के अंतर्गत टाईगर रिजर्व क्षेत्र है, जो कि 6 बजे मैनपुर से देवभोग जाने के लिए गाड़ियां आती-जाती हैं तो जो सामग्री की गाड़ियां है, उसे आने-जाने में प्रतिबंधित किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैनपुर से धुरवागुड़ी तक की जो रोड़ है, वह सिंगल रोड है और 7 किलोमीटर की दूरी है, वह जंगल क्षेत्र है तो वहां पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा आने-जाने के लिए मना कर दिया गया है और शादी का सीजन रहता है तो कई लोगों को जरूरी काम से जाना पड़ता है तो कम से कम मानवता के नाते आने-जाने की प्रतिबद्धता में रोक लगाई जाये ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा सत्र का आखिरी दिन है। इस सत्र में अफीम की खेती की चर्चा बड़ी जोरों से सत्र में उठा है। दुर्ग का मामला उठा, बलरामपुर जिले में 2 जगह अफीम की खेती मिला। अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई कि आज तमनार में भी अफीम की खेती हो रही है। आरोपी को पकड़ा गया है। पूरे प्रदेश में, दुर्ग से लेकर बलरामपुर और अब रायगढ़ जिले तक में अफीम की खेती हो रही है और बहुत व्यापक मात्रा में खेती हो रही है। मैंने इसमें ध्यान आकर्षण दिया था, लेकिन उसे स्थान नहीं मिला। यह एक गंभीर मामला है। इस मामले में सरकार की तरफ से सो मोटो वक्तव्य आना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। इतना व्यापक रूप से अफीम की खेती कैसे हो रही है ? यह किनके देखरेख में हो रहा है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सभापति महोदय, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- सभापति महोदय, दो-तीन महीनों से बी.एड., डी.एड. की छात्र-छात्राएं अपनी नौकरी को लेकर आंदोलन पर हैं, अनशन पर हैं। सरकार उन पर विचार करें और उनका कुछ न कुछ हल करें। यहीं छत्तीसगढ़ की छात्र-छात्राएं हैं। इस पर विचार करें।

द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के बागबाहरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र में 14 तारीख को नैतिक यादव 5 वर्ष को डी.पी.टी. का टीका लगाया था। टीका लगने के बाद शाम 4 बजे उसका स्वर्गवास हो जाता है।

सभापति महोदय :- आपने इसको पहले बताया था न ? इसके पहले बात आई थी क्या ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, मैं कल जरूर ध्यानाकर्षण लगाया था।

सभापति महोदय :- कल आपकी बात आई थी न ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं। मैं कल इसमें जरूर लगाया था।

सभापति महोदय :- मुझे याद आ रहा है कि कल बात आ गई है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, मैंने बोलना चाहा, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी थी। माननीय सभापति महोदय, मामला इसलिए गंभीर है कि पूरे प्रदेश में डी.पी.टी. का टीका लग रहा है। अगर वह टीका गलत है, बालोद में जो हुआ था, वही स्थिति पूरे प्रदेश में हो सकती है। इसलिए मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी तत्काल जांच कराई जाये। यह जो डी.पी.टी. का टीका की घटना बागबाहरा में घटी है, प्रदेश के और दूसरे बच्चे इसके शिकार न हों।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मंत्री जी, उक्त टीका 16 तारीख को लगा। दो बच्चों को टीका लगा था, लेकिन उस वैक्सीन को 14 तारीख को खोल दिया गया था। हालांकि यह बताया गया है कि उसकी 27 दिन की अवधि है। मामला बहुत गंभीर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इसमें आप तत्काल ध्यान देवें।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि बीजापुर जिला सबसे संवेदनशील जिला है और दूरस्थ जिला है। लेकिन पिछले लंबे समय से, लगातार 8 महीने से दो जिला शिक्षा अधिकारी एक ही कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहे हैं। दोनों ही जिला शिक्षा अधिकारी बराबर कार्यों का आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे वहां पर शिक्षा व्यवस्था संचालित करने में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लगातार दोनों एक ही कार्यालय में बैठकर एक ही दिन में आदेश जारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप ऐसा आदेश करें कि कोई भी एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्य करें, जिससे विवाद की स्थिति न हो। वहां पर पिछले 8 महीने से काम चल रहा है।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं भानुप्रतापुर के स्वास्थ्य केन्द्र की बात रखूंगी। क्योंकि वहां बहुत दिनों से एक्सरे की मशीन बंद है। कल परसों की घटना है, वहां एम्ब्युलेंस की सेवा है, वहां मरीजों से पैसा लिया जाता है, ऐसा सुनने में आया है। स्वास्थ्य मंत्री जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानुप्रतापुर का मामला है।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री भूपेश बघेल :- तो आज कुछ स्पेशल है ?

सभापति महोदय :- आज मुख्यमंत्री जी की ओर से है तो निश्चित रूप से आपकी चिंता की है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय ओ.पी. चौधरी जी बैठे हैं। मैं उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- क्या है कि आपको भाजी खाना है, आपको मुनगा खाना है, आपको बड़ी खाना है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैं आपसे समय लेना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी बार-बार हाउसिंग बोर्ड के मामले में बोलते हैं, आपकी सरकार के समय के जितने लोन हम पटा रहे हैं, मैं आपके संज्ञान में ले आना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड में 5 साल में हम लोगों ने न कोई लोन लिए, न कोई कॉलोनी बनाए। जो भी हो, आप ही के शासन काल का था, जिस समय विधान सभा अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसी समय के लोन हैं, उसको आप थोड़ा सा सुधार कर बोला करें ।

सभापति महोदय :- श्री रिकेश सेन, ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- आपके 5 साल का हम पटा रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जितना पटा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही पट गया।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइए। रिकेश सेन जी।

श्री ओ.पी.चौधरी :- पटा कुछ नहीं है।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार से है :- वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यहां मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अधिक है। क्षेत्र की छात्राओं और युवाओं में..।

श्री भूपेश बघेल :- रिकेश जी, आजकल मार्केट में एक नया वीडियो आया है ।

श्री रिकेश सेन:- हां जी, आजकल एडिट बहुत हो रहा है और A.I. ज्यादा हो रहा है। F.I.R. करवा दिया हूं।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा? पुराना वाला?

श्री रिकेश सेन :- हां वही वाला।

श्री भूपेश बघेल :- ये तो नया वाला है, पुराना वाला क्या है?

श्री रिकेश सेन :- मैंने कल F.I.R. करवाया है।

श्री रामकुमार यादव :- ब्लैक कमांडो मिलिस कि नहीं मिली? ब्लैक कमांडो?

श्री उमेश पटेल :- रिकेश जी के तो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक पुराना वाला और एक नया वाला।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, एक मिनट बैठ जाइए।

समय :

12.11 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्य सूची में 71 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष महोदय के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत् शामिल किया गया है, इनमें से क्रमश: प्रथम 2 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जाएगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

पहले क्रमांक 1 से 2 तक की सूचना ली जावेगी। श्री रिकेश सेन।

<u>(1) जिला दुर्ग वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में।</u>

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है : -

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यहां मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अधिक है। क्षेत्र की छात्राओं और युवाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति रुझान है, किंतु स्थानीय स्तर पर सरकारी नर्सिंग (GNM) प्रशिक्षण केंद्र न होने के कारण उन्हें निजी संस्थानों की भारी फीस भरनी पड़ती है या दूरदराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की भारी मांग है। वैशाली नगर में जी.एन.एम. केंद्र खुलने से स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और स्वास्थ्य सेवाओं में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। इस केंद्र की स्थापना से क्षेत्र के समीपवर्ती अस्पतालों को भी प्रशिक्षित स्टाफ की सेवाएं सुलभ होंगी, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस संबंध में आज दिनांक तक निराशा की स्थिति बनी हुई है। इससे क्षेत्र की जनता में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है, कि वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यहां मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अधिक है। क्षेत्र की छात्राओं और युवाओं में स्वास्थ्य

सेवाओं के प्रति रुझान है, किंतु यह सही नहीं है, कि स्थानीय स्तर पर सरकारी नर्सिंग (GNM) प्रशिक्षण केंद्र न होने के कारण, उन्हें निजी संस्थानों की भारी फीस भरनी पड़ती है या दूरदराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, अपितु सही यह है, कि जिला दुर्ग अन्तर्गत जिला चिकित्सालय के समीप 01 शासकीय जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (GNM) प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जिसकी प्रतिवर्ष सीट क्षमता 30 है। वर्तमान में उक्त केन्द्र में कुल 88 छात्रायें अध्ययनरत हैं एवं सभी ग्रामीण तथा निम्न वर्ग के हैं। ये संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद (आई.एन.सी.), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। इन संस्थाओं में प्रतिवर्ष ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से बारहवीं प्राप्तांको की प्रावीण्यता एवं जीवविज्ञान विषय वालों को प्राथमिकता के आधार पर विद्यार्थियों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है। शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र दुर्ग को नवीन भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दुर्ग जिलें में 01 शासकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित है, जिसमें प्रतिवर्ष 65 (50+15) छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान है।

यह सही है, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की भारी मांग है, जिसकी आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदेश में 14 शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र, जिनकी क्षमता 480 प्रशिक्षणार्थी है, का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज 547 सीटों के साथ प्रदेश में संचालित हैं एवं विगत दो वर्षों में 14 नर्सिंग कॉलेज 700 सीटों की संख्या के साथ संचालन हेतु स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में 22 नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे। इसके साथ ही पेन आई.आई.टी. के साथ एम.ओ.यू. कर प्रदेश में आगामी वर्षों में 120 सीटर 10 जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 1200 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक नर्सिंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और स्वास्थ्य एवं नर्सिंग सेवा में करियर बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश में 47 निजी जी.एन.एम. कॉलेज 1640 सीटों की क्षमता के साथ संचालित हैं। इस तरह से प्रदेश में संचालित शासकीय एवं निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों एवं कॉलेजों की सफल संचालन से क्षेत्र के समीपवर्ती अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ की सेवाएं सुलभ हो रही हैं एवं क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय एवं निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र एवं कॉलेजों के सफलतापूर्वक संचालन के कारण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर निरंतर प्राप्त हो रहे हैं।

अतः क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश का बजट पढ़ लिया, लेकिन मैंने दुर्ग जिले और वैशाली नगर के विषय में उनका ध्यानाकर्षण कराया था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एकमात्र जी.एन.एम. सेंटर दुर्ग चिकित्सालय में था, जहां पर बच्चे हॉस्टल के रूप में पर पढ़ते थे और वहीं पर प्रशिक्षित होते थे। लेकिन

वह जी.एन.एम. हॉस्टल बहुत जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से अब बच्चों को दूसरे शासकीय भवन में रहना पड़ रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, उस बिल्डिंग पर अभी सैकड़ों की संख्या में बच्चे रह रहे हैं। उनके पास आज दिनांक तक कोई रहने की व्यवस्था नहीं है और कई किलोमीटर से उनको पैदल चलकर आना पड़ता हैं। लगातार दो वर्षों से अखबारों में समाचार छपता है कि उस हॉस्टल के लिए 14 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा गया है, लेकिन आज दिनांक तक न कलेक्टर महोदय के पास और न ही स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन व सी.एम.एच.ओ. के पास किसी भी प्रकार का बजट आवंटन की कॉपी नहीं पहुंची है, जिससे वहां के लोगों में काफी रोष है। मेरा निवेदन यह है कि वैशाली नगर विधान सभा के संबंध में आपने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर मैं पूरे दुर्ग संभाग में प्रमुखता से दुर्ग जिले की बात करूं तो वहां पर हॉस्टल है ही नहीं, ऐसे स्थिति में आप क्या वहां के लिए क्या करना चाहेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं अखबारों की बात तो नहीं कर सकता, परंतु इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उसके लिए भवन का प्रावधान किया गया है और आने वाले समय में हम शीघ्र ही उसकी प्रक्रिया, प्रशासकीय स्वीकृति और टेंडर करके उसका निर्माण करेंगे।

श्री रिकेश सेन :- माननीय मंत्री जी, अभी आपने कहा कि भवन का इस बजट में प्रावधान रखा गया है, लेकिन आपने पिछली बार भी कहा था कि उसके लिए 14 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान गया नहीं है। लगातार दो वर्षों से सैकड़ों बच्चे निरंतर दूसरे शासकीय भवन में रह रहे हैं, जिसका उपयोग किसी दूसरे कामों के लिए किया गया था। क्या सरकार का, जिले का यहां ध्यान नहीं जाता है कि सैकड़ों बच्चे, जिसमें लड़कियां भी हैं, जो प्रशिक्षित होने के लिए वहां पर पढ़ने जाती हैं, उन लोग बिना हॉस्टल वहां पर रह रहे हैं? उनके लिए वहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इसकी भी चिंता करने का काम नहीं करना था? दूसरा यह विषय है कि यह ट्रेनिंग सेंटर का भवन अस्पताल के कैम्पस में इसीलिए बनाया जाता है ताकि वहां पर बच्चों को आसानी से प्रशिक्षित किया जा सके। इसलिए इसके लिए बजट में जो प्रावधान रखा गया था, उसकी कॉपी आज दिनांक तक जिला कलेक्टर या बाकी जगह यह क्यों नहीं पहुंच पायी है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से जायज है। वह जिस भवन की बात कर रहे हैं, वह पिछले समय में नर्सिंग कॉलेज के लिए भवन था। उसका टेंडर हो गया है और उस जिले के विधायकों के साथ हम लोगों ने भूमि पूजन भी किया है। वह भवन कोर्सेवाड़ा जी के विधान सभा क्षेत्र में आता है। वे भी बार-बार बोल रहे हैं कि करना है और वह हो गया है। लेकिन रायपुर और दुर्ग का जो जी.एन.एम. सेंटर है, वह दशकों से चालू है। आज तक किसी ने उसकी चिंता नहीं की, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं

कि इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में दुर्ग के साथ रायपुर जिले का भी 27 करोड़ 86 लाख रुपये के भवन का पूरे सेटअप के साथ स्वीकृत है और आने वाले वित्तीय वर्ष अप्रैल से उसकी प्रक्रिया पूरा करके उसका जल्दी निर्माण करायेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, अगर स्वीकृत है और आप कह रहे हैं कि टेंडर हो चुका है तो मेरे जिला कलेक्टर को, मेरे सिविल सर्जन को, मेरे सी.एम.एच.ओ. को इसकी जानकारी क्यों नहीं है ? निविदा कहां हुआ है, क्या राज्य शासन से हो गया है या कहीं और से हो गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य समझ नहीं पा रहे हैं, जो पहले स्वीकृत है वह नर्सिंग कॉलेज का है ।

श्री रिकेश सेन :- मैं जेएनएम की बात कर रहा हूँ, जेएनएम के हॉस्टल की बात कर रहा हूँ ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, हॉ, मैंने पहले बोला भी है कि उसके पहले कोई स्वीकृत नहीं था । यह बजट वर्ष 2026-2027 में अभी स्वीकृत हुआ है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देने में जल्दी कर दिये हैं । अभी केवल बजट में सम्मिलित हुआ है, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिला है । आप पूर्व के बजट को देख लीजिए ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, पिछले साल के सारे नर्सिंग कॉलेज, सारे हॉस्पीटल, सभी का 100 प्रतिशत प्रशासकीय स्वीकृति मिला है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने उसमें दे दिया है, लेकिन आपने तीसरा बजट प्रस्तुत किये हैं, कितनी संख्या में दो साल के बाद हर विभाग में बजट से बाहर हो गया है, इसलिये केवल बजट में सम्मिलित करना पर्याप्त नहीं है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रिकेश जी को पूछने दीजिए ?

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार निविदा होगी ?

सभापति महोदय :- आप तो पहले मंत्री जी को धन्यवाद दो । बजट में शामिल किये हैं इसलिये पहले धन्यवाद दो ।

श्री रिकेश सेन :- मंत्री जी को अभी कहां धन्यवाद मिलेगा ? हमारी सैकड़ों बच्चियां वहां अनाथ टाईप रह रहे हैं, वह बच्चे साल भर से प्रताड़ित हैं, उनमें भी जो अधिकारी मंत्री महोदय को ध्यान आकर्षित नहीं कराये हैं, वहां की बिल्डिंग जजैर अवस्था में है, वह वहां रह रहे हैं, आप क्या संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहरायेंगे? यह बच्चियों का सवाल है, वहां 100 से अधिक बच्चियां है और सोचिये उनके पास छत नहीं है । साल भर हो गये हैं, इसकी किसी ने चिन्ता नहीं की है, इसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाये तो मैं दूसरा विषय रखूँगा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें अधिकारियों का क्या दोष है, इसमें कई वर्षों से रिकेश सेन जी...।

श्री रिकेश सेन :- यानी सैकड़ों बच्चे इस प्रकार से रह रहे हैं तो उसमें अधिकारियों का कोई दोष नहीं है ? उनके पास छत नहीं है और बिल्डिंग आपकी जर्जर है, हमारे पास गैमे फण्ड है, उससे भी इस बिल्डिंग का काम कराया जा सकता था । हमारे पास आय के बहुत सारे स्त्रोत है, जिससे वह काम हो सकता था । अगर साल भर से सैकड़ों बच्चियों के पास छत नहीं है, बाथरूम नहीं है, वह ऐसी स्थिति में रह रही हैं, क्या इसमें अधिकारी दोषी नहीं है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, जब रिकेश सेन जी हाफ पेंट पहनकर प्राइमरी स्कूल जाते होंगे, जेएनएम स्कूल उस समय का है और उस समय से बदहाल अवस्था में है । हमारी सरकार आने के बाद माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में दो साल के भीतर इतनी बड़ी राशि स्वीकृत कर दी है तो माननीय सभापति महोदय, इसके लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देनी चाहिये तो इसमें कहां से अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अगली बार अवश्य धन्यवाद दूँगा । अगर निविदा होगी, हॉस्टल बनेगा तो जरूर धन्यवाद दूँगा । वैसे भी माननीय मंत्री जी ने मेरे विधान सभा में दो-तीन घोषणायें की थी, जहां लालबहादुर शास्त्री हॉस्पीटल के प्रश्न को लेकर बहस भी हुई थी और आपने सदन में घोषणा किया था कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पीटल सुपेला में इस बजट में डंके की चोट पर 100 बिस्तर का हॉस्पीटल बनेगा और सदन ने ताली बजाया था, लेकिन उसके बावजूद भी बजट में...।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण में है क्या ?

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, मैं ध्यानाकर्षण में जोड़कर ही बता रहा हूँ।

सभापति महोदय :- श्री हीरा सिंह मरकाम ।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बार निश्चित रूप से मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा, अगर आपने हॉस्टल बना दिया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- बिल्कुल, वैसे मैं बता दूँ कि वह ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है । मैंने वित्त मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसलिये धन्यवाद दिया है कि हमारे बजट में जैसे कि पांच मेडिकल कॉलेज है, उसमें सारे टेण्डर लगभग हो गये हैं । नर्सिंग कॉलेज पिछले समय इन्होंने 12 दिये थे, वह 12 के 12 टेण्डर हो गये हैं, जितने भवन दिये थे वह सब के हो गये हैं । आप विश्वास रखिये, आप के दुर्ग के ही कोर्सेवाड़ा जी का हुआ है तो यह भी हो जायेगा।

सभापति महोदय :- श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम ।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम :- (अनुपस्थित)

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (71) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे । सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा ।

3. श्री सुनील कुमार सोनी
4. श्री कुंवर सिंह निषाद
5. श्री सुनील कुमार सोनी
6. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री सुशांत शुक्ला
9. श्री शेषराज हरवंश
10. श्री प्रबोध मिंज
11. श्री अटल श्रीवास्तव
12. श्री दलेश्वर साहू
13. श्री दिलीप लहरिया
14. श्री बालेश्वर साहू
15. श्रीमती विद्यावती सिदार
16. श्रीमती कविता प्राण लहरे
17. सर्वश्री लखेश्वर बघेल, कवासी लखमा, विक्रम मण्डावी
18. सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश
19. श्री ब्यास कश्यप
20. श्रीमती चातुरी नंद
21. श्री लखेश्वर बघेल
22. श्री ओंकार साहू
23. श्री अजय चन्द्राकर
24. श्री अजय चन्द्राकर
25. श्री बालेश्वर साहू
26. श्री लखेश्वर बघेल
27. श्री रामकुमार यादव
28. श्री प्रबोध मिंज
29. श्री पुन्नू लाल मोहले

30. श्री राजेश मूणत
31. श्री राजेश मूणत
32. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
33. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
34. श्री संदीप साहू
35. श्री संदीप साहू
36. सर्वश्री विक्रम मण्डावी, कवासी लखमा
37. श्री दीपेश साहू
38. सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, दलेश्वर साहू
39. श्री संदीप साहू
40. श्री बालेश्वर साहू
41. श्री भूपेश बघेल
42. श्री विक्रम उसेण्डी
43. श्री सुशांत शुक्ला
44. श्रीमती भावना बोहरा
45. श्री रामकुमार टोप्पो
46. श्री नीलकंठ टेकाम
47. सर्वश्री विक्रम मण्डावी, कवासी लखमा
48. श्रीमती चातुरी नंद
49. श्री भूपेश बघेल, डॉ. चरणदास महंत
50. सुश्री लता उसेण्डी
51. सुश्री लता उसेण्डी
52. सुश्री लता उसेण्डी
53. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
54. श्री विक्रम उसेण्डी
55. श्रीमती अंबिका मरकाम
56. श्री मोतीलाल साहू
57. सुश्री लता उसेण्डी
58. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
59. श्री कुंवर सिंह निषाद

60. श्री द्वारिकाधीश यादव
61. श्री द्वारिकाधीश यादव
62. श्री भूपेश बघेल
63. श्री चैतराम अटामी
64. श्री जनक ध्रुव
65. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
66. श्री ललित चन्द्रा कर
67. श्री रामकुमार टोप्पो
68. श्रीमती रायमुनी भगत
69. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
70. श्री रोहित साहू
71. डॉ. चरणदास महंत, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री कुंवर सिंह निषाद.

समय :

12.25 बजे

<u>नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- नियम 267 "क" को शिथिल कर आज मैंने सदन में 31 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. श्री रिकेश सेन (4 सूचनाएं)
2. श्री भोलाराम साहू
3. श्रीमती चातुरी नंद (4 सूचनाएं)
4. श्री ब्यास कश्यप
5. श्री विक्रम मंडावी
6. श्री कवासी लखमा
7. श्री बघेल लखेश्वर (2 सूचनाएं)
8. श्रीमती शेषराज हरवंश
9. श्री रोहित साहू (2 सूचनाएं)
10. श्री संदीप साहू
11. श्रीमती रायमुनी भगत (2 सूचनाएं)
12. श्री दलेश्वर साहू (2 सूचनाएं)

13. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (2 सूचनाएं)
14. श्री ओंकार साहू
15. श्री बालेश्वर साहू (2 सूचनाएं)
16. श्रीमती अंबिका मरकाम (3 सूचनाएं)
17. श्री जनक ध्रुव

समय :

12.26 बजे

<u>प्रतिवेदन की प्रस्तुति</u>

<u>"पी.डी.एस. के तहत संचालित दुकानों की जांच" हेतु सदन द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति</u>

सभापति महोदय :- दिनांक 6 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य मंत्री जी से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 01, (क्रमांक - 58) पर ''पी.डी.एस. के तहत संचालित दुकानों की जांच'' हेतु सदन द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन श्री पुन्नूलाल मोहले, सभापति प्रस्तुत करेंगे।

सभापति (श्री पुन्नूलाल मोहले) :- सभापति महोदय, मैं तारांकित प्रश्न संख्या - 01, (क्रमांक - 58) दिनांक 6 फरवरी, 2024 की ''पी.डी.एस. के तहत संचालित दुकानों की जांच'' पर सदन द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :

12.27 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :

1. श्री सुशांत शुक्ला
2. श्री मोतीलाल साहू
3. श्री उमेश पटेल
4. श्रीमती चातुरी नंद
5. श्री इंद्र शाह मंडावी
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा
8. श्री ललित चंद्राकर

समय :

12.27 बजे

शासकीय विधि विषय कार्य

सभापति महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उपनियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर: स्थापन विचार एवं पारण के लिए अनुमति प्रदान की है तथा चर्चा के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया है।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी जी, वाणिज्यिक कर मंत्री।

(1) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए।

(अनुमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी जी, वाणिज्यिक कर मंत्री।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पर विचार किया जाए

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पर विचार किया जाये। मंत्री जी, क्या अभी इस पर कुछ बोलेंगे ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- मैं लास्ट में डिटेल बोल दूंगा।

सभापति महोदय :- ठीक है। श्रीमती अनिला भेड़िया।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी जो उपकर संशोधन लाए हैं, मैं उनकी चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। जो राजीव मितान क्लब योजना संचालित नहीं हुआ है, वह इसलिए क्योंकि यह कांग्रेस का लाया हुआ है और राजीव गांधी जी के नाम से है, इसलिए आपने यह संशोधन लाया है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस राजीव गांधी मितान योजना के तहत हम लोगों ने युवाओं को आगे लाने की, उनकी संस्कृति को आगे लाने की कोशिश की है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के खेलकूद को बढ़ाने का प्रयास किया है। आप लोग तो ऐसे लगता है कि इनका घोर विरोधी हैं, क्योंकि आप लोग युवा वर्ग और आदिवासियों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इस उपकर संशोधन विधेयक को लाये हैं। आप यह जो उपकर संशोधन विधेयक लाये हैं, क्या आप इसमें बहुत सी चीजों में संशोधन करेंगे? जैसे गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट में भी लगा था, इसमें पुराने काम का आपने पेमेंट भी नहीं किया है तो क्या आप इसमें भी संशोधन करेंगे? बहुत से क्षेत्रों में लगा है, शराब के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सी योजनाओं में उपकर लगा है तो क्या आप सभी में उपकर में संशोधन करेंगे और उसको समाप्त करेंगे? मैं माननीय महोदय से यह जानकारी सुनना चाहूंगी। यदि आप उपकर में संशोधन लाये हैं तो आपने सभी योजनाओं में जो उपकर लगाये हैं, क्या उसको खत्म करेंगे? यदि करेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लेखन में यहां पर एक चीज का वर्णन है तो हम लोग चाहते हैं कि सभी चीजों में आप उपकर को कम करें और जिसमें भी कम हुआ है, उसके लिए आपको धन्यवाद और जिसमें नहीं हुआ है, यदि आप उसमें भी कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी है। यह जो राजीव गांधी मितान योजना है, उसे आप संचालित करें ताकि हमारे युवा साथियों को इसमें आगे बढ़ने की, उनके कला को, उनके खेलकूद को और आदिवासी क्षेत्रों में हमारे आदिवासियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर।

समय :

12.33 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, यदि मैं राजीव मितान क्लब से शुरू करूंगा तो आप बोलेंगी कि विधेयक में राजनीति हो रही है। इसलिए मैं उसको आखिरी में बोलूंगा। अभी

ओखर बारे में बताहुं। उद्देश्य में बढ़िया लिखा हे, सब सदस्य अउ पूरा सदन ओला पढ़े अउ जाने कि ओ रीहिस का? माननीय वित्त मंत्री जी, आप 148 करोड़ रुपये का घाटा उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने व्यवस्था की है, स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण के बाद, भाग-3 व धारा-8, 9 का विलोपन किया है। स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण पर उसको हटाकर उपकर को समाप्त करने का जो आपने प्रस्ताव किया है तो अब यदि रजिस्ट्री में उपकर नहीं देना पड़ेगा तो रजिस्ट्री सस्ती होगी तो इनडायरेक्ट इनकम आपकी बढ़ेगी। आप चिंतित मत होइये कि आपको 148 करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है। रजिस्ट्री के सरलीकरण से तो फायदा होगा ही। वैसी अनुसूची का आपने विलोपन किया है। आप देखिये कि इसमें अनुसूची है, धारा-9(1)। अनुसूची से हटाकर स्टाम्प शुल्क के अलावा इसके बाद कोई कर देना नहीं पड़ेगा। यदि कर देना नहीं पड़ेगा तो फिर जो लेन-देन की लागत घटेगी, उससे रियल स्टेट बाजार में भी सक्रियता आएगी, आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मेरे ख्याल से यही प्रभाव आएंगे। जब यह प्रभाव आएंगे तो आपको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जो घाटा दिख रहा है, उस घाटे की प्रतिपूर्ति निश्चित रूप से बाजार में लिक्विडिटी आएगी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वैसे ही उपकर के जो आपके अधिनियम थे, अधिसूचना जारी होने के बाद मेरे ख्याल से अब नये नियम लागू होंगे। तो कर प्रणाली की जो स्पष्टता है, सरलता है, कर प्रणाली जितनी सरल होगी, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहे, गुड गवर्नेंस के लिए कहे, किसी भी चीज के लिए कहे तो कर का सरलीकरण आज की दुनिया की, प्रशासन की सबसे महती आवश्यकता है और उस ओर आप लगातार बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तीन महत्वपूर्ण विषय थे, जो इस विधेयक में हैं। इससे बाजार से लेकर, प्रशासन से लेकर आम नागरिक को सुविधा होगी। अब जो महत्वपूर्ण विषय है जो आपने उठाया-छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। पूरे स्टाम्प शुल्क में पांच प्रतिशत उपकर देय था, वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना से संबंधित प्रयोजन के संपत्ति के अंतरण पर उपकर शुल्क बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया था। माता जी, उर्फ भाभी जी, उर्फ वरिष्ठ विधायक महोदया।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें क्या आपत्तिजनक है ?

श्री भूपेश बघेल :- इनका नाम श्रीमती अनिला भेंडिया जी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, मैंने सम्माननीय विधायक महोदया भी बोला है।

श्री भूपेश बघेल :- यह उर्फ, उर्फ लगाने का क्या मतलब है ? क्या उन्हें उस नाम से जाना जाता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, जी, मैंने आपकी आपत्ति स्वीकार कर ली।

श्री भूपेश बघेल :- आगे ध्यान रखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा ध्यान रखूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- हां, किसी सदस्य को अपमानित न करें।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- वह सम्मान कर रहे थे।

श्री भूपेश बघेल :- ओ.पी. चौधरी जी, यह सम्मान करने का तरीका तो नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनका कहना है कि हाउस के अंदर सरकारी या औपचारिक या संवैधानिक भाषा बोलना है, व्यक्तिगत लैंग्वेज के लिए लॉबी है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैंने इससे पहले भी आपको ऐसा संबोधन कई बार दिया हैं, लेकिन आप पहली बार आपत्ति ले रहे हैं। अब आप यह बताइए यह दोनों 12 प्रतिशत उपकर में आदिवासी कहां से जुड़ गए?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह हमारे युवा आदिवासी क्षेत्र में भी होता था ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- हर बात में जात-पात नहीं लाना चाहिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग जात-पात और धर्म की बात करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय विष्णु देव साय जी के राज में कोई भी आदमी उपेक्षित नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? मुख्यमंत्री जी के राज में सबका सम्मान है, सबका विकास है। माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपकी अनुमति से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी मितान क्लब को लोक धन के, टैक्स के 12 प्रतिशत में से जो भी अंश राशि दी गई, वह दी गई। इस राजीव गांधी मितान क्लब का गठन हुआ तो उसका पंजीयन हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं आपको विधान सभा के उत्तर में दिखा देता हूं कि एक अपंजीकृत संस्था को 52 करोड़ रूपये दे दिए गए। मैंने उस दिन विनियोग में बोला था कि उस संस्था को 52 करोड़ रूपये दे दिए गए और उसका ऑडिट भी नहीं किया गया। अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति की पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक स्वेच्छाचारिता के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने के लिए उपकर लगाकर छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता का शोषण करके आप अपना राजनीतिक एजेंडा चलाएंगे? क्या लोक धन इसके लिए है? यह अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि आपने ढाई साल बाद इस विधेयक को कैसे लाए? आप तो प्रशासन-शासन दोनों को समझते हैं और आप जनता के भी प्रतिनिधि हैं, आपका तो इसे पहले लाना था। मंत्री जी, जब आप उत्तर देने खड़े होंगे, जैस कि माननीय विधायक महोदया ने मांग की तो आपके उत्तर में इस बात की जानकारी चाहिए और मैं इसको जरूर सुनना चाहूंगा कि इसका पंजीयन था कि नहीं था? इसको कितने पैसे कौन से नियम के तहत दिए गए? यदि पैसे दिए गए तो उसका क्या उपयोग किया गया? उसका ऑडिट क्यों नहीं किया गया? यदि ऑडिट नहीं किया गया तो जो जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होगी कि नहीं होगी? उनसे वसूली होगी कि नहीं होगी? कृपया स्पष्ट करेंगे। मंत्री जी, आपने जो तीनों संशोधन लाए हैं, उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी और आपको अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व की भी प्राप्ति होगी। यदि आपको

थोड़ी बहुत कम राजस्व की भी प्राप्ति होती है, तो 1 करोड़ 148 लाख रूपये जो वसूल हुए, वह तो पानी में गए। उसका जनता के उपयोग के लिए कहीं पर उसका उपयोग नहीं हुआ। जितना पैसा आएगा और यदि आपको थोड़ा बहुत कम भी आएगा तो वह पैसा जनता के हित में जाएगा। किसी के जेब खर्चे के लिए, राजनीतिक इच्छापूर्ति के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता का धन नहीं जाएगा। आप ऑडिट में पूरी गतिविधियों का अध्ययन करवाईएगा कि उस पैसे का, 52 करोड़ रूपये का क्या-क्या उपयोग किया गया ? इसलिए मैं सुनना चाहूंगा और मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पंजीयन हुआ था या नहीं हुआ था ? कितने पैसे किन उद्देश्यों के लिए दिए गए और वह पैसे उन उद्देश्यों में खर्च हुए कि नहीं हुए? यदि नहीं हुए तो क्या जिम्मेदार लोगों से वसूली होगी, उनके ऊपर कार्यवाही होगी? क्या अपंजीकृत संस्था को ये पैसे दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते? मंत्री जी, आपने इसे देर लाया लेकिन आपने सही कदम उठाया, उसके लिए मैं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, जब भी हमन देखथन कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी हर सरकार में आथे, तो कानून में ये संशोधन करना है, वह संशोधन करना है। वह खाली दिखावा के लिए करते हैं। इस सदन में जब-जब भी कोई भी विधेयक लाथे, में हर देखे हन कि ये मन अभी कई ठन में लाथे, यहां हमर विशेषज्ञ, हमर नेता जी बैठे हैं, हमर पूर्व मुख्यमंत्री जी अउ उमेश पटेल जी बैठे हैं, ओ मन हर बारीक ला जानथे, में हर तो मोटी बात जानथो। आप मन 12 प्रतिशत ला 5 प्रतिशत करे हन, ओकर लिए ठीक है। लेकिन जब-जब भी आप मन गरीब के लिए कुछु नियम बनाये हन, ओला ओकर लाभ नई मिले हे अउ उद्योगपति के लिए करथन तो ओही दिन मे मिल जाथे। जैसे कि अभी आप मन रजिस्ट्री में गरीब आदमी मन ला छूट मिलही कही के कानून बना दे हन। अभी-भी हमन ला विधान सभा में गोठियाए बर मजबूर हो गेन कि ओकर लाभ कब ले मिलही, ओकर लाभ कब ले मिलही। लेकिन जब-जब भी आप मन अमीर के लिए कुछु बनाये हन, तो ओ हर तुरंत लागू हो जाथे। अभी 5 मिनट में फॉलो कर लिस। सभापति महोदय, मोर आपसे निवेदन है कि आप मन जो ये विधेयक लाने हावव न कि ये योजना के लाभ गरीब मन ला मिलय, खाली कागज मा झन सीमित रहय । अइसे मैं आपसे निवेदन करते हुए, चूंकि छत्तीसगढ़ के भला आप भी चाहत हओ, हम भी चाहत हन । आप सरकार में बइठे हओ, तुंहर कलम में पॉवर है लेकिन हम इंहीं मेर बइठे हन । आप मन के संग देबो, अच्छा काम करिहा ता और बिल्कुल ऐमा अगर आम आदमी के भला रइही ता साहब हमन ला कोई आपत्ति नइ हे । हम कभी आम आदमी के न बुरा चाहे हन, न कभू चाहन । भले तुमन उद्योगपति ला आगे बढाहा ता ओमा हमन नइ रहन । गरीब ला आगे बढ़ाहा, किसान ला तो हमन स्वयं साथ देबो । माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका दे हओ एखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा जी ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के समर्थन में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, एक समय था कि जो हमारे क्षेत्र के लोग जनप्रतिनिधियों से मिलने आते थे तो सबसे बड़ा काम होता था नामांतरण कराने का और वह लगातार कहते थे कि मोर नामांतरण करा दओ भैया लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा कि जनता की समस्या को समझते हुए और समय के साथ चलते हुए नामांतरण को राजस्व कार्यालयों में जो पटवारी तहसील कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था उससे छूट दिलाते हुए एक बहुत समय जो लगता था इसलिये पंजीयन विभाग और राजस्व विभाग की प्रणालियों में आपस में जोड़ा गया और रजिस्ट्री के साथ स्वत: नामांतरण की व्यवस्था शुरू की गयी । ऐसे सभी प्रयास इसमें हुए हैं, स्वत: राजस्व अभिलेखों में पहुंच जाता है, राजस्व विभाग के अभिलेखों में पहुंच जाता है और अभी तक लगभग 1 लाख 50,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री के साथ-साथ आमंत्रण सफलतापूर्वक हो चुका है । यह बड़े रिफॉर्म्स हैं, समय के साथ चलने वाला है, समय बचाने वाला है, लोगों को सुविधा देने वाला है, एक बड़ी चीज यह कि अब आप रजिस्ट्री करायेंगे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स मिल जा रहे हैं, आपको एपांइटमेंट मिल जा रहे हैं, आपका समय खराब नहीं हो रहा है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिल जाने वाली व्यवस्था, इस रिफॉर्म ने यह बहुत समय के साथ जो यह परिवर्तन लाया है उसके लिये मैं बहुत बधाई दूंगा । बहुत सारी जटिलताएं होती थीं । लोगों पर आर्थिक भार पड़ता था, पहले पारिवारिक दान, हक त्याग, बंटवारा जैसे दस्तावेजों के पंजीयन शुल्क में बड़ा परिवर्तन किया गया, 500 रूपये कर दिया गया, संपत्ति के मूल्यांकन में बड़ा परिवर्तन आया, दो फसली भूमि, व्यावसायिक फसल, बोरवेल, कुंआं, बाउण्ड्रीवॉल, प्लेन तथा अन्य संरचनाओं के आधार पर जो अतिरिक्त मूल्यांकन किया जाता था उसका सरलीकरण किया गया । प्रावधानों को आसान बनाया गया, पहले बड़ी बिल्डिंग्स में मूल्यांकन के पहले बिल्टअप एरिया को आधार बनाया जाता था, व्यावसायिक परिसरों में, अपार्टमेंट्स में अब बिल्टअप एरिया को आधार बनाया जायेगा । लोगों को सुविधायें देने के लिये यह बहुत बड़ा परिवर्तन आया है । माननीय सभापति महोदय, 1982 के अंतर्गत जो संपत्ति पंजीयन पर उपकर लगाये गये थे उस पर भी जैसा कि चर्चा हो रही थी, इसमें स्पष्ट है कि क्यों उसे हटाया जा रहा है ? जनता को जो अतिरिक्त भार दिया गया था, उससे मुक्त किया जा रहा है । यह रिफॉर्म्स...।

श्री भूपेश बघेल :- अनुज जी । माननीय सभापति महोदय, हांलाकि मैं इसमें भाग नहीं ले रहा हूं लेकिन आप जो इतना लंबा-चौड़ा पढ़ रहे हैं तो मुझे एक बात याद आयी । आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आज रजिस्ट्री की स्थिति क्या है? मार्च एण्ड आ रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा है, कहीं कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वह जो रजिस्ट्री में बीच में परिवर्तन किया गया है न उसके कारण से है । अनुज महाराज, अभी स्थिति अइसे हे कि यह मेंछा मुड़ी से लाश तो हल्का नइ होवय, समझ गे न, कुल

मिलाकर बात अतके हे । तोला तकलीफ केवल राजीव जी से हे, तेखर कारण से ये आये हे, बचत में कोई फर्क नइ पड़य । हाथ कंगन को आरसी क्या ? ये रायपुर में हे, चल देते, ए तोर बगल में हे । आरंग में हे, मंदिर हसौद में रजिस्ट्री ऑफिस हे, उहां सब सन्नाटा हे। कोई जगह बिक्री-विक्री नइ होवत हे।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय महाराज जी, छत्तीसगढ़ में एक ठन अउ कहावत हे। साहब ए जरूरी चीज हे एला समझना भी जरूरी हे। मरे के बाद में मेछा उपकाए ले कुछु नइ होए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सवाल इहां पर ए हे कि आप अपन राजनैतिक इच्छापूर्ति बर, अपन आईडियोलॉजी ला स्थापित करे बर, जनता ऊपर कइसे भार डालत हौ। ए बात ला हटाये के काम हे, अउ ए महत्वपूर्ण काम ला हमर मंत्री जी अउ सरकार करत हे। तब आप ला माननीय वरिष्ठ सदस्य हे अउ पूर्व मुख्यमंत्री जी हे। ओमन ला ए मालूम हे कि ए भार जनत ला काबर डाले गे रिहिस हे, ओ पईसा के का उपयोग होवत रिहिस हे ओ पैसा के का दुरूपयोग होवत रिहिस हे, तेला छत्तीसगढ़ के जनता जानत हे, जेखर कारण कांग्रेस पार्टी ओ डहार बइठे हे। बिचौलियां मन ला कइसे उपकृत करे के काम करे गे रिहिस हे। तेखर सेती आज ओ डहार पार्टी हा बइठे हे। अउ इही बात के ध्यान रखतेव..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, का आज सबो बने होगे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल बने होगे अउ सांय-सायं हो गे हे। अउ सांय-सांय चलत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप जाकर देखव कि रजिस्ट्री में कितना परेशानी हे। गांव के मन सबेरे ले आए रहिथे, रात तक रहिथे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आप ला बता देथौ कि रजिस्ट्री के का स्थिति हे। ए बताये कि जरूरत नइ हे इहां कतका झन के नामांतरण अइसने हो गे। जेन आदमी हा गली-गली में नामांतरण बर घूमत रिहिस हे। ए प्रक्रिया ला आसान करे गे हे अउ आप चिंता मत करव। हमन चिंता करे बर पर्याप्त हन। हमर सरकार पर्याप्त हे। छत्तीसगढ़ के जनता के चिंता करे बर विष्णु देव साय जी के सरकार पर्याप्त हे। आप मन चिंता करेव तेखर बर धन्यवाद्। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनत के चिंता हमर सरकार हा कर लिही।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे बहुत सारे रिफार्म्स और 37 रजिस्ट्री के कार्यालय, स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय बनाये जाही। यहां 10 ऐसे रजिस्ट्री के कार्यालय हैं जिस पर स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय बनाया जा रहा है जिसमें ऑन लाईन अप्वाईंटमेंट की सुविधा, ए.सी., हेल्प डेस्क, यह सारी सुविधाएं नागिरकों को प्राप्त होगी। यह सरकार हर क्षेत्र में रिफार्म्स लेकर आ रही है, परिवर्तन लेकर आ रही है समय में

साथ छत्तीसगढ़ किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस विजन के साथ काम कर रही है। जब परिवर्तन आता है तो जो परिवर्तन नहीं देख पायें, जो यह नहीं कर पायें, उनको यह बात समझ में आती है कि सरकार तेजी के साथ किस तरह से रिफार्म्स ला रही है तो निश्चत रूप से उनको दिक्कत होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जिस भाव के साथ हमारी सरकार काम कर रही है यह सब उसका परिणाम है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 30 वर्षों के लगभग 32 लाख से अधिक रजिस्ट्री के दस्तावेजों का डिजिटलाईजेशन किया गया है अब सब कुछ परदर्शी है , अब वह जमाना नहीं रहा कि आपकी जिस जमीन की रजिस्ट्री हो रही है अब उसी जमीन की रजिस्ट्री होती है क्योंकि अब आपको अक्षांश और देशांतर का पूरा डिटेल होगा। अब रजिस्ट्री के सिस्टम से ऐसी त्रुटियां दूर कर दी गयी हैं। नहीं तो पहिली का हे, जमीन के रजिस्ट्री दूसर होवए अउ आदमी ला कब्जा कहीं अउ मिलए, ए स्थिति रिहस हे, ए पारदर्शिता हे, जो आम जनता को सहयोग प्रदान करेगी, उनको अपनी संपत्ति की सही जानकारी होगी। यहां खरीदने और बेचने वाले को सही जानकारी होगी, ऐसे ढेर सारे रिफार्म्स के साथ यह संशोधन आया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से यह आग्रह करता हूँ कि इसका समर्थन करते हुए, छत्तीसगढ़ को एक बेहतर बनाने का प्रयास है, उसमें सभी अपना समर्थन देंगे । यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, हर बार ऐसा ही होता है। माननीय पूर्व मंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कमेंट किया और निकल लिए। वह सुनने के लिए रूके ही नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को स्वायत्ता दी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अभी अनिला दीदी हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, चलिये। कम से कम अनिला दीदी रूकी हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो आज का अधिनिमय है जो संशोधन विधेयक है, जो अधिनियम बनने जा रहा है, अिधनियम का भाग बनने जा रहा है, उसमें जो रिफार्म्स हैं, वह इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी रिफार्म्स एक्सप्रेस की बात करते हैं और किसी भी इकानॉमी को आगे बढ़ाना है, किसी भी देश को आगे बढ़ाना है, 2047 तक अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है तो सबसे महत्वपूर्ण रिफार्म्स की भूमिका होती है, ये काम नरेन्द्र मोदी जी लगातार 12 वर्षो से कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दे रहे हैं । इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को फास्टेस्ट ग्रोईंग इकानॉमी बनाने में

सफल हुए हैं । उन्हीं के रिफार्म्स से हम प्रेरणा प्राप्त करते हुए अलग-अलग दिशा में बहुत सारे रिफार्म्स कर रहे हैं । सभापति महोदय, जहां तक कोई टैक्स की बात आती है, सेस की बात आती है तो सेस में सबसे बड़ा विषय हुआ था कि जब नरेन्द्र मोदी जी ने जी.एस.टी.लाया था तो 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस को संयोजित करते हुए एकीकृत कर प्रणाली वन नेशन, वन टैक्स की प्रणाली के साथ जीएसटी लाया (मेजों की थपथपाहट) ये रिफार्म्स है । जब हम रिफार्म्स की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में जैसा कि हमारे माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने कहा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सेस घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सेस में बात कर रहे थे । आपकी सरकार के सेस में मेरा एक पी.एल.आई. है । आपने किस पर सेस लगाया और किस पर खर्च किया, उसका पूरा हिसाब मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जमा किया है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- मुझे क्यों बता रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप वहां पर बैठकर पूरी गवाही के तौर पर मौजूद थे इसलिए आपको बता रहा हूं ।

डॉ. चरण दास महंत :- गवाही के लिए अक्सर गवाह को नहीं बुलाया जाता, दूसरे आदमी को बुलाया जाता है ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- सभापति महोदय, यह रिफार्म्स का हिस्सा है । यह बहुत स्पष्टता के साथ मैं रखना चाहता हूं । जिन बातों पर रजिस्ट्री पर, गाईड लाईन मूल्य पर बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी कर व्यवस्था को सरलीकृत करके कर को कम करते हुए आर्थिक विकास को गति देने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए पिछला वित्तीय वर्ष भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक वर्ष है । पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्होंने टैक्स कम करने की दृष्टि से दो बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिये । बचपन में हम सभी देखते आ रहे हैं कि इंकम टैक्स की सीमा हर बजट में हम पढ़ते हैं कि इस साल 50 हजार बढ़ गया, इस बार 5 लाख से साढ़े पांच लाख हो गये, साढ़े चार लाख से 5 लाख हो गए, इस तरह से हम पढ़ते, सुनते आ रहे हैं और पिछले वित्तीय वर्ष का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जिस दिन प्रस्तुत किया जाना था, उस दिल्ली के एक बड़े विपक्षी नेता ने कहा कि मोदी जी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इंकम टैक्स के छूट की सीमा को 10 लाख करके दिखाएं तो हम मानें । यह बहुत बड़े विपक्षी नेता ने, अरविन्द केजरीवाल जी ने कहा था और उस दिन जब बजट आया तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के साथ निर्मला सीतारमण जी ने एक साथ इस इंकम टैक्स के छूट की सीमा को 12 लाख करने का ऐतिहासिक काम किया । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, जी.एस.टी. 2.0 आया, उसमें 400 से अधिक आईटम में टैक्स की छूट दी गई, कर प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया । 5 स्लैब थे, उसको 3 स्लैब में लाया गया । इस तरह से टैक्स

की कटौती की गई । जहां तक पंजीयन का प्रश्न है तो मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि गाईड लाईन पर बहुत सारी बातें हुईं, इस पर भी मैं बहुत डिटेल और डैप्थ के साथ में बात करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो टैक्स है, उसको बढ़ाना कहीं से हमारा उद्देश्य किसी भी रिफार्म्स के पीछे नहीं रहा है और हम मानते हैं कि इकानॉमी में अगर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो या तो सरकार अपने खजाने के लिए टैक्स लेती है, सरकार की जेब में जाता है या आम जनता की जेब में जाता है । टैक्स अर्थव्यवस्था में कोई नया वैल्यू क्रिएट नहीं करता । जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो तेजी से आगे बढ़ती हैं, उनकी फिलासफी यही रही है कि टैक्स के रेट को कम करें और जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दें, ताकि जनता अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीए और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को गति मिल सके । यह बेसिक इकानॉमी फिलासफी है ।

सभापति महोदय, इसी उद्देश्य के साथ किस-किस तरह के टैक्स रिफार्म्स पंजीयन से संबंधित किये हैं । प्रोसीजरल रिफार्म्स पर मैं बाद में आऊंगा, टैक्स रिफार्म्स किस तरह से किये हैं, उसमें से तीन-चार बिन्दु मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं । पहला जो आज का बिन्दु है कि सेस उपकर को समाप्त करना, उपकर राजीव मितान क्लब की दृष्टि से लाया गया था, उसमें अनिला दीदी बोल रही थीं कि युवाओं का कल्याण करना था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि उसको माननीय विधायक बोलिये। उनके नेता सुन रहे होंगे तो फिर आपत्ति ले देंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- दीदी बोलने में आपत्ति थोड़ी न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आदरणीय अनिला जी बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उनके बोलने के तरीके में और आपके बोलने के तरीके में अंतर है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तरीके में आपत्ति थी।

श्री उमेश पटेल :- वह जो बोल रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे थे, इसको समझ लीजिये कि इस तरह से ना बोलें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको आपत्ति थी, उनको आपत्ति नहीं थीं ?

श्री उमेश पटेल :- सभी विधायक, सम्मानित विधायक हैं। उनको सम्मान दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, उनको आपत्ति नहीं थीं, आपको आपत्ति थी।

श्री उमेश पटेल :- इस तरह से नहीं पूर्व, पूर्व, पूर्व कहकर बोलें।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा बॉडी लैंग्वेज सिखा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, दीदी कहे ला पश्चिम बंगाल के सुरता आवत हे, तेकर बर ए।

श्री अनुज शर्मा :- बघेल जी कह रहे थे कि राजीव के नाम पर आपत्ति थी। उनके नाम पर नहीं, हमको आपके नीयत पर आपत्ति थी। जिस नीयत से उसको लगाया गया था, उस पर आपत्ति थी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, युवाओं का कल्याण तो नहीं कुछ और ही राजनीतिक एजेण्डे सेंकना था, खैर वह अलग विषय है। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। हमारे अजय चन्द्राकर जी ने विस्तार से बात की है।

सभापति महोदय, यह जो उपकर हटाया गया है, मैं सबसे पहले इसको क्लीयर करना चाहूंगा। आदरणीय हमारे सदस्य रामकुमार यादव जी ने कहा था उपकर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

श्री रामकुमार यादव :- 12 से 5 प्रतिशत किये हो, बोला हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- 12 से 5 प्रतिशत किया गया है, बोल रहे हैं । इन्होंने 5 से 12 प्रतिशत बढ़ाने काम किया था। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12 से 5 प्रतिशत नही किया गया है, 12 प्रतिशत से 0 (जीरो) प्रतिशत किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) आज सब कोई बात करते हैं कि हमको विभिन्न प्रकार के खर्च चलाने पड़ते हैं तो टैक्स बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जनता को राहत देने में विश्वास करते हैं। इसलिए जो 150 करोड़ रूपये का टैक्स आता था, हमने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। क्योंकि यह एक रिफाम का एजेण्डा है। .6 प्रतिशत का अलग कैलकुलेशन जटिलता को बढ़ाता है, काम्पलीकेशन को बढ़ाता है। हमको 150 करोड़ रूपये का टैक्स जनता के हित में छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस सोच के साथ इसको समाप्त किया गया है।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, बिजली बिल से उल्टा ले लेवत हा। आखिर येती ले किंदार के ले लेवा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत नहीं किया गया है। 12 प्रतिशत से 0 (जीरो) किया गया है, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं दूसरा रिफाम का एजेण्डा बताना चाहूंगा, जो पंजीयन से संबंधित है। हमारे किसान भाई भूमि खरीदते थे, उसमें कई बार दो फसली जमीन की खरीद-बिक्री होती थी। उसमें मूल्यांकन करते समय पहले 25 प्रतिशत गाईड लाईन वेल्यु में बढ़ाकर रजिस्ट्री की जाती थी। नकदी फसल लगा हो, केला हो, पपीता हो, सब्जी लगी हो, उस पर भी 25 प्रतिशत बढ़ाकर कैलकुलेशन किया जाता था। मछली पालन के लिए तालाब बनाना हो, तब भी उसके रेट को बढ़ाकर कैलकुलेशन किया जाता था। रिफाम्स के तहत किसी तरह की जटिलताएं न हो, अगर कोई कैश क्राप उगा रहा है, यदि कोई प्रगतिशील किसान है तो उसे इस तरह के भार न पड़े, यदि कोई 2 फसली खेती कर रहा है, कोई अच्छा खेती कर रहा है, उसको इस तरह का भार न पड़े, इसलिए हमने 2 फसली कैलकुलेशन में गाईड

लाईन के हिसाब से 25 प्रतिशत अतिरिक्त कैलकुलेट किया जाता था, उसके ऊपर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क लगता था, उसे समाप्त कर दिया है। जो कैश क्रॉप पर लगता था, उसे समाप्त कर दिया। मछली पालन पर तालाबों पर अतिरिक्त लगता था, उसे समाप्त करने का रिफाम्स के तहत निर्णय लिया है। सभापति महोदय, किसी के जमीन में बाउण्ड्री वॉल रहती थी, प्लींथ तक निर्माण हो गया, उस पर अतिरिक्त कैलकुलेशन होता था, हमने उसको समाप्त किया है। जटिलताओं को समाप्त करने के लिए रिफाम के तहत समाप्त किया है। जो आय होता था, जनता के हित में त्याग किया गया है।

सभापति महोदय, जब हम रजिस्ट्री की बात करते हैं, आम जनों के आवास की बात करते हैं, तो जो प्लाट होता है, वह तो कम्पेरेटिवली अमीर लोग ज्यादा ले पाते हैं। जो फ्लैट होता है, कम्पेरेटिवली लोअर मीडिल क्लास और मीडिल क्लास के लोग ज्यादा लेते हैं। इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने एक और बड़ा रिफॉम किया है, जो कि हमारे मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के साथियों को बहुत लाभ दे रहा है। यह वर्षों से नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही थी। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है, उसके पहले मध्यप्रदेश के समय से चला आ रहा था। अभी भी विभिन्न राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है। जो फ्लैट बनते हैं, उन फ्लैटस पर गाईड लाईन वेल्यु की गणना सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर होती थी। यह अंग्रेजी का थोड़ा टेक्नीकल टर्म, सुपर बिल्टअप एरिया है। मैं सामान्य रूप से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर किसी का फ्लैट हो, उस फ्लैट के साथ उसका कॉमन एरिया होता है, बालकनी होती है, लिफ्ट का एरिया होता है, उन सबको जोड़कर गाइडलाइन की गणना की जाती थी और यह मध्य प्रदेश के जमाने से दशकों से चली आ रही थी। हमने कोई चेंज नहीं किया था या नया कुछ लागू नहीं किया था। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले साल मध्यम वर्ग के हित में हमने एक बड़ा रिफॉर्म किया ।

श्री अजय चन्द्रकार :- मंत्री जी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूं, क्षमा करिएगा। मैंने आपसे कुछ मौलिक प्रश्न उठाए थे। यह जो सेस (cess) लगा था, उपकर। राजीव गांधी मितान क्लब आपने उल्लेख किया है। वह संस्था पंजीकृत थी या नहीं थी? इसकी जांच होगी क्या? गैर-पंजीकृत संस्था को पैसा दे सकते हैं क्या? उसके उपयोग के, उपकर के उपयोग के लिए कोई नियम बने थे क्या? नियम बने थे तो उसका पालन किया गया क्या? जो राशि मैंने 52 करोड़ समथिंग कही है, आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो वह राशि यदि इन नियमों के उल्लंघन करके दी गई थी तो उसकी जांच करवाएंगे क्या?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उसमें एक और प्रश्न है। मंत्री जी, कोई भी सरकार की जो राशि खर्च होती है तो उसका ऑडिट किया जाता है। तो उसका ऑडिट हुआ क्या? कोई प्रावधान रखे थे क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको भी करवाएंगे क्या?

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी, माननीय सभापति महोदय, इन विषयों पर मैं आऊंगा। थोड़ा सा explain कर लूं, बहुत जनहित के महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हुए हैं, उसको सदन को अवगत कराने का एक अच्छा सुअवसर है। सभापति महोदय, जो सुपर बिल्ट-अप एरिया होता था, अर्थात मध्यम वर्ग कोई फ्लैट खरीदता था, उसकी गणना में लिफ्ट के एरिया को, कॉमन एरिया को, बालकनी एरिया को जोड़कर उसकी गणना की जाती थी और उस पर स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क लगाया जाता था। उसको हमने रिफॉर्म करते हुए सभापति महोदय, सुपर बिल्ट-अप एरिया को समाप्त करते हुए बिल्ट-अप एरिया पर ही हमने गणना के संबंध में रिफॉर्म किया है। तो अब न लिफ्ट की गणना होगी, न बालकनी की गणना होगी, न कॉमन एरिया की गणना होगी। इससे वर्टिकल ग्रोथ, जो सिटी प्लानिंग के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितना वर्टिकल ग्रोथ होगा, जमीन का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा और हमारा देश lowest per capita income land availability वाला कंट्री है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता पूरी दुनिया में one of the lowest है । तो उससे बेहतर वर्टिकल ग्रोथ होगा और मध्यम वर्ग को इसका लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, यह भी हमने बड़ा रिफॉर्म किया । वहीं दूसरी ओर इसमें मैं और विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि हमने रिफॉर्म करते हुए सुगम ऐप लागू किया। जैसे होता था कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करा रहा है, तो रजिस्ट्री में एक जगह का लोकेशन बता दिया जाता था और दूसरी जगह की रजिस्ट्री करा दी जाती थी। यह जो दिक्कत होती थी, उसको समाप्त करने के लिए सभापति महोदय, हमने सुगम ऐप लागू किया। सुगम ऐप में क्रेता-विक्रेता दोनों उस जमीन पर खड़े होते हैं और उसमें ऐप के माध्यम से फोटो खींचा जाता है और उसमें latitude-longitude को भी वह ले लेता है, जिससे किस जमीन की exactly रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद में गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए सुगम ऐप लागू किया । सभापति महोदय, सुगम ऐप लागू किया तो गांव के एक बच्चे ने, महासमुंद जिला के एक बच्चे ने, एक लड़के ने, युवा लड़के ने मेरे को बताया कि आप भैया, यह सब जो आप मन करे हो, तेमे बहुत फायदा होते, अच्छा होथे। लेकिन एक ठन गड़बड़ होथे। ऐसे वह मोला बोलिस। मैं बोलेव, का गड़बड़ होथे? तो, फोटो खींचे जाथ हे, तो फोटो में का होथे कि पहली जो पेड़ रहे खेत मन में, तो वो पेड़ ला नहीं दिखाए पहली रजिस्ट्री में। लेकिन फोटो खींचथ हे, तो ये पेड़ ह फोटो में आ जाथ है। ऐसे करके वह बताइस सदस्य महोदय। तो इस बात को समझते हुए हमने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और तत्काल निर्णय लिया कि जो पेड़ों पर रजिस्ट्री का शुल्क लगता था, उसको जीरो किया जाए ताकि सुगम ऐप के माध्यम से कोई पेड़ न कटे। इस तरह का रिफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस किया । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, पेड़ों की रजिस्ट्री से 7 करोड़, 8 करोड़ के लगभग हर साल का राजस्व आता था। जनता के हित में, पर्यावरण के हित में हमने रिफॉर्म करते हुए इसका भी त्याग किया । सभापति महोदय, जनता के हित में हमने डायवर्टेड भूमि को पहले शहरी क्षेत्रों में वर्ग मीटर की दर से गणना की जाती थी। गांव में कृषि भूमि की गणना में जो डायवर्टेड भूमि रहती थी, उसको ढाई गुना बढ़ा

दिया जाता था। उसको भी हमने समाप्त करते हुए, उसे भी हमने पूरी जनता के हित में निर्णय लेते हुए तरह समाप्त किया । सभापति महोदय, वहीं दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 वर्ग मीटर से छोटी जो जमीन रहती थी, उसकी गणना स्क्वायर फीट में की जाती थी। स्क्वायर फीट कैलकुलेशन के कारण किसानों को दिक्कत भी होती थी और उसके कारण कई सारे स्कैम भी होते थे, जैसे भारतमाला स्कैम। उसको समाप्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने रिफॉर्म के तहत निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों के रेट की गणना हेक्टेयर दर पर ही की जाएगी। सभापति महोदय, इसी तरह से एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है, जिसका जनता को अत्यधिक लाभ मिलेगा। वह रिफॉर्म है जैसे हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे भाई-बहन रहते हैं, मान लीजिए चार भाई-बहन हैं। उनकी पीढ़ी में दो भाई हैं, दो बहन हैं मान लीजिए। पिता की परिसंपत्ति का बंटवारा हो जाता है। सभापति महोदय, बंटवारा होने के बाद सामान्य परंपरा रही है कि भाई-भाई में उसको रजिस्ट्री नहीं कराते थे। रजिस्ट्री क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि पहले वर्षों से, दशकों से, मध्य प्रदेश के ज़माने से, चाहे कांग्रेस की सरकार थी या हमारी सरकार थी, उस समय यह चल रहा था कि उस जमीन का जो बाज़ार मूल्य है, उसका 0.8% उस पर शुल्क लिया जाता था। मान लीजिए एक करोड़ की ज़मीन है, उसका अगर कोई बंटवारा या हक त्याग भी करना चाह रहा है, कोई बहन भी है, अगर वह अपने भाई के हिस्से में हक त्याग करना चाह रही है तो उस पर 0.8% शुल्क लगता था। मान लीजिए ज़मीन की वैल्यू एक करोड़ है तो उस पर 80,000 रूपये शुल्क लगते थे। इसके कारण लोग सोचते थे कि हम क्यों रजिस्ट्री कराएं, भाई-भाई में क्या दिक्कत है, इसलिए वे रजिस्ट्री करवाना छोड़ देते थे। लेकिन वही तीन पीढ़ी बाद, चार पीढ़ी बाद, वह पीढ़ियों में विवाद का विषय बन जाता था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय जी का ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नामांतरण वाले मामले छह-छह महीने से लंबित हैं और अभी तक उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। लोग अपनी फैमिली को लेकर वहां आते हैं और दो दिनों तक वहा रहते हैं। माननीय मंत्री जी, इसलिए विशेष तौर पर गुरूर ब्लॉक में ध्यान दीजिये, उसमें सुधार होना चाहिए।

सभापित महोदय :- आपकी बात आ गई।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, राजस्व विभाग से संबंधित विषय पर उपयुक्त समय पर उपयुक्त तरीके से सरकार से जवाब आएगा। मैं इस महत्वपूर्ण विषय को बताना चाहूंगा कि इसमें हक त्याग करते थे या बंटवारा करते थे, उसमें 0.8% शुल्क लगता था। हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में Reform करते हुए निर्णय लिया और बाद में जब पीढ़ी बदलती चली जाती थी तो तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी बाद जाकर राजस्व विवाद बन जाता था। चूंकि वह written में नहीं आया रहता था, वह लोगों के नाम पर रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं रहता था, उसके कारण वह राजस्व विवाद बन जाता था। ऐसे हज़ारों-लाखों राजस्व विवाद इसके कारण पैदा होते थे। हमने इन राजस्व विवादों को कम करने की दृष्टि से काम किया है कि

एक पीढ़ी में ही तुरंत आदमी हक त्याग कर ले, बंटवारा कर ले, इस दृष्टिकोण से जो 0.8% शुल्क लगता था, उसे समाप्त करते हुए Flat Fee केवल 500 रूपये कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट) चाहे 10 करोड़ की भी ज़मीन का हक त्याग हो, बंटवारा हो, उसके लिए केवल 500 रूपये शुल्क लगेगा। सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता था, उसकी चिंता किए बिना जनता के हित में यह निर्णय लिया गया है। इसी तरह से एक और बड़ा Reform किया गया है। पहले यह होता था कि Guideline rate कुछ है और आदमी उसकी रजिस्ट्री कुछ और रेट पर करा रहा है, जब वह बाज़ार मूल्य के आधार पर रजिस्ट्री कराते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि guideline पर बहुत सारी चर्चाएं होती है कि प्रदेश में पिछले साल तक 66% रजिस्ट्री बाज़ार मूल्य से, गाइडलाइन मूल्य से ज़्यादा पर हो रही थी। अगर कोई व्यक्ति Guideline rate से ज़्यादा रेट पर रजिस्ट्री कराने जाता था तो उस पर बाज़ार मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क लगता था। सामान्यतः सभापति महोदय आप सबको पता है कि जो आम आदमी होता है, Middle class आदमी होता है, Lower Middle Class आदमी होता है, उसको कोई कच्चा-पक्का करना नहीं रहता है। उसको बैंक से लोन लेकर भी ज़मीन खरीदना होता है, प्लॉट खरीदना होता है, घर बनाना होता है, उस पर जितने रेट पर वह लोन लेता था, उसको लोन लेने के लिए पूरा पैसा दिखाना पड़ता था, इसलिए उस पर ज़्यादा रजिस्ट्री शुल्क लग जाता था, स्टाम्प ड्यूटी लग जाती थी। Formal Economy को बढ़ाने के लिए, Black Economy को कम करने के लिए हमने Reform करते हुए यह निर्णय लिया है कि जो Guideline rate से ऊपर का rate है, उस पर पंजीयन शुल्क को हमने शून्य करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक है, पहले उस पर चर्चा हो जाये और Guideline rate पर एक अलग से चर्चा रख लिया जाये, फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, कितनी रजिस्ट्री हो रही है, उस पर भी सवाल उठाये गये हैं। इसलिए मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं दूसरा विषय रखना चाहता हूं कि Guideline rate से ऊपर rate पर जो रजिस्ट्री हो रही है, उस पर अतिरिक्त शुल्क को जीरो करने का निर्णय लिया गया है, ताकि जो पूरी तरह से White Money में खरीददारी करते हैं, वैसे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। सभापति महोदय, इस तरह के हमने बड़े निर्णय लिए हैं। जो रिफॉर्म है सुगम एप का, जो रिफॉर्म है मॉडल ऑफिस बनाने का, जो रिफॉर्म है ऑटो म्यूटेशन का, यानी स्वतः नामांतरण का, इस रिफॉर्म व्यवस्था को लागू करने के बाद अभी तक प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक स्वतः नामांतरण हो चुके हैं। इन सबसे जनता को अधिकाधिक लाभ मिल रहा है। यह मोदी जी का रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है, जिसमें आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चलते रहेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच कराये कि नामांतरण प्रक्रिया में कितनी सरकारी जमीन, जो जमीन नहीं बिक सकती थी, उसकी रजिस्ट्री हो रही है और धड़ल्ले से नामांतरण भी हो रहा है । पहले के नामांतरण में आपत्तियां लगती थी, इसकी भी जांच होनी चाहिये अभी तक जितने भी नामांतरण इस नीति से हुआ है, उसमें कितनी जमीन जो नहीं बिकनी चाहिये, वह चाहे सरकारी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे शासन से प्राप्त हो...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे कुछ आग्रह किया था कि दोनों पक्ष के लोग इस चर्चा में भाग ले लेंगे । उसमें गाईड लाईन के तहत पूरी चर्चा हो जायेगी । आपसे आग्रह है कि इस पर आधे घण्टे से अलग से चर्चा रखवा दीजिए ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा एक भी प्रकरण हो, मैं सम्माननीय सदस्य द्वारिकाधीश यादव जी से आग्रह करूँगा कि ऐसे प्रकरणों के संज्ञान में हमें पूरी सूची दें । हम इसकी तत्काल कार्यवाही भी करायेंगे और जांच भी करायेंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं देने के लिये तैयार हूँ ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अभी दे दीजिए । अगर कोई नाम होगा तो अभी दे दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, स्वप्रेरणा से पूरे प्रदेश में आना चाहिये । मैं सब जगह का तो नहीं दे सकता हूँ । स्वप्रेरणा का भी कानून लाये हैं, उसमें निश्चित रूप से आना चाहिये ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, कोई अगर ऐसा विषय हो तो जरूर बतायें, हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण प्रक्रिया लंबित नहीं रह सकता है, यह साफ्टवेयर के बाद ऑटोमेशन से होता है और इसके कारण जनता को बहुत राहत मिली है । पहले सरकारी कार्यालयों का किस तरह से चक्कर लगाना पड़ता था, जनता को इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिली है । राजस्व विभाग के कई तरह के पदाधिकारी थे, जहां दिक्कत होती थी, उससे मुक्ति मिली है । सभापति महोदय, सरकारी जमीन का स्वत: नामांतरण संभव नहीं है, साफ्टवेयर 40 तरह के चेक लिस्ट के आधार पर नामांतरण करता है । अगर उसके बाद भी कोई प्रकरण होगा तो माननीय सदस्य इसकी जानकारी दें, हम उस पर कठोर कार्यवाही करेंगे । सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने राजीव मितान क्लब के संबंध में बहुत सारी गड़बड़ियों के बारे में प्रश्न उठाये हैं, जहां तक मुझे विदित है कि युवा मितान क्लब का किसी एक्ट के तहत पंजीयन नहीं था, यह खेल एवं युवा कल्याण के अंतर्गत आता है और उसे ऑनरेबल डिप्टी सी.एम.साहब साहब देख रहे थे । हम उनसे निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और डिटेल्स प्राप्त करके...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अगर खेल मंत्री जी नहीं है तो मंत्रिमंडल की तो ज्वाईंट रिसपॉसबिलिटी है ? यदि जांच में अनियमितता पाई गई है तो निश्चित रूप से जांच करेंगे, ऐसा बोल दीजिए । यह लोक धन की खूली लूट है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य की चिन्ता निश्चित रूप से बहुत जायज है और इसमें संबंधित विभाग से जो भी चर्चा करेंगे, ऑडिट डाकुमेंट्स हैं उसको भी देखेंगे और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जांच की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश बाबू बता देंगे, खेल मंत्री थे । पंजीयन था कि नहीं था। सामने इन्साक्लोपीडिया बैठे हैं । राजीव गांधी मितान क्लब ...।(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- ढ़ाई साल में तुमन कुछ काम करिहव कि खोदते रहिहव। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी जांच थोड़ी होगी, राजीव गांधी मितान क्लब की होगी ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह रिफार्म का एजेण्डा है, गाईड लाईन के रेट पर जो चर्चा हुई है, आपको पता है कि किस प्रकार से 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गई थी ? आपको पता है और पूरे सदन को पता है कि किस तरह से खेल होता था ? सभापति महोदय, अभी जो गाईड लाईन रेट के संबंध में रिफार्म्स किये गये थे और कई जगह गाईड लाईन रेट को बढ़ाया गया था, उसमें ज्यादातर पार्ट रिफार्म के थे । प्रदेश में 10 हजार से अधिक कंडिकायें थी, उसे 5 हजार कंडिका तक लाया गया है उसके कारण कई जगह 4 गुना, 5 गुना बढ़ गया है । इस तरह की कई अव्यावहारिक स्थितियां उत्पन्न हो गयी थी। हमारी सरकार रिफार्म के एजेण्डे पर एग्रेसिव तरीके से आगे जा रही है, लेकिन अगर कहीं भी, जनता के लिये 95 परशेंट सही हुआ हो और 5 परशेंट भी कहीं पर कमी हो तो उसके लिये हम ओपन होकर मीडिया के सामने, जनता के सामने, कोई भी अव्यावहारिक पक्ष है, उसको स्वीकार करके पूर्णत: तत्पर हुये । हम जनता के सामने आये, मीडिया के सामने आये और पूरी प्रक्रिया को फिर से रिवाईज किया है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में सारे जिलों के पुर्नमूल्यांकन की प्रक्रिया, स्पेशलाईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है और जहां पर भी अव्यवहारिक पाया गया है, उसे ठीक करने का काम किया गया है । मैं रजिस्ट्री कार्यालय के संबंध में अभी भी कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष के साथियों को ऐसा लगता है कि गाईड लाईन रेट इतना ज्यादा है, हमारे अटल श्रीवास्तव जी...।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं आपसे व्यवस्था मांगता हूँ, आप व्यवस्था दे दीजिए । आप इस पर चर्चा करा दीजिए । इसमें दोनों पार्टी भाग ले लेंगे।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा है । मुझे बताना पड़ेगा कि सन्नाटा नहीं है और क्यों नहीं है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी तो चले गये, सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा है। मुझे बताना पड़ेगा कि सन्नाटा नहीं है और क्यों नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए। इसमें दोनों पार्टी भाग ले लेंगे।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी तो चले गए, मैं उनको अभी भी आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलें, वहां किस तरह की बहार है। हम उसको मीडिया के साथ लेकर वीडियो बनवाएंगे। मैंने सम्मानीय अटल जी को चुनौती भी दी थी, वे बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, अगर उनको लगता है कि गाइडलाइन रेट इतना ज्यादा हो गया है तो हमारे सभी सदस्यों को पक्ष के साथियों को भी और विपक्ष के साथियों को भी एक-एक प्लॉट गाइडलाइन रेट पर दे दें। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी अगर लगता है कि गाइडलाइन रेट इतना ज्यादा हो गया है और रजिस्ट्री कार्यालय में सन्नाटा है, वे आजकल जमीन से थोड़े दूर हो गए हैं लगता है। उनको मैं चुनौती देता हूं, बहुत बड़े दाऊ हैं, उनकी बहुत सारी जमीने हैं। हमारे तरफ भी अजय चंद्राकर जी दाऊ हैं। अगर वह गाइडलाइन रेट पर जमीन को बेचना चाहें तो उनकी जमीन को खरीदने के लिए हमारे बहुत सारे सदस्य तैयार हैं। ये बातें बिल्कुल अनर्गल आरोप हैं। हम रिफॉर्म के लिए कर रहे हैं। आप .6% की कटौती के इस संशोधन विधेयक को पारित करें। ये 12% से 5% नहीं किया गया है, 12% से 0% किया गया है और ये जनता के हित का निर्णय है। मैं हमारी अनिला दीदी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने दबी जुबान से ही सही, धन्यवाद भी दिया। आप सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए, अनुज जी को, हमारे सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित करें।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- चौधरी जी, सब की जमीनों को क्यों बेचवाना चाह रहे हैं? क्या अजय जी बेच रहे हैं?

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 (क्रमांक 8, सन् 2026) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बनें।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, ये जनता के हित का निर्णय है। 12% से 5% नहीं, 12% से 0% किया गया है। सभापति महोदय, अभी हमारे सम्माननीय विपक्ष के साथियों ने आपके किसी भी उद्घोष पर ना नहीं कहा है । मैं सम्माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि इसको सर्वसम्मति के साथ पारित किया जाए क्योंकि 150 करोड़ का लाभ सीधे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को प्राप्त होगा। इसलिए इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी ने ना कह दिया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, ना बोले हैं।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, अगर उन्होंने ना कहा है तब भी पुनः आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मैं विपक्ष से भी आग्रह करता हूं, जनहित का विषय है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 (क्रमांक 8, सन् 2026) सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 (क्रमांक 8, सन् 2026) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

(3) छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026).

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय :- उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी बारी गयी। आज मेरी बोलने की बारी आएगी या नहीं आएगी, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक, 2026 लाया गया है। इस विधेयक में जो भी परीक्षाओं में गड़बड़ी करेगा, उनके लिए अपराध और अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। अध्याय 3 अपराधों के दंड, अगर यह अपराध किसी अभ्यर्थी के द्वारा किया जाता है तो उसको आगामी तीन कैलेंडर तक प्रतिबंधित किया जाएगा और इस अवधि की समाप्ति के बाद यह प्रतिबंध लोक सेवा से सम्मिलित के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कारावास की सजा निर्धारित की गई है। कम से कम तीन वर्ष और दस वर्ष तक की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है और अधिकतम दस लाख रुपये तक की वसूली की जाएगी। यह जो दंड है इसमें अभ्यर्थी के लिए तीन साल के लिए प्रतिबंध का जो प्रावधान किया गया है, मुझे लगता है कि यह कहीं न कहीं कम है। अगर अभ्यर्थी स्वयं इस चीज में शामिल है तो उसे लंबे समय के लिए डिबार करना चाहिए, जब तक उसकी उम्र खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि अगर अभ्यर्थी के चरित्र में यह खोट आ गया तो मान लीजिए कि तीन साल बाद भी अगर वह परीक्षा पास करके आ गया तो आने वाले समय में कोई अधिकारी-कर्मचारी बनकर वह इसी तरह का काम आगे करता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें कुछ बदलाव करने के लिए सलाह दूंगा। इसी तरह से उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी सेवा प्रदाताओं, संस्थाओं एवं प्रबंधन के द्वारा किए गए अपराध की दशा में तीन साल के लिए उसको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। अगर कोई संस्था इसमें इन्वॉल्व है और उसे सिर्फ तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो तीन साल बाद वह वापस आकर उस टेंडर में शामिल हो सकती है। मेरे हिसाब से यह दंड कम है। उसे लाइफटाइम ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ताकि इस तरह की संस्था कभी भी इस तरह की परीक्षाओं में भाग न ले सकें। जो इस तरह के आयोजनकर्ता रहेंगे, वह इस तरह की परीक्षाओं में जो हमारे भविष्य को तय करेंगे, जो हमारे कार्यपालिका के लोगों को तय करने वाले हैं, उन लोगों के लिए लाइफटाइम बैन होना चाहिए। इसमें मेरा यह भी सुझाव है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, हमर माननीय मुख्यमंत्री जी हा विधेयक लावत हे अउ आप देखो कि ओखर दल के सब झन भाग गेहे। अइसे लागत हे कि हमर मुख्यमंत्री जी ला छोड़ के भाग गेहे। मंत्री बना दिही कहिके हमर चंद्राकर जी हा बस एक झन बइठे हे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इसी में जो प्वाइंट 11 है, उसमें भी मेरा एक सुझाव है कि अपराध किए जाने में सहायता या सुविधा प्रदान करने के लिए, यह थोड़ा डाइसी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर किसी की सहायता करता है तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस अपराध के लिए उसकी किसी जगह को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की की सजा तय की गयी है । यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है । ऐसा कोई निर्दोश व्यक्ति इसमें न फंस जाये कि उसकी जगह को उपयोग कर लिया गया और उसे पता ही नहीं है कि वह किसलिये उपयोग हुआ है, अपराध किस लेवल का है ? वह कैसे हो गया ? मान लीजिये कि किसी की पार्किंग का उपयोग कर लिया गया, किसी के किराये की कार का उपयोग कर लिया गया, किसी की और किसी चीज का उपयोग कर लिया गया और उसको पता ही नहीं है तो हमको इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है । इसके अलावा इस विधेयक में मेरे दो महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला जब तक हमारी खुद की प्रिंटिंग व्यवस्था नहीं होगी, हम जब तक टेंडर के भरोसे इसमें रहेंगे, हम जब तक इसमें आयोजनकर्ता को बुलाकर यह काम करवाते रहेंगे तब तक हम शायद इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता लाने में असफल होंगे इसलिये हमें अपनी प्रिंटिंग व्यवस्था, अपनी सरकार के द्वारा इसको आयोजन करने की आवश्यकता है । दूसरा, इन परीक्षाओं को हांलाकि यह केवल अपराध के लिये है और अपराध के किये गये दण्ड के लिये है लेकिन इसमें मेरा एक और सुझाव है कि जब भी कोई परीक्षा होती है, हम लोग रिजल्ट निकाल देते हैं, रिजल्ट की शीट को हम टांग देते हैं । आज लगभग सारी परीक्षायें ओ.एम.आर. शीट से हो रही हैं, हमें ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि हम हर विद्यार्थी को अगर मान लीजिये उसने 100 में से 50 नंबर लाया है तो उसे पी.डी.एफ. के रूप में उसकी ओ.एम.आर. शीट किसी न किसी रूप में उसे प्रदान की जाये और अगर किसी कारण से उसके नंबर में जुड़ाव कम हुआ है, अगर उसके इसमें कम हुआ है तो उसको आपत्ति लगाने की समय-सीमा हमको तय करनी चाहिए इसी से पारदर्शिता आयेगी । अगर उसकी शीट को हम पी.डी.एफ. के फॉर्म में, हो सकता है कि उन सबको हम लोग आई.डी. पॉसवर्ड देने की आवश्यकता हो, आई.डी. पॉसवर्ड दे दें, उसके आई.डी. पॉसवर्ड से ही उसका पी.डी.एफ. खुले और उस पी.डी.एफ. में ओ.एम.आर. शीट वह अपना देख सके। यह सब व्यवस्था अगर हम करेंगे तब जाकर इसमें पारदर्शिता आयेगी । अभी आपने जो लाया है, उसमें मेरे सुझाव हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन सुझावों को आप जरूर इंक्लूड करेंगे । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ लोक परीक्षा, विधेयक, 2026 । उच्च शिक्षा में जो परीक्षायें होती थीं, कॉलेज की जो परीक्षाएं होती थीं उसमें हमने नकल रोकने का कानून बनाया था, जब पहली बार सरकार आयी थी लेकिन लोक परीक्षाओं में उमेश बाबू कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है ? इसको आपको गंभीरता से, क्योंकि आप एक गंभीर आदमी हैं । आपने सुझाव भी दिया है, आपके राज में एक परीक्षा में एक कमरे में 50 लोग सलेक्ट हुए थे, एक कमरे से, आप सुनो न, सुनो तो । जब प्यार किया तो डरना क्या ? जब किये हो तो घबराते क्यों हो ?

श्री उमेश पटेल :- हम घबरा नहीं रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक आपके पी.एस.सी. के अध्यक्ष होते थे, नाम तो लेते नहीं हैं । संयोग से मेरे ईलाके के आदमी थे, मैं अभी एक सप्ताह पहले उसके गांव में गया था । परीक्षा के प्रश्नपत्र फॉर्महाऊस में सलेक्ट होते थे और जितने प्रकार के रिश्तेदार थे वह सबके सब सलेक्ट हो जाते थे और केवल उनके नहीं, आपकी जो पर्ची आती थी । अब पर्ची कौन देता था, आप जानें कि यह-यह रोल नंबर है और इसको-इसको सलेक्ट करना है तो सलेक्ट हो जाता था और पूरे देश में पी.एस.सी. जैसी संवैधानिक संस्थाएं, व्यापम जैसी संस्थाएं जो इसी...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अजय जी, पी.एस.सी. की परीक्षा हुई और उसमें एक आरोप लगा । मेरे ख्याल से कोई मुकेश पटेल नाम का आदमी सलेक्ट हो गया था या इसी नाम का, हो सकता है, मैं चूंकि नाम में थोड़ा कन्फ्यूज हूं । उसके बारे में यह भ्रामक प्रचार फैलाया गया कि वह मेरा भाई है और मेरे गांव का निवासी है और वह पी.एस.सी. में पास हो गया है । मैंने मीडियावालों को भेजा कि भैया मेरे गांव में जाओ तो एक मुकेश पटेल तो मिला, वह पता है बारहवीं पास था बेचारा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पर्ची से नियुक्ति, हमने पिछले समय आदरणीय विधायक महोदया, आप अपने शासनकाल में मंत्री थीं। मेरे ख्याल से पिछले शासन के तीन ही मंत्री जीतकर आये हैं। अब उसके बाद जिसको पी.एस.सी. का अध्यक्ष बनाया गया, उसके खिलाफ जितनी जांच थी, उसको खत्म किया गया, उसके सी.आर को क्लियर किया गया, क्योंकि जांच चलते, वह पी.एस.सी. का चेयरमेन नहीं बन सकता था और उसकी जांच को विधिवत् खत्म करके पी.एस.सी. में बैठाया गया। मैंने ही जांच करवायी थी तो मैं जानता हूँ कि जांजगीर के नजदीक के रहने वाले हैं, एक दिन सी.ई.ओ. दूसरे दिन कलेक्टर और सी.ई.ओ. के प्रस्ताव को तीसरे दिन स्वीकृति हो गयी। वह भी ऐतिहासिक घटना है, सबको समाप्त करिये। उसको पी.एस.सी. का चेयरमेन बना दीजिए और पर्ची से नियुक्त हो। यह माननीय विष्णु देव जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ के योग्य लोग वंचित मत हो। अनुचित साधनों से अनुचित व्यक्ति के द्वारा और अयोग्य व्यक्ति लोगों के षड़यंत्रों का शिकार मत हो। संवैधानिक संस्थाएं आपकी राजनीति का साधन मत बने।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अजय जी, मैंने तो कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने तो केवल सुझाव दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल घटना का बता रहा हूँ। मैंने तो राजीव मितान क्लब के लिए भी बोला है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। अब इसकी लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन को रोकने से छत्तीसगढ़ के परीक्षाओं की खासकर भर्ती परीक्षाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसलिए यह जरूरी है आपने प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दोनों को खत्म कर दिया था, मैं यह कह रहा हूँ। आपके सुझाव अच्छे थे।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कुल 6 अध्याय हैं। जब भी मूल विधेयक आता है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। आज दो मूल विधेयक हैं कल एक मूल विधेयक पर हमने चर्चा की थी। यहां पर मूल विधेयक प्रस्तुत होने का मतलब यह है कि सरकार सोच रही है, मिशनरी सोच रही है और कुछ नया करने के लिए प्रतिबद्ध है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन तीनों नये मूल विधेयक के लिए उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। वह हमारे नेता हैं उनके अच्छे कदमों का समर्थन भी करता हूँ। इसमें कुल 6 अध्याय और 12 धाराएं हैं। अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार है। अब इसमें पूरे राज्य की सभी परीक्षाओं में अनुसूची लगी है। सभी परीक्षाओं में एक साथ लागू होंगे, परीक्षा प्रणाली का लगभग एकीकृत ढांचा बनेगा, जांच कार्यवाही, उसमें प्रशासनिक स्थिरता भी रहेगी। इसके अध्याय दो में परिभाषाएं हैं । उमेश बाबू, मेरे ख्याल से आप चाहे तो परिभाषाओं में भी अध्याय दो को पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से परिभाषाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कहीं किसी परिभाषा में अस्पष्टता होगी तो अभी तो इसके नियम टेबल होंगे, आगे बढ़ेंगे तो उसमें तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन इस अधिनियम में जो भी है वह सबके सब पर्याप्त दिख रहे हैं। मैंने उसको हाईलाईट करके रखा है, यह पर्याप्त दिख रहे हैं, परन्तु अपराध की पहचान, इससे आसान होगी जो परिभाषाएं हैं, उससे कानूनी विवाद कम होंगे और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। इन परिभाषाओं में जो नकल के पेपर लिक की व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी है, ब्लूटूथ माने जैसे जो और भी उपकरण होते हैं, उन सब के लिए प्रावधान हैं। इसमें अनुचित साधनों में इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बहुत परिभाषित किया गया है। अध्याय दो अनुचित साधनों का निषेध, नकल रोकने के उपाय जो पहले कमजोर थे तो उसमें सभी प्रकार के अनुचित साधन प्रतिबंधित किये गये हैं और इसमें केन्द्र में नकल करते समय अभ्यार्थी पर भी कार्यवाही हो सकती है। तो योग्य अभ्यार्थियों को समान अवसर और परीक्षा का अनुशासन, यह व्यवस्थित होगा। इसके उद्देश्यों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है मतलब जो अध्याय दो में अनुचित साधनों के उपयोग में कोई और चीजें छोड़ी गयी हैं। इसकी बहस में जो लोग भाग लेंगे, यदि अनुचित साधनों की परिभाषा में कुछ चीजें छूट गयी हैं तो चाहे तो आप लोग उसको सुझाव भी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा है, अनुचित साधन पूरी तरह से परिभाषित है। अध्याय 3 में दण्ड का प्रावधान है। मतलब पहले दण्ड का अभाव था। कोई दण्ड नहीं

थे । अभी तो जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूं । आप पढ़ लीजिएगा । नये विधेयक में तो अधिनियम में ज्यादा महत्वपूर्ण जब लागू करने के समय में उसके नियम बनेंगे, नियम कितने प्रभावशाली क्रियान्वित होने वाले बनते हैं, यह देखने की जरूरत रहती है। शास्ति होने से अपराधियों में भय आएगा ।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, इसमें बस एक ही प्वाइंट आपके ध्यान में ला रहा हूं । ये जो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के द्वारा किया गया अपराध है । मुझे लगता है कि इसको सिर्फ तीन साल के लिए प्रतिबंधित करना कम हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके सुझाव है कि शास्ति अवधि में कम, ज्यादा समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे, पर मेरे ख्याल से शुरूआत में तीन साल में देखें और तीन साल के बाद भी, इतने कठोर के बाद नकल होगा, ऐसा संभव नहीं है । तीन साल प्रतिबंध कोई संस्थाएं करेंगी, ऐसा नहीं लगता । पर एक बार देखें, नहीं तो फिर सदन में बढ़िया कानून आ रहा है तो फिर उसको दोबारा संशोधित किया जा सकता है, जो मैं समझता हूं । एजेंसियों की परीक्षा, एजेंसियों की जवाबदेही में जो संस्थाओं की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं थी । पहले देखते थे तो अध्याय 3 की धारा 6 में लापरवाही पर संस्था भी जिम्मेदार होगी, यह बहुत अच्छा प्रावधान इसमें लाया गया है कि इसमें संस्थाओं को भी जिम्मेदार ठहराया गया है । परीक्षा केन्द्र के संस्थागत जवाबदेही, सुरक्षा दोनों संस्था की जवाबदेही बढ़ेगी । यह बहुत अच्छा है । मैं तो कहूंगा कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट को बनाया था, जब आपके 110 यूनिवर्सिटी वाला कानून हो गया तो उस विधेयक को पूरा देश ले गया था । माने छत्तीसगढ़ के मूल कानून जो माननीय सर्वोच्च के दिशा-निर्देश के फैसलों के आलोक में बनी, वह कानून छत्तीसगढ़ से पूरे देश के लोग ले गए । यह लोक परीक्षा का जो नकल रोकने का कानून आया, वह बहुत अच्छा आया । मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी यह उदाहरण बनेगा ।

सभापति महोदय, जो अध्याय 4 है, उसमें जांच-तलाशी का अधिकार दियागया है, वह जांच जटिल प्रक्रिया थी । अधिकृत अधिकारी को तलाशी का अधिकार । जब यह कानून बन जाएगा तो महिला के लिए महिला को भी अधिकृत किया जा सकता है, बल्कि इसमें नियम बनते समय यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकारी को कौन अधिकृत करेगा, किस स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे क्योंकि एक जगह तो उप अधीक्षक लेवल है । आप देख लीजिएगा, उप अधीक्षक लेवल के अधिकारी एक घटना में जांच करेंगे । तो इसमें विवाद भी नहीं होगा कि हमें गलत तरीके से छुआ गया, गलत तरीके से जांच किया गया, इस तरह के जो आरोप लगते हैं, जब गलती पकड़ में आती है तो मेरे ख्याल से जब नियम बनेंगे तो यह और स्पष्ट हो जाएगा । इलेक्ट्रानिक जांच जैसी चीजों भी उसमें होगी तो त्वरित कार्रवाई और नियंत्रण होगा, जो मैं समझता हूं । अब इसमें डिजीटल अपराध नियंत्रण बहुत अच्छा है । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं । पिछले सत्र में साईबर अपराध के बारे में मेरा

ध्यानाकर्षण था कि साईबर थाना कब खुलेगा, कितना खुलेगा, क्या होगा, पर आज तो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसमें डिजीटल अपराध को शामिल करना । ब्यू टूथ लगा लिए हैं और दिल्ली से भी नकल करवा रहे हैं तो उसको क्या कर लोगे । पर डिजीटल तरीकों के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था करना और तकनीकी अपराध को इससे रोकथाम मिलेगी ।

सभापति महोदय, अध्याय 5 न्यायलयीन प्रक्रिया है । विशेष अदालत में सुनवाई का प्रावधान है । अब इसके बाद अभ्यर्थियों का भी समय बचेगा, यदि वह पकड़ में आ गया तो फैसला भी आएगा, न्याय भी शीघ्र मिलेगी । बहुत शानदार है । मैं यह बता रहा हूं कि संस्थाओं की, लोक परीक्षाओं की विश्वसनीयता इस कानून से बढ़ेगी । संरक्षण का प्रावधान । माने कार्रवाई करने वाले अधिकारी असुरक्षित महसूस न करें, जैसा कि मैंने पहली बार कहा कि अनुचित व्यवहार, अनुचित तौर-तरीके । इस पर नकल रोकने वाले अधिकारी को सुरक्षा दी गई है, कार्रवाई करने वाले अधिकारी को सुरक्षा दी गई है, यह एक प्रशासनिक विल दिखाएगा कि मुझे प्रोटेक्शन है और मैं राज्य के हित में इस संस्था की गुडविल के लिए, उसकी विश्वसनीयता के लिए कार्रवाई कर सकता हूं ।

सभापति महोदय, शास्ति । एजेंसी बना सकेगी, इसमें उल्लेख है । उससे आधुनिक प्रबंधन होगा । अब पुराने संक्रमणकालीन प्रावधान, पुराने मामलों में समाधान अस्पष्ट थे। उमेश जी, आप इसको पढ़ना, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। यह लंबित मामलों पर भी लागू होगा। यानी यह कह ले कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। यदि ऐसे लंबित मामले होंगे तो नये कानून के दायरे में आयेंगे। यदि भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रहे हैं तो छात्रों को या एजेंसियों को उससे त्वरित न्याय की अवधारणा है, मैंने विशेष न्यायालय के बारे में कहा था, उसमें लाभ मिलेगा। यदि वर्षों से लंबित है तो उसमें उनको सुविधा मिलेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। उमेश जी, आप तो उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मैं तो सोच रहा था कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया कदम रखा है तो आप तहे दिल से समर्थन करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय, शायद आपने मेरा भाषण नहीं सुना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं पूरा भाषण सुन रहा था।

श्री उमेश पटेल :- मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं तो पूरे भाषण में सिर्फ सुझाव दिया हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- असल में क्या है कि जॉली एल.एल.बी. पिक्चर देखें है या नहीं ? झाड़ के नीचे माईक लगाकर बताते थे। प्रश्न नं.6 का जवाब यह है, प्रश्न नं.7 में राम लिख दो, इसमें श्याम लिख दो। यह कानून जॉली एल.एल.बी. वालों के लिए है। उसमें सबको हन्टर पड़ेगा। चाहे वह दूर से बताये, कार से बताये, मोटर-साइकल से बताये, या नकल से बताये। यह नकल-वकल की प्रवृति को खत्म करना ही इस सरकार का काम है। पिछली बार पी.एस.सी. में यही हुआ था। आप ही के सरकार में हुआ

था न ? सब गधे लोग डिप्टी कलेक्टर बन गये और होशियार लोग बेचारे गली-गली घूम रहे हैं। अब यह नहीं होगा। अच्छे लोगों के चयन के लिए नियम बन रहा है भईया। मदद करिये। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उमेश जी, मैं अमूमन मूल विधेयक में ज्यादा बहस नहीं करता हूं। जो मूल चीजें हैं, उसको बोलता हूं। परन्तु मुझे नहीं मालूम, इसमें कुछ पढ़ने का मूढ कर रहा है। मैं आपको सुनाता हूं। यह ऐसा कानून है, जो विधान मण्डल की गरिमा को भी बढ़ायेगा। यदि विधान मण्डल में टेबल होते हैं तो समझ लीजिये कि वह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अध्याय-4 को देख लीजिये। सबसे पहले ऊपर में लिखा है कि उप पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। केन्द्रीय अथवा राज्य अन्वेषण एजेंसी, केन्द्रीय शब्द का भी उपयोग है। यदि मामला गंभीर है तो जांच के लिए उसको भी सौंप सकते हैं। मतलब यह कह लें कि अपने ऊपर भी एक अनुशासन है। यदि कोई हमारी एजेंसियों के ऊपर ऊंगली उठाता है तो हम केन्द्रीय एजेंसियों को जांच के लिए सौंप सकते हैं। यह अपने ऊपर ही एक तरह से शास्ति लगाया है, इसको इस तरह से मान लीजिये। उसके बाद आप धारा 19 को देखिये, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम सकेगी। नियम बनाने की शक्ति दी गई है, लेकिन राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा। समझ लीजिये कि नियम टेबल होंगे। धारा-20 में उसके बाद राजपत्र में, इसमें भी जो कार्यवाही होगी। मैं पूरे को पढ़ सकता हूं। नये परीक्षा प्राधिकरणों या लोक परीक्षाओं को जोड़ सकेगी। शायद, इसके अनुसूची में प्रावधान है। मैं अनुसूची देखा हूं। हां, यह अनुसूची ही है। अनुसूची में संशोधन करेंगे। मैं जो पढ़ रहा हूं, वह महत्वपूर्ण यह है कि अनुसूची में संशोधन भी विधान सभा में टेबल होंगे। यानि विधान मण्डल को कितनी गरिमा दी गई है, यह सोच लीजिये। इसके बाद धारा-22 को भी पढ़िये। इसमें कठिनाईयों को दूर करने के लिए जो शक्ति है, जो भी नियम बनेंगे, इसको भी राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा। अब यह बताईये कि सरकार अपने ऊपर भी केन्द्रीय एजेंसी को सौंप सकती है, लिख रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- धारा-20 के अुनसार, यह विधान मण्डल में टेबल नहीं होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- लिखा है कि विधान सभा के समक्ष रखा जाये।

श्री उमेश पटेल :- यह धारा-19 में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप धारा 20(2) को पढ़िये न। इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक ऐसी अधिसूचना को, यथाशीघ्र संभव हो, राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मुझे पढ़ने के बाद, बहुत दिनों बाद ऐसी चीज देखा जिसमें विधान सभा की गरिमा है। विधान सभा से यह कहे कि आपको सरकार की गतिविधियां सदस्यों कोपता लगती है। मतलब कितनी ट्रांसपरेंसी है। इसमें कितने लोगों के हितों की रक्षा होगी ? अब इसमें मेरा बहुत छोटा सा सुझाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत छोटा सा है। हो सकता है आपके नियम बनाने के बाद आपने जो अनुसूची लिखी है, अनुसूची के क्रमांक 3 में राज्य सरकार के विभाग तथा उनके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय, जिनमें राज्य के सार्वजनिक उपक्रम भी सम्मिलित हैं–यह लिखा है। लेकिन सार्वजनिक उपक्रम या आपके अधीनस्थ कार्यालय में विश्वविद्यालय नहीं आते। हमारे लगभग विश्वविद्यालय हैं और सबके भर्ती नियम हैं। यदि हम राजकीय विश्वविद्यालय को अनुसूची में चार नंबर में जोड़ दें, तो वहां भी यह सब लफड़ा बंद हो जाएगा। अनुसूची में तो आप संशोधन कर सकते हैं, आज भी घोषणा कर सकते हैं। पर क्या चर्चा हुई है, मैं यह नहीं जानता कि जो परिभाषाएं अनुसूची तीन में दिख रही हैं, यूनिवर्सिटी अधीनस्थ कार्यालय नहीं हैं, वे स्वायत्त संस्थाएं हैं । सार्वजनिक उपक्रम भी नहीं हैं। तो हमारे यहां पहले एकाध यूनिवर्सिटी थी, रविशंकर के बाद में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बनी, अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो गई हैं। तो अनुसूची में सभी यूनिवर्सिटी के सभी पदों के लिए अपने भर्ती नियम हैं। वे भी अपनी भर्ती के लिए परीक्षाएं लेती हैं। लोक परीक्षा के लिए आपने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक लाया है, उसमें इनकी परीक्षाओं को भी जोड़ लें तो अच्छा होगा। दूसरा, आज आपका जो दूसरा विधेयक आ रहा है, एक घटना विधान सभा में घटित हुई थी–बता देता हूं फिर क्यों उसका उल्लेख कर रहा हूं। माननीय भूपेश बघेल जी के समय में आरक्षण विधेयक आया, 87% करने का, 86-87% जो भी करने का, विधान सभा से पारित नहीं हुआ था। समझे माननीय हरवंश जी? विधान सभा से पारित नहीं हुआ था, उसी दिन एक संकल्प आ गया कि इसको नौवीं अनुसूची में जोड़ा जाए करके। कौन सी अनुसूची थी? नौवीं अनुसूची है। नौवीं अनुसूची में जोड़ा जाए, अभी पारित नहीं है और नौवीं अनुसूची से, माने तमिलनाडु को जो संरक्षण मिला है न, न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रहेगा, जो आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाए गए हैं। तो वैसे ही एक अशासकीय संकल्प आ गया कि तत्काल उसको किया जाए, पास ही नहीं हुआ है। यह ऐसी पहली घटना घटी थी, हिंदुस्तान में और ऐसी घटना नहीं घटी।

समय :
1.47 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

वैसे ही एक घटना इसको केवल उदाहरण के लिए दे रहा हूं । आप अनुसूची के दो नंबर में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल लिखे हैं । आज दूसरे नंबर का जब आप पारित करोगे, यह संस्था समाप्त हो जाएगी। वह जो भी नाम है उसका–छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल–जो परीक्षा जो लेगी वह

बन जाएगा। तो कानून बनते ही इसकी अनुसूची में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो एडवांस में अनुमति ले लें कि अनुसूची दो में इस संस्था को शामिल माना जाए करके। तो ये छोटे-छोटे सुझाव थे। विधान सभा में नियम रखे जाएंगे, कार्यवाही रखी जाएगी और चाहें तो विधान सभा में टेबल होगा, आप असहमत होंगे तो चर्चा मांग सकते हैं। जो पेपर विधान सभा में टेबल होता है, हम चर्चा मांग सकते हैं। होना-नहीं होना बाद का विषय है, लेकिन आप चर्चा मांगते हैं तो बहस हो सकती है। अनुसूची में संशोधन होगा, वह भी विधान सभा में रखा जाएगा। जैसे मैंने सभी विश्वविद्यालय को कहा, और कोई परीक्षा होती है, जिसको इसके दायरे में लाना है, तो वह भी आप सुझाव दे सकते हैं। बहरहाल, मामा जी, यह आपको समझ में आया है, बाजू वाले का तो मैं नहीं बोल सकता, इसको तो सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए, बहुत अच्छा कानून है। छत्तीसगढ़ की जो प्रतिष्ठा है, जो धूमिल हुई, उसको यह रोकने वाला, सबको संरक्षण देने वाला कानून है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी प्रत्येक गतिविधि विधान सभा में टेबल होगी। आपको बहस के और अवसर मिलेंगे, आपको सुझाव देने के और अवसर मिलेंगे। और उन सबसे ज़्यादा..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मामा जी, आप जितनी बात बोल रहे हैं, वह वास्तविक में होगा तब तो सही है। बातें तो बहुत सारी होती हैं जैसे टेबल होगा, उसमें जो भी बहस होगी, लेकिन होगी या नहीं?

श्री रामकुमार यादव :- अब भले तोर ममा मंत्री नहीं बने हे, लेकिन सरकार ला ओही चलात हे।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शंका करने वालों के ऊपर भी प्रावधान लाना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब, जो मैंने अपेक्षा की थी कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक जैसे देश भर के लिए नजीर बना, लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का निवारण जो कानून आया है, मूल विधेयक जो आया है–इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बधाई दी जाए इनके उद्देश्यों की, इसकी भावनाओं की, वह कम है। मैं तो संपूर्ण सदन की ओर से कहूंगा, आपको भी शामिल कर देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मूल विधेयक को इस उद्देश्य के साथ लाने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इसमें प्रावधान है कि हम असहमत हैं तो आपके टेबल होने के बाद चर्चा मांग सकते हैं । यह सबसे बड़ी विशेषता इस अधिनियम की है। माननीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- धन्यवाद्, सभापति महोदय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 लाया है। उसके संबंध में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी-अपनी बातें कही हैं। यह बहुत अच्छा विधेयक है। जिस तरह से इस अनुसूची में पूरे डिटेल में जानकारी दी गयी है। अगर इसमें हम एक-एक प्वाइंट

को देखें तो आज के समय में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, उनके 10वीं, 12वीं और कॉलेज के बाद उनको परीक्षा के लिए अलग से समय दिया जाता है क्योंकि सीधी भर्ती तो अब बहुत दुर्लभ हो गई है। उनकी मेहनत में जो समय लगता है और उसके परिणाम आने में भी दो से तीन साल का समय लगता है। इतने समय में जब बच्चे परीक्षा दिलाने से लेकर परिणाम आने तक इंतज़ार करते हैं और उसमें जब परिणाम उनके अनुकूल नहीं आते हैं। किसी एक की गलती की वजह से सारे बच्चों के भविष्य के साथ-साथ उनके जो सपने रहते हैं, उनका जो सम्मान और मेहनत रहती है, वह चकनाचूर हो जाती है। इसमें उद्देश्य और कारणों में एक पंक्ति लिखी है कि इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है, ताकि अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनके वास्तविक प्रयासों को उचित रूप से सम्मान मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए यह बहुत बढ़िया विधेयक है। विरोध करना है, इसलिए हम खड़े नहीं हुए हैं। सभापति महोदय, इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है। जैसे कि अभी मोबाइल का ज़माना है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, जिनका हम नित नए-नए उपयोग करने लगे हैं या यूँ कहें कि उसका दुरुपयोग करने लग गए हैं। इसलिए एक metal detector भी होना चाहिए। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, इस अनुसूची के एक-एक प्वाइंट में सब चीज़ें लिखी हैं। लेकिन उस प्रतियोगी परीक्षा के स्थान पर मोबाइल जैमर भी होना चाहिए, ताकि कोई बाहर बैठकर ऑटो या कार में ब्लूटूथ के माध्यम से अंदर बैठे किसी परीक्षार्थी को उत्तर न बता सके। हम इस विधेयक का विरोध तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाकई यह विधेयक बहुत ही सराहनीय है। अगर हम सब इसे मान लें और इसे बहुत जल्दी प्रभाव में ले आएं तो इसका परिणाम बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे जो बच्चे पढ़-लिखकर और मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, उन्हें एक विश्वास हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें सुरक्षित रखा, उनके भविष्य को आगे बढ़ाया और उनका सम्मान किया। मैं बस इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री मोतीलाल साहू।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 बहुत ही स्वागत योग्य है। इसमें जिन बिंदुओं का चयन किया गया है, जिन बिंदुओं पर इस विधेयक को लाया गया है, ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें अभ्यर्थी से लेकर उस संस्था तक सभी की जवाबदेही तय की गई है कि किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उसके ऊपर जो दंड का प्रावधान है, इसमें ये सभी चीज़ें बिंदुवार आ गई हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट उल्लेखित किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि परीक्षा किसी भी राज्य, संस्था या व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा की बात होती है। इससे पूर्व इस राज्य

में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। उसे देखते हुए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे जिससे इस राज्य की प्रतिष्ठा और छवि को आंच पहुंचे। इसलिए इस विधेयक में ये जो बिंदु लाए गए हैं। इसमें बहुत-सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे प्रतिभावान अभ्यर्थी बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं। घर वालों और समाज की बहुत उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा होनहार और प्रतिभावान है, लेकिन उनकी भविष्य की आकांक्षाओं और भावनाओं को जिस प्रकार कुचला जाता है कि वह व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी अपनी प्रतिभा के अनुरूप स्थान पाने या सेवा देने में असमर्थ रहता है। मतलब समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार और समाज पर क्या गुज़रती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति आप सोचिये कि अनुचित साधन का प्रयोग करके उस स्थान पर पहुंच जाता है तो जिस प्रकार की सोच है तो वह इस प्रकार की सेवायें देगा । यह छत्तीसगढ़ के लिये और अपने सरकार के लिये तथा देश के लिये कितना अहितकर होगा, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं । सभापति महोदय, जैसे चयन होगा तो उसका कार्य और दायित्व भी वैसा ही होगा । अब तो बहुत से संसाधान आ गये हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इन सब चीजों को पकड़ पाना भी आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें उस प्रावधान का भी उल्लेख हुआ है कि किसी भी प्रकार से डिजिटली अनियमितता पाये जाते हैं तो उस पर भी कार्यवाही होगी और दण्ड का प्रावधान इसमें आया है । सभापति महोदय, मैं इसे देख रहा था कि इसमें कोई ऐसा चीज छूटा नहीं है और सभी चीजों को इसमें पारदर्शिता के साथ में, विश्वास के साथ मे और सुचिता के साथ में बहुत बारीकी से लिया गया है । इससे लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और हमारा जो चयन का कार्य है, वह भी पारदर्शिता के साथ हो पायेगा । माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चीज यह है कि कोई भी सूचनाप्रदाता है वह भी सोचता है कि कहीं मेरे मेरे ऊपर भी कार्यवाही न हो ? कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रभावशाली इन कार्यों को अंजाम देते हैं तो सूचनाप्रदाता भी डरता है, लेकिन उसको भी संरक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था का प्रावधान भी इसमें लाया गया है, यह बहुत ही सराहनीय विधेयक है। इसमें किसी भी प्रतिभावान की प्रतिभा कुचला नहीं जायेगा और जो व्यक्ति अनुचित साधन का प्रयोग करेगा, उसके ऊपर कार्यवाही होगी । मैं इस विधेयक का बहुत स्वागत करता हूँ और जिस प्रकार से हमारे विपक्षी साथी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं तो सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित होगा तथा इसी उम्मीद और आशा के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय जी, हर मां-बाप चाहथे कि भले मै नौकरी नइ करथंव, लेकिन मोर लइका ला खूब पढ़ाहंव लिखाहंव, अऊ जेन तरह से छत्तीसगढ़ म हमर संवैधानिक प्रावधान के तहत डिप्टी कलेक्टर बनथे, देश म बनथे तेला यूपीएससी कथन, जेमा कलेक्टर बनथे एस.पी.बनथे, छत्तीसगढ़ म सी.जी. व्यापम होथे । परदेश जौन परीक्षा करथे वोमा हमर लोग

लइका मन अच्छा से पेपर देवाय, अऊ योग्य स्थान मे जाय, अइसे चिन्ता करके सरकार हा इंहा कानून लाने हे । सभापति महोदय जी, मैं उहूँ दिन ला सोचथंव जब हमन के सरकार रहिसे त विपक्ष के मन बहुत सारा आरोप लगाय रहिने कि ये सरकार अइसे ए अऊ ओ सरकार अइसे हे । कानून बनावव, अच्छा बनावव त हमर समर्थन हे, एमा हमन आपके साथ मे हन । सभापति महोदय, मोला राजनांदगांव के पुलिस भर्ती के सुरता आथे । राजनांदगांव में जब पुलिस भर्ती होइस, हमर चन्द्राकर जी महाज्ञानी बइठै हे । अइसे लागथे कि बाबा साहब आम्बेडकर जी कानून बनाय रहिसे, लेकिन वो कानून हा हमर वरिष्ठ नेता के खोपड़ी में भरे हे । पुलिस भर्ती में देखेन कि कइसे चुपके से नंबर ला काटके वोला जोड़ दे जात रहिसे ? ओमा आत्महत्या होईस अऊ पूरा देश-दुनिया वोला देखिस । अब फाईल अइसे दबिस की वोखर पताच नई चलिस ? सभापति महोदय, वइसने हमन वन विभाग के भर्ती म देखेन, हमर वन मंत्री जी इंहा बइठे हे, जेन आज शानदार 3 बार के मंत्री जी हैं, वोखर बाद सब इंजिनियर परीक्षा में वई हाल होईस । हमन फिल्म में देखे रहेन, मुन्ना भाई एमबीबीएस में कइसे आन के जगह आन पेपर देवाथे ।

श्री अमर अग्रवाल :- पी.एस.सी. में कोन-कोन अंदर हे, वोखर नाम त बता दे ? काखर-काखर नाम हे, कोन-कोन डिबार होय हे, वोला थोड़ा पढ़ना ?

श्री रामकुमार यादव :- आप वरिष्ठ अव, हमर आदरणीय अव, लेकिन ए बोलथंव तेला बताव ना ? एखर कोई जांच करइया हे कि वही च ला देखत रइहव ?

श्री अमर अग्रवाल :- ए त तुमन आरोप लगाय हव कोई सिद्ध होइस ? तुंहर इंहा पी.एस.सी. में कोन-कोन अंदर हिसे तेला बता ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अब बताथंव तूंहरे शहर के बात ए । मोला शक हे ए हा हम माननीय जी के ऊपर आथे । बिलासपुर शहर में एक ठन सेंटर रहिसे, ऊँहा सब इंजिनियर के भर्ती अभी होवत रहिसे, 6 महीना पहली के बात ए। एक झन ऑटो में बइठे रहाय..।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, पकड़े के काम कोन करिसे । हमरे सरकार करिस न, हमरे पुलिस करिस। एखर समय में तो नीलमी के आधार पे पी.एस.सी. परीक्षा बेच दे गिस, आज ओ जेल में हे, कुछ बतावव तो सही। अगर हम कोई चीज उजागर करत हन तो हमर मनोबल का ए, हमर उद्देश्य का हे, पहली ओखर चिंता कर ले।

सभापति महोदय :- आप इधर देखकर बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- जी। सभापति महोदय, आज मैं बताना चाहत हौं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, एखर शादी हो जाय रतिस त ऐखरो लईका आज डी.एस.पी. होतिस या डिप्टी कलेक्टर होतिस।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा सोच वाला ए। अइसने अइसने नो ए गुरूदेव मन रटवात हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप थोड़ा एंगल मेरी तरफ करिए। उधर देखते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है।

श्री रामकुमार यादव :- जी हुजूर। लेकिन ओ महराज हा राक्षस मन के गुरू ए न।

सभापति महोदय :- वो जो हों, अभी आप मेरे को देखिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, जब बिलासपुर में सब इंजीनियर के भर्ती होईस, एक इंजीनियर जइसे पद आप कई ठन प्रश्न लगाथव मैं देखथंव, हम लोगों ने पांच करोड़ की बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग दो साल में गिर गया, वइसने इंजीनियर भर्ती होही त ओखर बबा बाचही। जब वहां बाहर में बईठ के ओला कहात हे, दो दुनी चार होता है उसको लिखिए, हम पांच लिख पारे हन, उसको मिटाईए, चार होता है कहात बाहर में बइठे बइठे। वइसने इंजीनियर ला तुमन भर्ती करिहा अउ तुमन ये सोचिहा कि हमन छत्तीसगढ़ ला 2047 का विजन दे रहे हैं, हम ये बनाएंगे, अरे मोर भैया हो, अइसने फर्जी इंजीनियर ला भर्ती करिहा त तुमन कतको करव ओ इंजीनियर मन तुंहर बंठा धार करही।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, इंजीनियर ला हिंदी में का कथे बता तो। हमर सीनियर साथी एक इंजीनियर ह बइठे हे।

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिए न।

श्री रामकुमार यादव :- भोरहा में मत रईहा, मैं उड़िया भी जानथंव, इंग्लिश भी जानथंव। अइसे अइसे भाषा जानथंव सुनहा तो तुंहर दिमाग भुला जाही।

सभापति महोदय :- आप हर बात में मत खड़े होईए न।

श्री रामकुमार यादव :- सहायक अभियंता, उप अभियंता, ई.ई ये सब जानथंव। महराज लेकिन मे पढ़े लिखे नई हों।

श्री सुशांत शुक्ला :- इंजीनियरिंग ला का कथे ? इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं ये बता दीजिए।

सभापति महोदय :- पहली बात तो यह है कि बैठे-बैठे एक दूसरे से बात मत करिए।

श्री रामकुमार यादव :- सुनव तो तुंहर मंत्र ला घलोक जानथंव। ओम भूर्भुवः स्वः । तुमन भस्म तलोक कर देहू।

सभापति महोदय :- आप भी बैठे-बैठे बात कर रहे हैं, वे भी बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। हर बात में खड़े होकर मत टोकिए। उनको बोलने दीजिए। आप बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं फिर कहत हंव। मोर मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा हे ओखर विचार बहुत अच्छा हे ये होए। हमर सदन के उपनेता, हमर नेता जी बइठे हे, सबो के इच्छा हे कि हमर प्रदेश में जो भी हो अच्छा हो लेकिन कइसे में होथे, अभी हमन देखत हन। इंजीनियर के भर्ती में बाहर में बइठ के नकल करत हे। ओखर बावजूद भी तुमन कुछ नई कर सकत हो। सभापति महोदय,

मैं अंत में 12 वीं के पेपर में आ जथों। मैं अभी के बात करत हंव, अभी 12वीं के पेपर होत रिहिस, ओ 12वीं के पेपर में का-का लिखाए हे तेला पहली जे जान डरिस। वहा रे मेरे भाई बंधू हो। ये कोन से प्रकार के यहां व्यवस्था चलत हे। एमे काखर कसूर ए, हमर चरणदास महंत जी, उमेश पटेल जी, हमर बघेल जी या रामकुमार ओखर दोषी ए ? एखर व्यवस्था तो आप ला करना चाहिए। ओखरे खातिर ए देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब काननू बनाईए त ओ कानून ला बनात समय कहे रिहिस, कानून कितना भी अच्छा बना लो, उस कानून को लागू करने वाले का मन साफ नहीं रहेगा तो कानून किसी काम का नहीं है। चंद्राकर जी महाज्ञानी समझत हंव। मोरो बात ला सुन लेव। सभापति महोदय, मैं हमर माननीय मुख्यमंत्री जी ला कहना चाहत हौं। मैं बाबा साहब के बात ला याद दिलाना चाहत हौं। आप कतको सुंदर कानून बना लेव, कानून ला पालन करने वाला के मन साफ नहीं है तो सिर्फ ओ कागज के टोकरी के तरह ओ पठेरा में टंगाय रही।

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय, कानून की बात कर रहे हैं, कानून तो आज बन रहा है, लेकिन जब से हमारी सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का चक्र चला, मैं इस सदन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक प्यून की बेटी अनुसूचित जनजाति समाज की है, बेमेतरा विधान सभा में वह PSC से डिप्टी कलेक्टर बनकर आई हैं। (मेजों की थपथपाहट) केसडभरी से DSP बनकर आई है। नेहा मारकंडे जी लोक सेवा अधिकारी बनकर आई हैं। तीन-तीन लोग PSC से चयनित होकर आई हैं।

सभापति महोदय :- हो गया आपने बता दिया बैठिए।

श्री दीपेश साहू :- जी, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- हो गया। आपने बता दिया, आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं आप ला भी जानकारी दे दो कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार रिहिस हे तो मोर क्षेत्र के धुरकोट के एक झन साग-सब्जी-भाजी बेचने वाला, जम्मू-कश्मीर जाने वाला के बेटी आज ईश्वर जी के क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर हे। ओ डिप्टी कलेक्टर बने हे। आप का बात करथव? अइसे बात नहीं हे। मैं कहना चाहत हो कि हो सकथे कि काखरो से छोटे-मोटे गलती हो जाये। भाई, आप कतको कानून बनात हो, लेकिन चोरी करने वाला ओखर ले होशियार रहिथे। जइसे आप देखथव कि बस्तर मा हमर फोर्स हा कतका होशियारी से काम करत हे, लेकिन ओमन कइसे करत हे। चोरी करने वाला ए संसार में बनीस। हमन एक ठन वंडर ऑफ द साइंस पढ़न। आप मन ज्यादा पढ़े-लिखे हो। मैं तो थोड़ा से जानत हो। वैज्ञानिक मन जतका बना हे, टी.व्ही. बना हे, जतका भी कुछु-काही बना हे, आविष्कार करे हे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- रामकुमार जी, अंग्रेजी के ट्यूशन करत हस का? वंडर ऑफ द साइंस कथस।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ट्यूशन नहीं, मैं अभी स्पोकन इंग्लिश सीखत हव।

श्री केदार कश्यप :- ते वंडर कहात हस कि बवंडर कहात हस?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भैया, ए खुद बवंडर हे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- वंडर ऑफ द साइंस अउ तुमन बइठे हो तो तुहरे डहार बात हा गिर जाही। तुमन जान डारिहो।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी, ते इंग्लिश-उंगलिश सीखे बर, अंग्रेजी सीखे बर झन जाबे। एती बर एक झन बहुत अंग्रेजी में बोलत रहिस हे। तोला याद हावे न? आज ओ कहां हे, ओखर पता नहीं हे तो ते अभी अंग्रेजी सीखे बर झन जा, इही मा रहा।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं समाप्त करत हव। हमर मुख्यमंत्री जी के विचार में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहव, बस मोर मूल भाव यही हे कि आप कानून लाव, लेकिन कानून ला लाए के बाद ओ कइसे मा लागू होय, ओमा किसी भी प्रकार के गरीब-अमीर, बड़े के लइका, छोटे के लइका, किसान के लइका के साथ भेदभाव मत हो। सभापति महोदय, आप ध्यान दिहु अउ मुख्यमंत्री जी घलो बइठे हे। मैं एक ठोक अइसन उदाहरण देखे हव कि एक झन परीक्षा दिलाए बर गिस तो ओ लइका ला मैं पूछेव कि ते बहुत होशियार रहे हस तो कइसे डेढ़ नंबर बर चूक गेस? तो ओ का जवाब दिस कि मे जेन टेबल में बइठे रहे हव, ओ टेबल में अइसे लिखो तो ओ अइसे हो जाये। मतलब, ओ टेबल हा ऐती-ओती झुके, ओखर पाया हा बरोबर नहीं रीहिस हे तो मोला थोड़ा से डिस्टर्ब होइस तो मोर ओमा दो अंक कट गिस। ओ ए दारी फिर से पेपर दिलाए बर गिस तो ओ मोर कनी अइस, ओ मोरे क्षेत्र के हे, ओ टुण्ड्री के हे, हमर उमेश पटेल जी के क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र के हे। मैं ओला कहेव कि ए दारी कहां आएस, रोल नंबर ला देख के आबे तो ओहा जाके देखिस तो ए दारी ओखर लिखे के बेवत हा ऊपर हो गे रहाय। ओला जाके कहिन तो ओला काटिस। मोर कहे के मतलब हे कि हमला बारिकी से सबला देखना हे ताकि योग्य लइका के चयन हो, गरीब के लइका के चयन हो, गरीब किसान के मन में ए मत आए कि कानून हा बनथे, लेकिन गरीब बर आने बनथे अउ अमीर बर आने बनथे। एमन कथे अलग अउ करथे आने अलग। जइसे फिल्म के डायलॉग रहिथे, कोई गरीब आदमी हा अदालत जाथे तो ओखर जिंदगी कट जाथे, लेकिन ओला न्याय नहीं मिले अउ तुंहर-हमर जइसे नेता बड़े-बड़े उद्योगपति जाकर के 5 मिनट में अपन न्याय लेके चले जाथे अउ अपन जमानत के कागज ला जेब मा धरे रहिथे अउ गरीब आदमी सजा करे सालों-साल जेल मा पड़े रहिथे। मोर आपसे प्रार्थना हे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी गरीब के बेटा हो। आप अइसे घर मा जनम ले हो। हम आपके बारे मा जानथन। हमर नेता जी भी वइसने घर के हे। मोर आपसे प्रार्थन हे कि ऐमा कोई दूजा भाव मत हो, यह हूबहू लागू हो। अगर आप अइसे करिहो तो रामकुमार यादव के भी समर्थन हे अउ यदि इसी प्रकार के वही बिलासपुर में सब इंजीनियर कस भर्ती

करहु अउ वन विभाग कस भर्ती करहु, राजनांदगांव में पुलिस कस भर्ती करहु तो रामकुमार यादव हा सात जनम में तुंहर समर्थन नहीं करे। अच्छा करिहु तो दोनों हाथ में तुंहर दस्तखत हे। सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका देहो, एखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जिस प्रकार से वह इस विधेयक को लेकर के आये हैं तो मैं उसका समर्थन करता हूं तथा समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम विधेयक पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन यह विधेयक कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का नहीं है। मैं प्रतिपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी वक्ता बोल रहे हैं, इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं तो वह समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य हैं, हमारे जो धरोहर हैं, इस विधेयक के माध्यम से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सभापति महोदय, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? आपने पूर्व कालखण्ड को देखा है इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका मायने यही हुआ कि यदि कोई अधिकारी हैं, तो उसके बेटे का सिलेक्शन हो सकता है, यदि कोई नेता हैं, तो उसके बेटे का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हमारे मेहनत करने वाले जो छात्र हैं, मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले जो छात्र हैं, उनको दरकिनार करने का काम किया गया, जिससे विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट आया। उनको लगा कि हमारी मेहनत करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि हमारा चयन तो होना नहीं है, चयन तो उन्हीं का होना है जिनका एप्रोच है। जिनका एप्रोच है, वह चाहे पढ़े या न पढ़े, उनका चयन हो जाएगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ा संकट आया। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस विधेयक को लेकर आना पड़ा। सभापति महोदय, अब इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है। अब इसमें यह बात है कि जो मेहनत और परिश्रम के बल पर पेपर बनाएगा, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय का हो, केवल उनकी मेहनत का सम्मान होगा और सम्मान के आधार पर उनका चयन होगा क्योंकि उन्होंने पेपर अच्छा बनाया। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, इसमें जितने भी प्रकार की खामियां रही हैं, लोगों ने इसको मजाक बना लिया था और पूरे प्रदेश में तमाशा बना दिया था । इसकी बदनामी केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हुई बल्कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की बदनामी हुई कि छत्तीसगढ़ भी उस रास्ते पर चला गया, जैसा कुछ प्रदेशों का उदाहरण दिया जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय धरम जी, वह मेरे क्षेत्र का रहने वाला था, मैं उसके ब्याज में बदनाम हो गया। मुझसे 25 लोगों ने पूछा होगा कि क्या वह आपके क्षेत्र का है, क्या वह आपके क्षेत्र का है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हुआ । इसीलिए लोगों में निराशा का भाव आया और लोगों को यह लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के द्वारा इस विधेयक को लाया गया है। सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को पूरा पढ़ा है, उसमें यह है कि हम उसमें कितनी पारदर्शिता ला सकते हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन सारी बारीकियों में जाने का काम किया गया है। जैसे जो परीक्षार्थी हैं, उनको विधिवत रूप से आमंत्रित किया गया है कि वह परीक्षा में जाकर के बैठेंगे। उसके साथ ही उनको उसमें अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो खामियां रही, चाहे वह हमारे सोशल साइट के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो, कंप्यूटर के माध्यम से हो या मोबाइल के माध्यम से हो। उसके साथ ही वहां पर जो प्रश्न पत्र दिया जाता है, जो उत्तर पत्र दिया जाता है, कोई उसमें बिंदु लगाता है, कोई टिक लगाकर उसकी पहचान बनाता है कि हमने अपने पेपर में यह लिखा है और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन हो। उसमें यह जो सारी खामियां हैं, उसका निराकरण इस विधेयक की एक-एक कंडिकाओं में दिया गया है। मैं उसमें विस्तार में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को रखेंगे। उसमें जो लीकेज रहा है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद करने का काम किया गया है और उसको केवल बंद करने का काम ही नहीं किया गया है, बल्कि उनको जो सहयोग देने वाले लोग हैं, परीक्षा केंद्र के स्थान को बदलने वाले लोग हैं, परीक्षा के पूर्व अलग जगह में उनको तैयारी कराने वाले लोग हैं, उनको पहले से क्वेश्चन पेपर लीक करके देने वाले लोग हैं ताकि वह तैयारी करने के बाद आकर उस परीक्षा में बैठे। इस प्रकार से उसमें जितनी भी कमियां रही हैं, इस विधेयक के माध्यम से उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधेयक के माध्यम से आज के हमारे छत्तीसगढ़ के जो होनहार बच्चे हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, उनके सपने को साकार करने का काम किया है। जिस प्रकार से इसमें शास्ति रखा गया है कि केवल जो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिये तो कोई बहुत कड़ा नहीं रखा, केवल इतना ही रखा कि यदि इस प्रकार से उनको पाया गया तो उनको भविष्य में 3 कैलेण्डर वर्ष तक परीक्षा देने के अधिकार से वह वंचित हो जायेंगे लेकिन उनको जो सहयोग देने वाले हैं । उसके लिये बड़ा शास्ति रखा गया है ।

माननीय सभापति महोदय, इसमें जो बहुत अच्छा दिया गया है कि जो कोई धारा-3 का उल्लंघन करेगा, कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम उसको 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकेगी और जुर्माना भी ऐसा किया जायेगा, जो 10 लाख रूपये जुर्माना किया जायेगा । धारा-4,5,6,7,8,9 एक वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो सेवा प्रदाता है और जिस प्रकार से जिन बातों का मैंने उल्लेख किया, कहीं न कहीं जो सहयोग करते रहे हैं, सहयोग करने वाले, ऐसे लोगों के लिये 1 करोड़, केवल 1 करोड़ तक की पैनाल्टी नहीं बल्कि जो परीक्षा

आयोजित की गयी है, संपूर्ण खर्चे की भी उनकी जवाबदारी होगी, अगर इस प्रकार से पाया जायेगा तो उसका भुगतान भी उनके द्वारा किया जायेगा । माननीय सभापति महोदय, इसमें पूरा दिया गया है कि इसमें सेवा प्रदाता, फर्म या संस्थान के किसी निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधन अथवा प्रभारी व्यक्ति की सहमति या मौन स्वीकृति जो किया जाना स्थापित होता है तो ऐसे को 3 वर्ष तक की कारावास और 10 वर्ष तक की हो सकेगी और 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना । मेरे कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से शास्ति का इसमें जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान के कारण एक तो हिमाकत कोई नहीं करेंगे कि कोई इतनी बड़ी गलती करे लेकिन यदि कोई हिमाकत करते हैं तो इतना बड़ा पनिशमेंट उनके लिये है कि उसको देखकर दूसरा कभी हिम्मत नहीं करेगा, यह इसमें प्रावधान किया गया है और इतना ही नहीं, उसकी जो जमीन है, उसको कुर्की करने का अधिकार हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के उपबंधों के अनुसार में उनकी कुर्की और समर्पण हरण के अधीन के भी परीक्षा के अनुपातिक लागत की वसूल की जायेगी, यह हमारे नागरिक सुरक्षा कानून में जो दिया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ जिस बात का माननीय अजय जी ने उल्लेख किया कि उसकी जांच कौन करेगा ? उसमें न्यूनतम दिया है कि उप पुलिस निरीक्षक से निम्न श्रेणी का कोई उसकी जांच नहीं करेगा और साथ ही राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह चाहे तो हमारे राज्य की एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी को इस पूरे मामले को सौंपकर उसकी जांच करवा सकते हैं । माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद पक्ष और विपक्ष जितनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रसनता और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पारित होने के बाद में पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) कि उनका जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने का काम, उनके अधिकारों को संरक्षण करने का काम, उनकी योग्यता को सम्मान करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के द्वारा किया गया है इसलिये मैं प्रतिपक्ष के साथियों से भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप इस प्रदेश के होनहार बच्चे के भविष्य को आप तय करना चाहते हैं तो इस विधेयक को सर्वसम्मत पारित करने में आप उसमें अपना योगदान सुनिश्चित करें और आप भी उसमें अपना नाम लायें कि इस विधेयक को हमने पारित किया है, आपका नाम भी अंकित हो । मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमत्री जी को इस विधेयक के लिये धन्यवाद देते हुए और बधाई देते हुए और समर्थन देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने हमारे सभी साथियों की बात सुनी। यह विधेयक खासकर उन लोगों के लिए लाया गया है जो गरीब हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, जानते हैं मगर उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। वह काम किसी और का होता है और किसी दूसरे को उसका ईनाम मिल जाता है। हमारा गरीब बच्चें रोते-रोते हम ही लोगों के पास आते हैं, भईया मैंने तो सब किया है, लेकिन मुझे नहीं लिया और दूसरे को ले लिया। यही हाल परीक्षाओं का है, यही हाल साक्षात्कार का है, यही हाल अब तक चल रहा है। अब इसको संरक्षण न मिले और भविष्य में छत्तीसगढ़ के सब बच्चों को एक समान रूप से परीक्षा, साक्षात्कार में अन्य जगहों में बराबर का भाव मिले और सब बराबर इस छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के लिए भागीदार बनें। ऐसी नियत से आपने इस पवित्र भाव से जो विधेयक लाया है। निश्चित रूप से मैंने माननीय की बात सुनी है और हमारे सभी साथियों ने भी आपके पक्ष में ही बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं भी यह कह देता हूँ कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपको बधाई देता हूं। मैं आपसे यह निवेदन भी करता हूँ कि इसे सर्वानुति से पास कर दिया जाये।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी को बहुत-बहुत बधाई। आपने अच्छी चीजों का समर्थन किया। आज आपने एक अच्छा लोकतांत्रिक उदाहरण प्रस्तुत किया है और छत्तीसगढ़ आपकी इस भावना का स्वागत करता है और हम सब ऐसे ही मिलकर, माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, चलिये, मैं आपकी बातों के लिए कह देता हूँ:- ''दीवाने को दीवाना महज यूं न समझिये। दीवाना बहुत सोच कर दीवाना हुआ है।''

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हो गये हैं।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय):- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 पर आपने विचार रखने के लिए अवसर दिया है, मैं इसके लिए सबसे पहले आपका आभारी हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आज के इस विधेयक पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और जितने भी सदस्य हमारे पक्ष के तो हैं ही, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने भी सहमति दी है इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हम यह कहना चाहेंगे कि हम विकसित छत्तीसगढ़ के इस मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश की युवाओं की अहम भूमिका है और युवा किसी भी राज्य के विकास यात्रा के नेतृत्वकर्त्ता होते हैं। आज इन लोगों ने सहमति दी है इसलिए कहने में तो, लेकिन

मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से पिछली सरकार में युवाओं के सपनों का जिस तरह से गला घोंटा गया और जिस तरह से पिछली सरकार ने हर चीज में कोयला, शराब में घोटाला किया और पी.एस.सी.जैसी संस्था में भी भ्रष्टाचार हुआ जो कि हमारे प्रदेश के बेटे-बेटियों का भविष्य तय करता है, लेकिन उसमें भी घोटाले हुए। पिछली सरकार में कई बार परीक्षाएं तो होती थीं, कभी-कभी उनका परिणाम भी नहीं आता था और अगर परिणाम भी आता था तो वह गड़बड़ी के साथ आता था। इसलिए इस विधेयक को लाना पड़ा और हमारी सरकार ने परीक्षाओं में गड़बडी वाली कांग्रेस की व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हुए, यह विधेयक लाया है। आज बड़ी खुशी होती है जब दो सालों से हमारे पी.एस.सी. में चयनित डिप्टी कलेक्टर और डी.एस.पी. अपने मां-बाप के साथ धन्यवाद् देने के लिए आते हैं और उनके चेहरों में जो खुशी देखने को मिलती है इससे हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। एक ओर हमने धांधली करने वालों पर सख्त कार्यवाही के लिए पी.एस.सी. में जो वायदा था, हमने विधान सभा चुनाव के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी वायदा था और हमारी सरकार बनी तो उसको सी.बी.आई. को सौंपा और उसमें सी.बी.आई. जांच कर रही है और जो भी दोषीदार हैं वह आज जेल के सिकचों के अंदर में है। यह पूरा प्रदेश और हमारे प्रदेश के युवा उसको देख रहे हैं। शासकीय विभागों के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के सपनों से भी कोई खिलवाड़ आगे नहीं कर सकेगा। हमारे प्रदेश के जो भविष्य हैं, हमारे बेटे-बेटी हैं, उनके सपने पूरे होंगे । इसलिए इस कानून को लाने की आवश्यकता महसूस हुई है और यह बहुत कठोर है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है । इसमें जो नकल गिरोह है, पेपर लीक करने वाले हैं, फर्जी अभ्यर्थी भी कभी-कभी बैठ जाते थे तो इस तरह से जो गंदगी होती थी, उन सबको दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । यह कानून पी.एस.सी. और व्यापक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू होगा । साथ ही विभिन्न निगम, मण्डल की भर्ती परीक्षाओं पर भी ये नियम लागू होगा । इसकी जानकारी सूची में दी गई है । पूर्व सरकार में देखा गया कि ओ.एम.आर. एवं उत्तर पुस्तिकाओं में हेर-फेर तथा कम्प्यूटर प्रणाली में छेड़छाड़ कर युवाओं का हक मारा गया, अब इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए यह विधेयक लाया गया है । इस विधेयक के आने से परीक्षा से जुड़ी एजेंसियां आई.टी. एजेंसियां, परीक्षा केन्द्रों के प्रबंधक तथा सेवा प्रदाता भी परीक्षा पारदर्शिता के लिए जवाबदार होंगे और लापरवाही किये जाने या बदनीयती से काम किये जाने पर उन पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है । मोदी जी की गारंटी में युवाओं के लिए परीक्षा में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता की बात हम लोगों ने कही थी । इस विधेयक के माध्यम से हम उस गारंटी को भी पूरा कर रहे हैं । यह विधेयक लाकर हमने परीक्षा माफिया को सख्त संदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं में छेड़छाड़ किये जाने के दु:साहस का गंभीर अंजाम होगा। (मेजों की थपथपाहट) हमने युवाओं का भरोसा परीक्षा सिस्टम में लौटाने की बात कही थी । इस विधेयक को लाकर आज हम यह बड़ा काम करने जा रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और प्रदेश की जनता को

अवगत कराना चाहता हूं कि परीक्षा में धांधली करने वाले लोग कितने भी बड़े और रसूखदार क्यों न हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी । कोई कानून के हाथ से बच नहीं पाएगा । इस कानून के तहत प्रश्न-पत्र लीक करना या लीक करने का प्रयास, फर्जी अभ्यर्थी बिठाना, इलेक्ट्रानिक उपकरणों से नकल गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है । ऐसे मामले में 3 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रूपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है । संगठित अपराध के मामले में 1 करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगेगा । (मेजों की थपथपाहट) यदि कोई अभ्यर्थी नकल या अनुचित साधन का उपयोग करेगा तो उसका परिणाम तो निरस्त होगा ही, साथ ही वह तीन वर्ष तक परीक्षा से प्रतिबंधित भी किया जाएगा । यही नहीं, संगठित अपराध की स्थिति में सम्पत्ति भी जब्त की जाएगी । यदि परीक्षा से जुड़े अपराध में कोई संस्था या गिरोह दोषी पाया जाता है तो उसकी सम्पत्ति भी कुर्क की जा सकेगी । हमने जांच व्यवस्था को और प्रभावी बनाया है । ऐसे अपराधों की जांच पुलिस के उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा । यह हम लोगों ने विधेयक में सुनिश्चित किया है । राज्य सरकार आश्वस्त होने पर विशेष जांच एजेंसी भी बिठा पाएगी, यह भी इस विधेयक में प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, यह कानून सिर्फ दंड देने का कानून नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा कानून भी है । (मेजों की थपथपाहट) मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून छत्तीसगढ़ में ईमानदार प्रतिभा को आगे बढ़ाने और व्यवस्था में विश्वास बहाल करने का एक मजबूत कदम साबित होगा । इस विधेयक के लिए सबने सहमति दी है । इसलिए मैं पूरे सदन से चाहूंगा, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करें । (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, कुछ कह सकता हूं ?

सभापति महोदय :- जी बोलिए न, आपको कौन, कैसे कोई रोक सकता है ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, आपने इसमें नकल कराने वाले, नगल के गिरोह, भर्ती में जो अनावश्यक रूप से उनको मदद करते हैं, उन सबके प्रति कठोर व्यवस्था की है, हम उसका स्वागत करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, मगर अभी-अभी जो पुलिस की भर्ती हुई, भर्ती होने वाली थी, फिर केंसिल हो गई, कई सालों बाद ऐसी भर्ती हुई । उनको सजा देने के लिए आप कानून बना रहे हैं, इसलिए हम आपका समर्थन कर रहे हैं । इसलिए हम आपका समर्थन कर रहे हैं। मगर इस बात के लिए आपके साथ नहीं हैं कि आपने पिछले शासन ने जो कुछ किया है, उसके विरूद्ध कानून बना रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मगर आपके कई साथियों के भाषणों से ऐसा लगता है कि पिछले साल जो हुआ, मैं 2 दिन पहले भी कहा था। हम पिछली बातों को करते-करते कितने दिन चलेंगे ? हम 15 साल की बातें करते रहें, हम आये और 5 साल में चले गये। आना-जाना लगा रहता है। आज हम हैं, कल आप रहें, कल फिर लौटेगा, कोई यहां विधायक आयेगा, कोई नहीं आयेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको गंभीरता से सोचिये। ढाई साल होने वाला है और ढाई साल

में बहुत कुछ बदलने वाला है। मेरा तो यह कहना है बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले, आगे अच्छा काम करते जाईये। ऊपर वाला भी आपके ऊपर ध्यान रखेगा। फिर भी इन बातों के साथ मैं आपके इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको धन्यवाद देते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 22 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 22 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(4) छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्रीमती संगीता सिन्हा।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) लाया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए उनका बहुत स्वागत है और मैं इस विधेयक पर चर्चा भी कर लेती हूं। यह विधेयक बहत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के लागू होने पर उस समय अस्तित्व के विद्यमान छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल में विलीन माना जायेगा तथा एक पृथक इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय जी, इसका मतलब यह है कि व्यापमं में मर्ज हो रहा है, अलग से यह नहीं है। व्यापमं कर्मचारी चयन मंडल व्यापमं में मर्ज हुआ है। सभापति महोदय जी, मेरा सोचना यह था कि अलग से व्यापमं की तरह ही एक बन रहा है, अलग से परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन सभापति महोदय जी, इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रही थी कि इसमें अलग क्या है? कुछ अलग होता, जिसमें हमारे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी का इसमें परीक्षा लिया जाएगा। यह आया है, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए अन्य परीक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। सभापति महोदय जी, मेरा कहना यह है कि क्या इसमें भ्रष्टाचार या धांधली रुक जाएगी? सभापति महोदय जी, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसके लिए हमारे बच्चे एग्जाम के लिए खूब तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि हमारा चयन हो और अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि पुलिस भर्ती में भी पेपर लीक हुआ है। ऐसे बच्चे खूब तैयारी करते हैं, खूब अपनी स्वेच्छा से तैयारी करते हैं और ऐन मौके पर पेपर लीक हो जाता है। यह पेपर कहां से लीक होता है? आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं इसमें कहना चाहती हूं कि क्वेश्चन पेपर की छपाई से लेकर प्रश्न पत्र सेट होने से प्रश्न पत्र बंटने तक का जो सेंटर रहता है, वह प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है तो प्राइवेट सेक्टर उसमें क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए वहां पर ऊपर में कोई नहीं बैठा है। जैसे कि एग्जाम दिलाने के लिए व्यापमं में दे दिया जाता है और व्यापमं में देकर फ्री हो जाते हैं, व्यापमं अपना पेपर लेता है और वह पेपर हमारे प्राइवेट क्षेत्र को दिया जाता है, जो कि वहीं से पेपर लीक होता है और हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता है। सभापति महोदय जी, अभी जो भर्ती हुई है मतलब पुलिस भर्ती में भी ऐसा हुआ है और अभी वर्तमान का ही जो पटवारी और आर.आई. का जो एग्जाम हुआ था, लिखित

परीक्षा का जो पेपर है, वह आउट हुआ है। यह अभी त्वरित घटना है। आर.आई., पटवारी वाली जो त्वरित घटना हुई है, उसे आप सभी जानते हैं। इसमें 11 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो असली उसका मुख्य आरोपी है, वह तो गिरफ्तार हुआ ही नहीं है । सभापति महोदय जी, मेरा कहना यह है कि अगर व्यापमं है या कोई भी संस्था आप ला रहे हो, उसमें एक नियम-कानून होना चाहिए और आप उस पर नियंत्रण करने वाला बनाइये । उसमें संशोधन कीजिये कि उसके ऊपर नियंत्रण किसका है? वह जांच करे । सभापति महोदय जी, व्यापमं की तरह यह हो गया है, विस्तार हो रहा है। नो डाउट विस्तार हो रहा है, इसलिए मैंने स्वागत किया है। लेकिन उसको इस तरीके से कि बच्चों के साथ न्याय हो। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए । आज बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सभापति महोदय जी, इसमें एक चीज और मेरे संज्ञान में आयी है कि एक अध्यक्ष, जो छत्तीसगढ़ शासन का ऐसा अधिकारी होगा, जिसका पद शासन के प्रमुख सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय जी, आप फिर से व्यापमं का आई.ए.एस. वाले लोगों को दे रहे हैं मतलब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का मुखिया रहेगा, वह आई.ए.एस. के लोग रहेंगे। बड़े अधिकारी रहेंगे। आई.ए.एस. वाले रहेंगे। उनको अपना काम करने दीजिये न। आप कुछ ऐसा कुछ नया चयन करके लाइये जो सेफ रहे, आपका एग्जाम दिलवाने के लिए उसको आप रखिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बिल्कुल, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी देर से बैठे हैं, थोड़ा आप राइट साइड को देखिये। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं है? आप उधर राइट साइड देखिये न।

सभापति महोदय :- सुनिए न, आप उधर के बारे में बार-बार जिक्र मत करिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, बार-बार नहीं कर रहा हूं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- सुनिए तो भाई।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं तो यह स्थिति है तो दफ्तर में क्या स्थिति होती होगी?

श्री अजय चन्द्राकर :- य बातें यहां पर बोलने के लिए नहीं हैं। मामू, यही तो गड़बड़ है। आज आप समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं बोला।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ढाई साल पहले का इस सदन का रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस बात को आपने कितनी बार बोला है? मैं आप ही से सीख कर बोल रहा हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- ठीक है, आप बोल लीजिए। संबंधित विभाग के सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। आप बोलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जो मर्ज किए गए हैं, लेकिन मैं इसमें यही चाह रही हूँ कि इसमें कौन-कौन से संशोधन किए गए हैं? कौन सी नई प्रक्रिया लाई गई हैं, जिससे पेपर लीक होने से बचेगा, जिसमें बच्चों को न्याय मिलेगा? जो धांधली हो रही है, उसको रोकने के लिए इसमें क्या नई चीजें लाई गई हैं? यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- संगीता जी, इससे पहले जो विधेयक आया, उसकी चर्चा आपने सुना है या नहीं सुना है? उसमें वही प्रावधान हैं, जिसके बारे में आप बोल रही हैं। इससे पहले जो अधिनियम आया है, उसे आप देख लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, वह Cheat करने वाला है। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको व्या.प.म. में मर्ज कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो नया होना चाहिए?

श्री अमर अग्रवाल :- पहले जो विधेयक आया है, वह किसलिए है? उसमें सब उसी बात का तो प्रावधान है। उसमें निगम, मंडल से लेकर सारे बोर्ड का जिक्र है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं यह चाहती हूँ कि इसे मर्ज कर रहे हैं, इसे विस्तार रूप दे रहे हैं तो यह सब धांधली रुक जानी चाहिए।

सभापति महोदय :- सुनिए ना। आप जो चाह रही हैं, वह आप बोलिए, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, पेपर लीक हो रहा है। विशेष तौर बच्चे दिन-रात बहुत मेहनत करते हैं। पिछली बार भी मेडिकल का पेपर लीक हुआ है, जो कि व्या.प.म. में नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- संगीता जी, पिछली बार जो पेपक लीक हुआ है, उसी पर तो ब्रेक लगाने के लिए, उसी को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। विधेयक को आप पढ़ेंगी, उसमें यह प्रावधान पूरा दिया गया है। केवल इतना ही नहीं है, इस पर रूल भी बनेगा, आप चिंता मत करिये। आप जो-जो चाह रही हो, वह सब होगा। भले ही आप बाद में सुझाव दे देना।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप मेरे थ्रू बात करेंगी तो आपकी सभी बातें पहुँच जाएंगी। आप उधर डायरेक्ट देखकर बात करते हैं, तब उन लोग खड़े हो जाते हैं, फिर आपको डिस्टर्ब होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, बच्चों का मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा की बात थी, जिसका पेपर लीक हुआ था, जो व्या.प.म. के दायरे में नहीं आता। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि हमारे राज्य के बच्चे खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं और आखिरी में एक दिन रात में उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। सभापति महोदय जी, यह समस्या आनी ही नहीं चाहिए। अगर इसमें संशोधन किए गए हैं तो इन सबका प्रावधान होना चाहिए। इस विधेयक में सीधी भर्ती में एकरूपता का उल्लेख है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे एकरूपता आएगी। लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि जब आपने यह विधेयक लाया है, इसमें जो परीक्षा मर्ज किए हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उसमें कुछ

नया और चीज़ लाएँ और उसके बाद हम भी उसमें समर्थन दें। मुझे यह पर्याप्त नहीं लग रहा है, यह थोड़ा सा अपूर्ण लग रहा है। धांधली को रोकने के लिए आप उसमें कुछ नया प्रयोजन करिये, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे बच्चों के साथ अन्याय न हो। यह संशोधन करते हुए आप विधेयक लाएँ। यह बोलते मैं धन्यवाद देती हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, बात शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ (मेजों की थपथपाहट) कि छत्तीसगढ़ के हितों के मामले में हम मिल कर काम करेंगे तो शायद यह प्रदेश देश में अलग स्थान बनाएगा। जितने संसाधन, जितनी मेधा, जितनी योग्यता, जितनी सहमति इस प्रांत में है, इस प्रांत में जो आता है, उनको बाहर जाने का मन नहीं करता। विधान मण्डल में जब ऐसी घटनाएँ घटती हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है कि एक ऐसा नेतृत्व बैठा है, एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष बैठा है जो छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में भी सोचता है और राजनीतिक मतभेद के बाद भी हम किन्हीं मुद्दों पर एक हो सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बताऊँगा। आपने बोला है कि पिछले कार्यकाल का उल्लेख मत करिए। आपने देखा है कि वानिकी विश्वविद्यालय में भी हम लोगों ने सर्वसम्मति दिखाई। उमेश जी नहीं हैं। नंद कुमार पटेल जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना, उसमें भी हम लोगों ने सर्वसम्मति दिखाई। उससे बड़ी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ विधान सभा का पहला सत्र था, जिस समय माननीय जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे। उस समय जैसी घटना घटी थी, मैं सोचता हूँ कि वैसी घटना घटी नहीं होगी, ना आगे घटेगी। हम लोगों ने स्थगन लाया और वह स्थगन प्रस्ताव में बदल गया। आप उस विधान सभा में सदस्य थे, धरम जी भी थे, अमर जी भी थे और इसमें बहस करने के बजाय केन्द्र सरकार से आग्रह करते हैं कि धान खरीदी में छत्तीसगढ़ को सहयोग दें, यह नया राज्य है । जबकि उस स्थिति में हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ था, ढ़ाई साल में आहत हो गये, छत्तीसगढ़ विधायक खरीदी की मण्डी बन गई थी, उस हालत में भी हमने समर्थन किया था, आप सोचिये। छत्तीसगढ़ के हितों की बात आती है तो यह मामला दूसरा हो जाता है । दूसरी बात, ढ़ाई साल का उदाहरण और पचास साल का उदाहरण आता है, आपके विधान सभा में आपके पक्ष का भाषण निकलवाकर देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा । जूता की घटना कब की है, आप आज भी उसका उल्लेख कर देते हैं, उसका इसी विधान सभा में उल्लेख हुआ है । जो उदाहरण बनने वाली घटनायें होती है, आप शामिल नहीं थे, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष के जांच को खत्म करके उसको अयोग्य था तो भी योग्य बनाया गया, प्रदेश में पी.एस.सी. का यह उदाहरण कैसे नहीं आयेगा? इसमें आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, इस दल के खिलाफ भी कुछ नहीं है, जिस आदमी का व्यक्तिगत इंट्रेस्ट था, उसके खिलाफ है । यह कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं है । ऐसी घटनायें रूके,

इसीलिए तो यह विधेयक है । माननीय सभापति महोदय, जब हम छत्तीसगढ़ बनाये और उसके बाद डॉ.रमन सिंह की भाजपा की सरकार बनी, मैं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मंत्री था । मुझको 6 महीने बाद जुलाई में वर्ष 2004 में बनाया गया । पहले डॉ.बांधी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ.बांधी थे । अमर जी बैठे हैं, वह वित्त मंत्री थे । मैंने डॉ.साहब से आग्रह किया कि परीक्षा लेने के लिये एक संस्था बनानी है । उस समय पैसा कम होता था तो बोले कि वित्तीय भार तो नहीं बढ़ेगा ? मैंने कहा वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा और पैसा मिलेगा, व्यापम उसी धारणा से बनी, फीस के पैसे से सरकार ने भी उधारी लिया, वापस लिया कि नहीं लिया मैं नहीं जानता । मैं बहुत दिनों से नहीं हूँ, लेकिन मैंने व्यापम गठन किया था, उन लोगों के सहयोग से बैठे हैं कि तत्काल सहमति दी जाये । अब इसको विस्तारित किया जा रहा है । यह निश्चित रूप से चतुर्थ श्रेणी की या पी.एस.सी. से बाहर की परीक्षायें हैं, उसमें से कुछ ही परीक्षाओं में, आज की तारीख में व्यापम कितना ओव्हरलोडेड है ? आज उसके पास बिजनेस भेजोगे तो दो साल बाद समय मिलेगा कि साहब न परीक्षा के लिये मेरे पास संसाधन है ओर न ही कुछ है, मैं आपको अभी समय नही दे सकता । अब इसको विस्तारित किया जा रहा है और चतुर्थ श्रेणी को भी उसमें शामिल किया जा रहा है । अब यह मजबूत होगी । संस्थायें बनती है, बिगड़ती हैं । व्यापम समाप्त हुआ और यह व्यापम की जगह लेगा और मजबूती के साथ लेगा । मैं एक नई बात बोल रहा हूँ और उसको स्पष्ट करूँगा, अभी नेता प्रतिपक्ष जी हैं, मैं जिस दल से आता हूँ, जिस विचारधारा से आता हूँ, उन दोनों में मुझ गर्व है । हमको किसी भी तरह का आक्षेप लगाया जाये, हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हैं, इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है । (मेजों की थपथपाहट) राष्ट्रवाद अचानक कहां से आ गया, हम क्षेत्रीयता की बात नहीं करते हैं, इस विधान सभा में जब भी मेरे साथ जात-पात वर्ग की बात हुई, मैं बहुत दृढ़ता से विरोध करता था । चाहे आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया चलता था, उससे पहले दो सदस्य होते थे, दो-तीन हमारे सदस्यों को इंगित करके बोलते थे कि पिछड़े विधायक को जातिगत संबोधन से इनकी बात को नहीं सुनते हैं तो मैं हमेंशा कहता था कि इस तरह से कमजोर बातें विधान सभा में नहीं होनी चाहिये । चिंतन में वह संकीर्णता नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को डोमिसाइल नीति बनाने के कारण अपना पद खोना पड़ा था । मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, इसको सुन लीजिए कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुये तो वह कहां जायेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है । रविशंकर यूनिवर्सिटी में एम.ए. छत्तीसगढ़ी की कक्षा खुली, वह क्यों बंद होने के कगार में है या बंद हो गई, मैंने आज उसकी लेटेस्ट स्टेटस नहीं ली। क्योंकि किसी भी सेवा भर्ती नियम में, किन्हीं पदों में हम छत्तीसगढ़ी को प्राथमिकता दें, यह शामिल ही नहीं है। लोकल परीक्षाएं जिसको हम कंडक्ट करेंगे, हमारी लेजिसलेशन से बनी संस्था, संवैधानिक संस्था PSC, UPSC की तरह बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारी लेजिसलेशन से परीक्षा लेने की संस्थाएं बन रही हैं, उसमें क्या हम यह बात कर सकते हैं कि स्थानीय बोली भाषा को किसी तरह की प्राथमिकता दी जाए,

इसको हम मूल कानून में जोड़ें। आज भी चतुर्थ श्रेणी में सुदूर बस्तर के बच्चे जो हिंदी नहीं बोल पाते, मध्य क्षेत्र में आकर छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाते, यदि उनके लिए हिंदी में परीक्षाएं आयोजित हो गई तब क्या होगा? सुदूर जशपुर, सरगुजा के बच्चे जो अपनी स्थानीय बोली के अतिरिक्त हिंदी को नहीं जानते या लेजिसलेशन से बन रही हैं तो आठवीं अनुसूची की भाषाओं में यदि परीक्षा आयोजित होगी तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? जब हम छत्तीसगढ़ के हितों की चिंता कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, मैं तो इसकी विधेयक में थोड़ी देर में बातचीत शुरू करूंगा, कोई छेड़छाड़ मत कर सके, एक राजनीतिक संदेश, छत्तीसगढ़ के हितों का संदेश जाएगा कि हम अपने द्वारा की जा रही लेजिसलेशन में छत्तीसगढ़ की स्थानीय बोली को किस तरह से प्राथमिकता दे सकते हैं, यहां के कैरिकुलम को बनाकर किस तरह से प्राथमिकता दे सकते हैं, इसके प्रावधान इसमें किस तरह से हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, मैंने राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद से शुरू की, यदि IAS में आते हैं, PSC में आते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते, कोई ऐसा कानून नहीं है। इसमें कोई न कोई ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जिसमें उन बच्चों को, वीकर सेक्शन के बच्चों को प्राथमिकता मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। यदि उसमें भी बाहर के लोग आएं तो समझ लीजिए जो शब्द मैं नहीं बोलता, वह शब्द आज जानबूझकर बोला हूं । आप कहें तो मैं पूरा अधिनियम पढ़ दूंगा, हम उचित स्थान पर इसको कैसे स्थानीयता को प्राथमिकता दें, सिर्फ इसी चीज़ में स्थानीयता को प्राथमिकता दे सकते हैं, इसको हमको सोचना और करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे, मैं आग्रह तो नहीं कर सकता, वह मेरे नेता हैं, वह सारी स्थितियों को समझते हैं, अधिनियम के कानून को भी समझते हैं, वह लोग भी बैठे हैं, कानून के सचिव भी बैठी हुई हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें किस तरह से उसको शामिल करना चाहिए और आगे लोग छेड़छाड़ न कर सकें। इसमें विचार करने की जरूरत है। संगीता जी, मैं सबसे पहले उद्देश्यों को पढ़ देता हूं। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कई पद हैं जिसके लिए समान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ऐसे कार्यालय समय-समय पर इन पदों की पूर्ति हेतु भर्ती करते हैं। वर्तमान में समान योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को पृथक-पृथक पदों के लिए पृथक आवेदन करना पड़ता है। यह कमी है, जो बड़ा गैप है, वह यह संस्था पूरी करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कानून में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर के पद का उल्लेख नहीं होना चाहिए। वह अन्य परीक्षाएं जो छत्तीसगढ़ के विभाग, आयोग, निगम, मंडल कोई भी जो भर्ती करती हैं, जैसे आपने नकल-रोधी कानून में कहा, जो PSC से बाहर हैं या UPSC से बाहर हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे बाहर हैं, हमारी PSC के लिए जो पदें निर्धारित हैं, उनके अतिरिक्त अन्य जो छूटते हैं, उसको भी यह कंडक्ट करेगा, इसको इसमें शामिल करना चाहिए। आप तृतीय और चतुर्थ श्रेणी बोलकर अपने आप को लिमिट कर रहे हैं और बहुत सारे चीज आगे निकल सकते हैं तो उसमें अन्य एक लगाना चाहिए। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको आवश्यक समझें तो आप इसको जरूर

स्थान दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो सुझाव हैं, उसमें मैं कुछ चीजों को बोल देता हूं। जिसमें शायद हो सकता है कि नियम बनाते समय इस बात को ध्यान रखा जाए, परंतु मैं इसलिए इसमें चिंतित हूं, क्योंकि मैं इसको कानून में डलवाना चाहता हूं, नियम में नहीं कि उसमें परिवर्तन के बाद विधानसभा आना पड़े। जैसे जो भी अध्यक्ष बनेगा, उसका क्वालिफिकेशन होगा। PSC में IAS था। IAS के खिलाफ जांच है। आप प्रमुख सचिव स्तर के लोगों को बनाएंगे। आपने जिसको PSC का अध्यक्ष बनाया था, उसकी पूरी जांच समाप्त कर दी गई और उसको बना दिया गया और उससे हर काम करवाया गया, जो आप करवा सकते थे। यह स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए कि उसके खिलाफ किसी तरह की जांच लंबित नहीं है और दूसरा कोई एक्सटेंशन वाला आदमी उसमें नहीं बैठेगा। जिसको एक्सटेंशन दिया गया है, वह आदमी उसमें नहीं बैठेगा। यह कानून में आना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे खिलाड़ी आते हैं, हमने वह खेल पिछले साल देखा है। आप फिर मुझे कहेंगे। यह स्पष्ट प्रावधानित होना चाहिए। दूसरी बात, आप क्या सेटअप स्वीकृत करेंगे, यह आपका विषय है। आप उसको नियमों में लाइए या किसी अन्य में लाइए, लेकिन इस संस्थान में संविदा के कर्मचारी नहीं होंगे। इसके सेटअप में नियमित कर्मचारी होंगे और इसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल से ज्यादा रिक्त नहीं रखा जाएगा। यह इसमें लिखा जाना चाहिए। क्योंकि लाखों लोगों के भविष्य को यह तय करेगा, इसलिए इसमें किसी तरह की गुंजाइश ही न रहे। इन दोनों विषयों को नियम के बजाय कानून में या अधिनियम में शामिल करना चाहिए ताकि जो बीच-बीच में समय-समय में अवसरवादी होते हैं, जिसका नेताजी ने उल्लेख किया, यदि वह आयेंगे तो उसका दुरुपयोग मत कर सकें और दुरुपयोग करने की स्थिति में उसको विधान सभा आना पड़े। आप तृतीय और चतुर्थ तक इसको सीमित करना चाहते हैं। नाम बदलने में यदि कोई प्रॉब्लम है तो अभी इस बात में भी हो सकती है कि इसमें भी हम अनुसूची लगा सकते हैं कि कौन-कौन से अन्य पद हो सकते हैं, जैसा राज्य शासन उचित समझे, इनके अतिरिक्त निर्णय ले सकता है। ऐसी तीन-चार चीजें हैं और मैं सोचता हूं कि उनको नियम में नहीं, अधिनियम में शामिल करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके सहयोगी साथी मंत्रिमंडल के सदस्यों को, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अच्छे अवसरों में उपस्थित रहते हैं, पहली बार निर्वाचित होने और राजनीतिक व्यस्तताओं के बाद भी उनकी सीटिंग काफी है। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं कि मूल विधेयक तीन आये।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी, मुझे जितना सुनाना था, चंद्राकर जी ने उतना सुना लिया।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैंने कहां सुनाया? मैंने तो आपकी प्रशंसा ही की।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने अच्छा किया। मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूं। आप मेरी प्रशंसा मत कीजिएगा। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, अमूमन जिन कारणों से विधान मंडल बनता है, वह प्रश्नकाल के बाद या ध्यानाकर्षण के बाद शुरू होता है। वह तो लोक महत्व के विषय रहते हैं। उसमें लिखा रहता है। लोक महत्व के विषय में हम लोगों को मजा आता है, लेकिन हमारी असली ड्यूटी तो दूसरे पार्ट में ध्यानाकर्षण के बाद शुरू होती है। उसमें मूल विधेयक कभी-कभी देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन यदि आपने तीन-तीन विधेयक लाया है तो इसको मैं सबसे गतिशील सरकार कह सकता हूं। गतिशील सरकार के गतिशील मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की गैप फिलिंग की है, मिसिंग लिंक को पकड़ा है और गैप फिलिंग करने के लिए इस तरह के नये-नये विधेयक आये हैं। माननीय सभापति महोदय, लगभग सात अध्याय हैं। लगभग नहीं, कानून में कहां से लगभग होगा? सात अध्याय और 22 धाराओं से यह सजी हुई है। अब मेरा ख्याल है कि एक-एक धारा को पढ़ने से तो बहुत टाइम लगता है। हम एक-एक धारा में भी बहस कर सकते हैं। भर्ती नियम जो अलग-अलग अधिसूचनाओं से संचालित होता था, अब इसके बनने के बाद सभी विभागों में एक ही भर्ती कानून आ जाएगा। अलग-अलग विभागों के भर्ती कानून की जगह में एक कानून आ जाएगा। अब इससे पूरे प्रदेश में एक ही ढांचा विकसित होगा और एक भर्ती नियम होने से अलग-अलग पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वन विभाग का है तो दूसरा पढ़ो, तकनीकी विभाग का है तो दूसरा पढ़ो, स्थानीय शासन का है तो दूसरा पढ़ो। जो अलग-अलग भर्ती नियम में ADO की भर्ती हो रही है तो ग्रामीण विकास को पढ़ो, पशु चिकित्सक की भर्ती हो रही है तो बैल और भैंस के बारे में पढ़ो। रामकुमार जी नहीं है क्या ? आप बैल, भैंस के बधियाकरण के बारे में क्या जानते हैं, यह पूछ दें।

समय:

3.00 बजे

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- द्वारिकाधीश जी बैठे हैं, वह बतायेंगे। रामकुमार जी भी आ गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए जो न्यायिक चीजें होती हैं कि आपकी सेवा भर्ती नियम में यह गड़बड़ी है, वह गड़बड़ी है, आपने विषय से बाहर पूछा है, ऐसा पूछा है, वैसा पूछा है, इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उन सबसे मुक्ति मिलेगी और इससे जो भ्रम और विवाद पैदा होते हैं, उसमें कमी आएगी ।

श्री रामकुमार यादव :- नेताजी, एक मिनट। आप बहुत वरिष्ठ नेता हन। आपके ज्ञान तो अब अईसने हो गे हे कि लइका मन कहत है कि आपके ज्ञान की जांच की जाये। लेकिन में हर जो सोचे हन, तेकर अनुसार कहत हंव। इस सदन के अंदर आप मन के अब कोई काम नहीं बचे हैं, अगर सिर्फ बचे हे

तो हां या ना में कहे बर बचे हे। इसमें आपका क्या मत हे, तो हां, इसमें ना। आप मन के अतकीच बस बचे है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोर? मैंने बोला ना कि माननीय मंत्रीगणों को ऐसी चीजों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है । जो ऐसे विषय में भाग लेते हैं, वह समृद्धशाली लोग हैं और वह प्रदेश का हित करते हैं। मंत्रीगणों द्वारा कैबिनेट में इसको अनुमोदन करने का काम रहता है, फ़्लोर में लाने का नहीं रहता। आप समझ रहे हैं ना कि यह कितना बड़ा अवसर है? इसमें बहस करके मैंने अभी जो बात कही क्या उसको आपने सुना ? मैंने इसमें बोला था कि आपकी भर्ती के लिए इसमें क्या प्रावधान होने चाहिए । यदि मैं उधर बैठता तो यह अवसर नहीं आता, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ? सभापति महोदय, इसमें परिभाषाएं दी गयी है। इसमें जो कानूनी परिभाषाएं हैं, उसकी स्पष्टता दी गयी है, जिससे प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ होगी, विज्ञापन पढ़ना आसान होगा, भर्ती से जुड़े विवाद सरल होंगे और इसमें अभ्यर्थियों और अधिकारियों के बीच में सूचना पारदर्शिता निश्चित रूप से बढ़ेगी।

अध्याय दो- पदों का चयन। इसमें एक परीक्षा से कई विभाग संचालित होंगे। यदि एक परीक्षा से सभी विभागों की भर्ती होती है, तो इससे सबको समान प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। यह बहुत बढ़िया है और मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। अलग-अलग पढ़ाई और अलग-अलग तौर तरीके से जो विवाद होता था, वह सब दूर हो जाएगा।

मण्डल की स्थापना। हमारे पास स्थायी भर्ती संस्था कभी नहीं थी। राज्य स्तरीय मण्डल गठन होगा। इससे लोक सेवा की सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें तो जोरदार वाली बधाई बनती है। मामा, आपको तो टेबल ठोकना चाहिए कि यह बहुत अच्छा प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट) यदि एक परीक्षा से कई विभागों में भर्ती होकर जाएंगे तो प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बढ़ेगा और निश्चित रूप से उनका मानसिक स्तर ऊंचा ही रहेगा और सभी बेरोजगारों को 10 परीक्षाओं की तैयारी करने के बजाए एक परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। अब बताईये कि कितना अच्छा अवसर है और इसमें क्या विरोध हो सकता है ? वैसे संगीता जी ने कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि हम सहमत हैं, उन्होंने प्रशंसा तो नहीं बोला है।

अध्याय-पांच, मण्डल का गठन और अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति। इसमें मैंने अपनी बात कही है। इसमें एक्सटेंशन वाले, संविदा वाले और इस तरह के लोग जिनके सी.आर. गड़बड़ हैं, ऐसे लोग न बैठें, नहीं तो उसमें भी चौटाला बेचारा अभी तक दस साल में है। अभी हरियाणा में बाप-बेटा दोनों एक साथ आनंद ले रहे हैं। सचिव और अधिकारी भर्ती कैलेण्डर का संचालन व कार्य विभाजन करेंगे। कार्य विभाजन स्पष्ट होने से मण्डल की कार्यक्षमता बढ़ेगी। जब फाइल चलती है, तो निर्णय प्रक्रिया के लिए टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, अभी डंप करके रखिये, इस परीक्षा के बाद इसकी मांग को स्वीकार करेंगे। यह सब समस्याएं दूर हो जाएंगी और इससे आधुनिक प्रबंधन प्रणाली विकसित होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, क्या इसमें यह क्लियर है कि इसे प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा या इसमें कुछ और है?

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी, आप इसे पूरा पढ़ी नहीं है। आज मैं आपकी सहमति के बाद आलोचना करने के मूड में नहीं हूं। आप समझ रही हैं ? इसमें असली चीज यह है कि इसके भी नियम टेबल होंगे। आप समझ रही हैं ? जब नियम टेबल होंगे तो मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि इन दोनों कानून से कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापित महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुन तो लीजिए यह कठिन शब्द है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह बात मुख्यमंत्री जी के भाषण में आनी चाहिए।

सभापित महोदय :- आपने बोल लिया ना ? चन्द्राकर जी, बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप यह समझ लें कि कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति है । आपका गौरव बढ़ रहा है और यदि आप इस सुझाव से असहमत हैं तो जब नियम टेबल होगा तो आप उसमें सुझाव दे सकती हैं, चूंकि मैंने पहले विधेयक में बोला था कि आप चर्चा कर सकती हैं करके । इसमें अध्यक्ष की शक्तियां, समिति का गठन फिर समिति की कार्यप्रणाली, मेरिट सूची का निर्धारण, सामूहिक निर्णय से कमेटी की पारदर्शिता से लेकर सभी चीज और उसके बाद मंडल निधि, बारहवें धारा में अलग निधि, शुल्क अनुदान सब । बहुत पैसा आयेगा, अभी 30 करोड़ लगेगा तो लगेगा लेकिन इसमें पूरी परीक्षा में बहुत पैसा आयेगा । सरकार उधार ले सकती है, इससे दे चुकी है, व्यापम का पैसा, माध्यमिक शिक्षा मंडल का पैसा हम ले चुके हैं, अब वापस हुआ या नहीं हुआ, मैं यह नहीं जानता । माननीय सभापति महोदय, निधि का उपयोग । अनियोजित खर्च, अब नियोजन है, संसाधनों का अधिक उपयोग संभव है, लागत, नियंत्रण, दक्षता, भर्ती प्रक्रिया, आधुनिकीकरण वहां की दक्षता के लिये आप उस निधि के उपयोग के बारे में भी निर्णय है । ऑनलाईन परीक्षा, बजट, भर्ती कैलेण्डर, लेखा परीक्षा, खर्च की जांच इसमें वह सारे प्रावधान हैं जो होने चाहिए । माननीय सभापति महोदय, अध्याय-6 में राज्य सरकार का नियंत्रण है । इसी नियंत्रण में ही है राज्य सरकार का न, आप पढ़िएगा, जो विधानसभा में टेबल होगा । अध्याय-7 है, कार्यवाही की वैधता । इसमें मैं कुछ चीजें शायद, देखिये । यह कौन सा अध्याय है, अध्याय-1 में ही है संयुक्त चयन प्रक्रिया को परिभाषित किया है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341-342 में है और नाम में भी स्पष्ट है, यह तो बोल चुका हूं । सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आदेशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कार्रवाई की गयी है तो उसके विरूद्ध वाद अभियोजन और विधिक कार्रवाई नहीं हो सकेगी, यह बहुत अच्छा प्रावधान है, बहुत अच्छा । सद्भावनापूर्वक किया है तो उसको प्रोटेक्शन, यहां दौड़-दौड़कर यदि सरकारी कर्मचारी हैं, यदि संचालित कर रहे हैं तो दिमाग में बैठा है कि सेटिंग ही

हो जायेगी, भ्रष्ट हो जायेगी । लोगों का विश्वास जो आपने खत्म किया है न, लोग ऐसे पदों में जाने से डरते हैं, जब यह प्रोटेक्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके पास जवाबदेही आयेगी कि साहब, मैं निर्णय ले सकता हूं करके । अब बाकी तो लगभग ठीक है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, अब समाप्त करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, मैं अब बस समाप्त कर रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं बोलता । मुझे इसमें कुछ कारणों से थोड़ा बोलना पड़ गया ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं । मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं । आप डिटेल में बढ़िया बोल लिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो अनिर्णय से डरते थे । अधिकारियों को उसमें संरक्षण इस धारा से मिला । नियमों में अन्य विधियों पर प्रभाव तो विभागीय नियम भी अब प्रभावी रहेंगे । कानूनी स्पष्टता, भर्ती नियमों में विवादों में कमी, प्रशासनिक सरलता यह सब चीजें इससे आयेंगी और जो नयी प्रणाली विकसित हो रही है उससे लाभ मिलेगा और अंत में इसमें जो समितियों का प्रावधान है, 4-5 समितियों का, मैं इसमें कोई सुझाव, इसके नियम आयेंगे तभी दूंगा। मैं बहुत देर तक इसको सोच रहा था कि मैं एक समिति का और सुझाव दे दूं क्या करके ? पाठ्यक्रम समिति, पाठ्यक्रम समिति पर ही मुख्य रूप से बात है कि पाठ्यक्रम कैसे बनें ? परीक्षा के कौन से पाठ्यक्रम बनने चाहिए और कैसे बनने चाहिए ? उसकी विशेषज्ञता क्या होनी चाहिए ? मैं चाहता था कि नियम में आयेंगे, शायद आप लोगों ने सोचा होगा लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को अवसर देने के लिये आप जो पाठ्यक्रम समिति बनायेंगे । परीक्षा समिति में जो पेशेवर लोग रहें । अभी तो परीक्षा नियंत्रक के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक लाईन लिख देंगे कि साहब, प्रतिनियुक्ति के पद हैं और प्रतिनियुक्ति में मेरे पास एप्रोच आते थे कि इसको व्यापम के सचिव बना दीजिये करके, परीक्षा नियंत्रक बनने के लिये, मेरे पास, जब मेरे पास व्यापम था और बड़े-बड़े लोगों के फोन आते थे तो मैंने कहा कि साहब, इसमें पेशेवर लोग रहेंगे इसमें एप्रोच का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वित्त समिति, नियम बनने के बाद ही इसमें बात होगी। कार्यकारी समिति जब मण्डल की कार्यकारी होगी तो उसके नीचे कितने इंपॉवर कमेटी होगी, उसमें क्या-क्या प्रावधान होंगे, मैं इसको बार-बार सोचते रहा, लेकिन मैंने कहा कि इसको नियम बनने, पढ़ने के बाद देखेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम जो समिति है, वह छत्तीसगढ़ के बच्चों को संरक्षण देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अंत में कहना चाहूंगा कि इसमें एक जो स्पष्टीकरण है, यह बहुत स्पष्ट है। इसमें कहीं आपत्ति की जरूरत नहीं है नियम विनिमय बनाने के शक्ति प्रत्यायोजित की जो संस्थाएं सामान्य स्वरूप की हैं, यह बिल्कुल सामान्य स्वरूप की हैं। इसका भी स्पष्टीकरण दे दिया है तो यह बहुत अच्छा है। इसमें वित्तीय ज्ञापन भी लगा है और संवैधानिक स्थिति भी अनुच्छेद 207 के अधीन अनुशंसित है तो यह प्रक्रिया भी बिल्कुल पुष्ट है और इसके उद्देश्य

बहुत अच्छे हैं। मैंने जो कहा कि नाम में एवं अन्य जोड़ा जा सकता है कि राज्य सरकार के पी.एस.सी. के बाहर के पदों को राज्य सरकार की संस्थाएं जो हैं उनके तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के, जैसे आपने नकल में परिभाषित किया है मैंने विश्वविद्यालय को। यदि सी.एस.ई.बी. के तृतीय, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं वह निगम बोर्ड है, वह तो भरती है, वह यही भरेगा निगम बोर्ड को या राज्य के तृतीय, चतुर्थ कर्मचारी को भरेंगे। तो इसको अन्य सेवाएं करके, राज्य सरकार के अधीन निगम मण्डल के भी तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पद इसको परिभाषित करना जरूरी है। चूंकि तृतीय, चतुर्थ श्रेणी अधिनियमित हो रही है तो यदि इसी में हम अन्य जोड़ देते हैं और जो मैंने कहा था इस संस्था के आने के बाद, आज ही अनुसूची में संशोधन की स्थिति है कि उसकी अनुसूची में व्यापम जुड़ा हुआ है नकल वाले में, अब उसको ये जोड़ना पड़ेगा, इस संस्था का नाम छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, इसमें भी 6 महीने का लेट होगा। तो यहां विधि सचिव महोदया बैठी हैं उस अनुसूची में इसके पारित होने के बाद तत्काल कोई सुधार हो सकता है क्या? कि राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद, जब सरकार के पास आएगा, उसके बाद अनुमोदन होगा। इसमें विधान क्या कहता है, मैं इतना एक्सपर्ट आदमी तो नहीं हूँ। पर उसके लिए फिर संशोधन के लिए 6 महीने लेट होगा। जब विधान सभा आएगी, ऑडिनेंस होगा तो अलग बात है और दूसरी बात जो मैंने कहीं कि तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पद या अन्य नहीं जोड़ते हैं तो क्या हम इसमें भी अनुसूची जोड़ सकते हैं क्या ? कि तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त जो मार्कफेड के तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, नान के तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या मण्डी बोर्ड के हैं जिसके भी भर्ती नियम होंगे । आप एक रूपता तो ला रहे हैं, वह ठीक है। लेकिन तृतीय, चतुर्थ श्रेणी सिर्फ सरकार के या सरकार के विभाग के या सरकार के विभाग अध्यक्ष के बाहर जो निगम बोर्ड स्वशासी संस्थाएं हैं उनके। इसको थोड़ा क्लियर करें, इसको कैसे जोड़ सकते हैं या इतना अधिनियम में बनने के बाद, इसमें नियम में भी उल्लेख नहीं हो पाएगा, मैं जो सोचता हूँ पर कुल मिलाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संस्था को बनाने के लिए बहुत-बहुत बधाई। मैंने जो बात कहा उसमें आपको लगता है कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है, मैंने नाम पर कहा, मैंने परीक्षा पर भी कहा, अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी कहा और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही है कि तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बच्चों की भूमिका हो। हम दो दिनों से आपके संवेदनशील नेतृत्व का प्रदर्शन देख रहे हैं। आपने सोच, समझकर सही समय में सही चीजें लायी हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई। आपके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को बधाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी सुन रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत बधाई।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 लाया गया है, मैं इस विधेयक में अपनी बात रखना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत होता है, हम उनके विचारों पर बहुत प्रभावी रूप से बात करते हैं उनके विस्तारीकरण पर बात करते है। हम आरोप-प्रत्यारोप से किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, तभी इस विधेयक का पूर्ण उद्देश्य सफल हो सकता है । माननीय अजय चन्द्राकर जी ने 7 अध्याय और 22 धारों पर बहुत अच्छी बातें कही । उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है, लेकिन इस विधेयक में कुछ बातों का उल्लेख नहीं हुआ है, उसमें जरूर इन बातों का उल्लेख होना चाहिए । माननीय अजय चन्द्राकर जी ने एक्सटेंशन पर बात कही है कि कृपा पात्र । मैं सीधा कहूंगा-कृपा पात्र । इस पर बिल्कुल वे कर्मचारी नहीं आने चाहिए । यदि आपने इस विधेयक को एक बड़े प्रभावी रूप से काम करने के रूप में या युवाओं को रोजगार देने के रूप में मूर्त रूप देने के लिए आपने विधेयक लाया है और इसकी प्रासंगिकता पर बात हो रही है तो जरूर उस कृपा पात्र या एक्सटेंशन वाले कर्मचारी नहीं होने चाहिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल हो ।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं । सरकारें आती हैं, जाती हैं, पर विधेयक ऐसा होना चाहिए, जिसकी विश्वसनीयता बनी रहे । इस विधेयक में पारदर्शिता जरूरी है । ये आरोप-प्रत्यारोप का दौर नहीं है । विधेयक के निर्माण पर चर्चा हो रही है । हम सबकी जवाबदेही बनती है और हम सबकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है कि हम विधेयक के किन खण्डों पर विचार कर रहे हैं और उन बातों को प्रभावी रूप से कैसे इस सदन में रख रहे हैं, ताकि वे लंबे समय तक वह विधेयक इस सदन के माध्यम से कार्य रूप में परिणित हो, जिसे हम अंगीकार करें और जिसे हम लागू करें और वह आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करें। लेकिन अभी मैंने देखा है कि इसमें कुछ चीजों का जो प्रावधान होना चाहिए, वह इस विधेयक में नहीं दिख रहा है । नये सिरे से इस विधेयक में थोड़ी बहुत सुधार या ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी । क्योंकि हमने देखा है कि कुछ बातें जो प्रभावी रूप से पक्ष के भी साथी और विपक्ष के भी साथी उन बातों को उदाहरण के रूप में बात कर रहे थे कि पिछली सरकार में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, मैं उन घटनाओं पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं जरूर कुछ बातें करना चाहता हूं। चाहे वह राजनांदगांव पुलिस भर्ती की बात हो या बिलासपुर में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा की बात हो, उस घटना को हमें ध्यान देना होगा, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति मत हो । समय-समय पर संशोधन करते हैं, ताकि समय के आधार पर उन पर परिवर्तन किया जा सके । हम उन बातों को समाहित करते हैं, जिससे की निष्पक्षता के साथ कार्य किया जा सके या स्वीकार किया जा सके ।

सभापति महोदय, 2011 में तखतपुर वाली घटना जो आपकी विधान सभा में हुई थी । वह छोटी-मोटी घटना नहीं थी । उसका संचालन रायपुर से हो रहा था, दो स्थानीय लोग शामिल थे, 70 से 80 बच्चों को प्रलोभन देकर कि ये प्रश्न आएगा, इसकी तैयारी कीजिए, यह होगा । पता चला तो छापे

पड़े और 70 से 80 बच्चों के साथ नकल कराने वाले पकड़े गए, कार्रवाई हुई, लेकिन जहां दो मास्टर माइंड रायपुर में रूके थे, जिस होटल में ठहरे थे, वह होटल तीनों तरफ से बंद था, एक ही तरफ से जाने का रास्ता था, उसके बाद वह कैसे भाग गए । ये कहीं न कहीं विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी करता है, लेकिन फिर भी हमको ऐसी बातों से सचेत होना पड़ेगा कि ऐसे बाहर के लोग आकर यहां पर ऐसा रेकेट चलाते हैं और हमारी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी करते हैं ।

सभापति महोदय, 2025-26 की घटना जिसके बारे में हमारे सदस्य महोदय ने उल्लेख किया कि जब विभागीय तौर पर आर.आई. की परीक्षा हो रही थी तो उस परीक्षा में बहुत से ऐसे कर्मचारी गिरफ्तार हुए, लेकिन जो मुख्य मास्टर माइंड है, उसकी जानकारी होते हुए भी वह अभी तक खुला घूम रहा है, जिसने पेपर सेट किया है, जिसने पेपर लीक किया है, क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती ? वैसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए । हम तो केवल छोटे कर्मचारी के ऊपर खानापूर्ति के लिए कार्रवाई करते हैं और वह बेचारे सस्पेण्ड हो जाते हैं। लेकिन जो मास्टर माइण्ड होते हैं, उनके ऊपर भी ऐसी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सभापति महोदय, जो गलत करते हैं, चाहे किसी भी सरकार हो, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। जो गलत करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। निजी संस्थानों से पेपर सेट कराने का जो काम चलता है, उस पर बराबर रोक लगनी चाहिए। सरकार की कुछ संस्थाएं काम करें, ताकि उसकी पारदर्शिता बनी रहे, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। मैं सुझाव के रूप में यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विधेयक लाया है, मैं भी इसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं ने भविष्य का सपना देखा है, जो पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जब परिणाम आशा के अनुरूप नहीं होता है, विपरीत परीक्षा परिणाम आते हैं तो वे हताश होकर गलत निर्णय लेते हैं। वह अपने मां-बाप का सपना होता है। मां-बाप के सपनों को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी और दायित्व होता है। मैंने इसमें कुछ संशोधन और सुझाव के रूप में आपसे निवेदन किया है। इस विधेयक वह जरूर समाहित हो। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित तौर पर 'कर्मचारी वृन्द' किसी भी कल्याणकारी राज्य के नियम-कानून, योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला सबसे ताकतवर समूह होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ विकासशील राज्य है और आने वाले समय में एक विकसित राज्य बनने के रूप में अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में आज का ये दोनों बिल महत्वपूर्ण बिल साबित होने वाले हैं। क्योंकि कर्मचारियों-अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया है, मैं समझता हूं कि वह एक माता के कोख के समान होता है। अगर उस कोख से ईमानदार बच्चे पैदा

होंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से बिना भेदभाव और बिना स्वार्थ के लोगों तक योजनाएं पहुंचायेंगे।

सभापति महोदय, अभी इस समय नाना प्रकार के अलग-अलग विभागों के माध्यम से, मण्डलों के माध्यम से, आयोगों के माध्यम से भर्तियां होती हैं। सबके अलग-अलग विज्ञापन निकलते हैं। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं। हर विभाग का अलग-अलग भर्ती नियम बना हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्त की जरूरत को समझा कि समय कैसे बचाया जा सकता है, धन का अपव्यय कैसे बचाया जा सकता है, कैसे एकरूपता इस सिस्टम में लाई जा सकती है। उन्होंने उसका अंदाजा लगाकर एक कुशल तैराक की तरह इतने गहरे पानी में छलांग लगाने का साहस किया है। मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पूरे एक्ट को पढ़ने के बाद कुछ बातें मेरे मन में एक संदेह के रूप में आ रहा है। खास करके मैं फिर से कहना चाहता हूं, कई लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ बस्तर और सरगुजा की ही बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा यह दोनों संभाग हमेशा से स्थानीय भर्ती को लेकर लड़ाई लड़ते रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग, वहां पढ़ने वाले बच्चे सीधा-सीधा वर्ग 3 और वर्ग-4 की शासकीय सेवा में भी नहीं आ पायेंगे, तो उनके साथ क्या होने वाला है ? उसको इस एक्ट में कहीं पर जगह मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। कर्मचारी चयन मंडल जब नियुक्ति की बात करे, क्योंकि दोनों ही संभागों में वहां का जो एजुकेशन स्टैण्डर्ड है, वहां की जो जरूरतें हैं, अभी माननीय चंद्राकर जी बोल रहे थे, एक बस्तर का बच्चा उसको आप अंग्रेजी और हिंदी में परीक्षा लेंगे तो वह क्या करेगा? वह बड़ा मुश्किल से तो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता है, नॉन टेक्निकल रहता है और क्लास फोर्थ और क्लास थ्री जैसे पदों पर भी अगर उसको अच्छा अवसर नहीं मिलता है, उसको सरकार का संरक्षण अगर नहीं मिलता है, इन क्षेत्रों में जो उपलब्ध आरक्षण है वह आरक्षण अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है। और मैं समझता हूं कि इस पर जरूर ध्यान दिया गया होगा और अगर ध्यान नहीं भी दिया गया होगा तो आज मैं आप सबसे यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जाए क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और आवश्यकता भी है। माननीय सभापति महोदय, वैसे भी हमारा जब राज्य अलग हुआ, तो हम मध्य प्रदेश से जब अलग हुए तो यहां पर आकर आदिवासी 32% होने के बावजूद भी वर्ष 2012 तक 20% की भर्ती प्राप्त कर रहा था और आज तक वह जो गैप था, जो 20 और 32% के बीच का जो गैप था, वह बैकलॉग की भर्ती आज तक की पूरी नहीं हो सकी। तो क्या इस एक्ट के माध्यम से हम उन रिक्तियों को भी कवर करेंगे क्या? इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खैर, जब यह मंडल अस्तित्व में आ जाएगा उसके बाद उनकी बातें आएंगी। प्रमोशन को लेकर भी यही स्थिति है, प्रमोशन के लिए जो रोस्टर्स बनाए गए हैं, उसमें भी मैं समझता हूं कि बहुत सारी कमियां हैं, उसको भी दूर करने की आवश्यकता है ताकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, उनको पारदर्शिता के साथ-साथ

न्याय भी मिल सके। इस मंडल में अभी पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी कुछ चिंताएं रखी थीं कि इसके जो चेयरमैन होंगे, उसको किस तरीके से आना चाहिए? क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों में जो अनुभव किया, उसका स्वाद जो था, उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा हुआ है। पहली बार पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ का जो नाम है, वह खराब भी हुआ और खराब पद्धति से, खराब प्रक्रिया से और खराब तरीके से अगर कोई अधिकारी-कर्मचारी चुनकर आते हैं तो सामने देखने वाला व्यक्ति भी उसी नजर से उसको देखता है। इस मंडल के बन जाने से उन सबसे हम बचेंगे । यह हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी यह आया हुआ है और इसका भी श्रेय हमारी पार्टी को जाने वाला है और एक ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय को लेकर के, धन के अपव्यय को लेकर के और एक समरूपता लाने के लिए जो इस एक्ट को नए सिरे से यहां पर लागू किया है, वह हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

समय :

3.28 बजे

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चेयरमैन हैं और जो सदस्य हैं, चेयरमैन को भी सीधा-सीधा पोस्टिंग करने के बजाय अभिरुचि के माध्यम से या फिर स्वेच्छा से जो लोग अपने आप को प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी जरूर हों, लेकिन वे स्वेच्छा से इसमें सेवा देना चाहते हों, उनमें डिवोशन हो, खुद के मन से वे इस काम को करना चाहते हों, ऐसे व्यक्ति को आने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इसमें करने से निश्चित तौर पर इसकी जो गुणवत्ता है, वह बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं प्रशासनिक व्यवस्था में रहा भी हूं, इसलिए मुझे यह बात समझ में आती है कि कई बार लोग मानते हैं कि कुछ भेदभाववश हमको इस पद में भेज दिया गया है, उस पद में भेज दिया गया है, तो उससे बचने की जरूरत है। यह बन जाने के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर से भी बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी वे देखते हैं कि किसी जगह पर भर्तियां होने वाली हैं, तो कई लोग विधायकों के पास और जनप्रतिनिधियों के पास अपना रिकमेंड लेकर के पहुंच जाते हैं कि हमरो करवा दे न एकठन चलत हे इकर। क्योंकि शासकीय सेवा का जो चार्मिंग रहता है, वह भले फोर्थ क्लास का हो या तृतीय श्रेणी का हो, वह निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा रहता है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ, जैसा कि चंद्राकर जी ने कहा था कि कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को इसका मौका मिलना चाहिए। मैं उसी बात को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि इस अधिनियम के माध्यम से बस्तर और सरगुजा, दोनों संभागों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय भर्ती का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) इससे जन-कल्याण की जिस भावना के साथ हम काम

करने जा रहे हैं, उसे वास्तविक और मूर्त रूप दिया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया गया है। निश्चित तौर पर सदन और सरकार का मूल कार्य ऐसे विधेयक लाना ही है। आपने एक साथ तीन-तीन विधेयक लाया है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, यह अच्छी बात है, परंतु विधेयक में कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं, जैसा कि हमारे विद्वान सदस्य और आदरणीय भांजा जी ने भी उल्लेख किया है। विधेयक के अनुसार प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। चयन मण्डल को लेकर यह विधेयक लाया गया है। मण्डल का गठन करना तो सही है, लेकिन जैसा कि पूर्व में आपने विधेयक में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की व्यवस्था दी है। यदि यह मण्डल चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि या गड़बड़ी करता है तो उनके लिए कितने वर्ष की सजा या उनसे कितनी आर्थिक वसूली होगी, इसका इस विधेयक में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कमेटी द्वारा चयन में गलत भी किया जा सकता है और सही भी किया जा सकता है। यदि उनके द्वारा गलत होता है तो इस विधेयक में उसकी जवाबदेही तय नहीं की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चयन मण्डल का अध्यक्ष प्रमुख सचिव होगा, उसकी जांच किस स्तर पर होगी, इस विधेयक में यह भी जवाबदेही तय नहीं की गई है। हमने कई अवसरों में देखा है कि पूर्व में कई सरकारों के दौरान चयन प्रक्रियाओं में व्यापक स्तर पर त्रुटियां हुई हैं। ऐसी स्थिति में, जैसा कि व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए तीन साल की सजा और एक करोड़ रुपये की वसूली का प्रावधान है, वैसा ही इस विधेयक में भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। चूंकि आप चयन मण्डल का अध्यक्ष प्रमुख सचिव को बना रहे हैं और चयन प्रक्रिया प्रमुख सचिव के नियंत्रण में होगी, इसलिए यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि गड़बड़ी की स्थिति में जांच के लिए आवेदन कहाँ दिया जाएगा, सुनवाई कहाँ होगी और जांच की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सभी चीजें इस विधेयक में स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी विभागों की नियुक्तियां इसी चयन मण्डल के माध्यम से होंगी और नियुक्तियों की नीति भी यही मण्डल बनाएगा। अत: नीति ऐसी बननी चाहिए, जिससे केवल पात्र व्यक्ति ही चयनित हों और अपात्र व्यक्ति चयनित न हो। मेरा अनुभव कहता है कि नीति निर्धारण के मामले में उस कमेटी को अधिकार दे दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात, कुछ राज्यों में पुलिस बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इस चयन मण्डल के गठन के बाद पुलिस विभाग की भर्तियां भी इसी के माध्यम से की जाएंगी? पुलिस भर्ती के इतने दूरगामी परिणाम सामने

आए हैं। आज यदि बस्तर नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं वर्ष 2018 के पूर्व और पश्चात् हुई सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई है, वह उसी का परिणाम है। आज छत्तीसगढ़ में जो परिस्थिति है, कानून-व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है, कानून व्यवस्था और लॉ एण्ड आर्डर की जो परिस्थिति है तो पुलिस विभाग में सर्वाधिक भर्ती की आवश्यकता है । माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बतायेंगे कि पुलिस विभाग भी इसमें शामिल है कि नहीं है, मैं तीसरी बात यह बोलना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एस.टी.एस.सी. की सीधी भर्ती की प्रक्रिया व्यापक रूप से हुई थी । चौथी बात, माननीय सभापति महोदय, नियुक्ति के लिये कमेटी तो बन गई, लेकिन ढ़ाई साल हो चुके हैं, नियुक्ति की क्या परिस्थिति है, आप कितना परशेंट नियुक्ति कर रहे हैं, आप देखिये । कहीं ऐसा न हो जाये, कल अखबार में छपेगा, आज मीडिया में चलेगी, बेरोजगार भाई सोचेंगे कि अब तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के लिये कमेटी बन चुकी है । वह खुश होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कमेटी बनाना तो नियुक्ति प्रक्रिया की एक प्रारंभिंक तैयारी है, यह केवल मंच में न रह जाये, केवल भाषण में न रह जाये, अखबार में ही प्रकाशित न हो कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिये ऐसी कमेटी बनाई है, जिसमें नियुक्ति में कोई हेरफेर नहीं होगी । हेरफेर का कोई स्थान नहीं है, नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल प्रभावी ढंग से होगी, कितने पदों पर होगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह केवल विज्ञापन में सीमित न हो ।

श्री रामकुमार यादव :- ऐला छत्तीसगढ़ी में सरल भाषा में कइथे कि दिखाये के दांत आने अऊ खाय के दांत आने ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- तोर कोन से दांत हे रामकुमार ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मुख्यमंत्री जी, तृतीय वर्ग के जितने भी रिक्त पद हैं, या तो कमेटी बनाने में विलंब न हो, कमेटी बनेगी नहीं और उसके पहले तक की नियुक्तियां चालू नहीं होगी । आप कमेटी बनाने में ही 6 महीने ही लगा दिये । बेरोजगार तो 6 महीना ऐसे ही पीछे हो गये । भारतीय जनता पार्टी के मेरे पूर्व वक्ता सम्मानित विधायक जी बोल रहे थे, वह भी कलेक्टर रहे हैं, आरक्षण की बात बोल रहे थे, नियुक्तियों की बात हो रही थी । आरक्षण खत्म हो हम यह नहीं बोल रहे हैं, मैं लगभग आपके ही बात में आ रहा हूँ । आरक्षण पीछे दरवाज से खत्म किया जा रहा है या आरक्षण का लाभ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर नियुक्तियां होगी नहीं तो उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा ? जब नियुक्ति होगी, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक में माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले बजट सत्र में या कोई भी सत्र में जब आपके द्वारा चयन मंडल बनायेंगे, इन पदों में जिस पद के लिये आप बनाये हैं, उस पद में अगर भर्ती हो जायेगी, और अच्छी भर्ती होगी तो निश्चित रूप से धन्यवाद दूँगा ।

आप अच्छे नीयत से इस विधेयक को लाये हैं, लेकिन इसका परिणाम भी अच्छा आये तो मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद दूँगा । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी । (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय...।

सभापति महोदय :- नेता जी बोल रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, मैं पहले से नाम तो नहीं दिया था, फिर भी आपके पहले बोलना...।

सभापति महोदय :- नहीं, आपका अधिकार है, उतना आपका अधिकार है ।

डॉ.चरणदास महंत :- घबराईये मत, आपकी प्रशंसा ही करूँगा, आप घबराईए मत। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, आज सदन में विचार के लिए आया है, अच्छी बात है। मैं यहां कुछ बातों का उल्लेख भी करना चाहता हूं, मैं कुछ बातों के लिए आपको सावधान भी करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग दूध से जले हुए हैं, इसलिए छाछ को फूंक-फूंक कर पिएं। यह मेरा आपसे निवेदन है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकें, छत्तीसगढ़ के बच्चे निचले स्तर की शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकें, इसलिए आपने भी या अन्य मुख्यमंत्रियों ने जैसा-जैसा सोचा होगा, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हित में सोचा होगा और कहीं किसी कारण से अब मैं डायरेक्ट किसी को दोषी तो नहीं बनाना चाहता। मगर चाहूंगा कि आप...।

श्री अजय चंद्राकर :- यहां हाउस के अंदर बोलने में तो प्रिविलेज है। कोई न्यायालय काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, आप तो बोलिए। आप वह बाजू वाले के दबाव में भी मत रहिए। उस प्रिविलेज का इस्तेमाल कीजिए, अभी आप नेता प्रतिपक्ष हैं । आप कहां वह ढाई साल, पांच साल बोल रहे हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- (हंसी) आप जब यह मंडल का गठन कर रहे हैं तो क्या इसके बाद विभागों के माध्यम से जो तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के भर्ती होते हैं, उस भर्ती को समाप्त कर देंगे? या अभी कुछ साल और चलेगा? यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। CGPSC और व्यापम द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें आप लोग निजी परीक्षाओं को सब कुछ करने का ठेका दे देते हो, उसमें निजी संस्थाएं भाग लेती हैं, पेपर बनाने से लेकर परीक्षा के आयोजन तक, रिजल्ट बनाना, सूची तैयार करना, सब चीज उन्हीं के हाथ में रहता है। उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप शायद नहीं होता तो इसका नियंत्रण अब आने वाले दिनों में कैसा करना चाहते हैं, मैं उस बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस पर कैसे नजर रखेंगे, वह बात जरूर बता दिया जाए या आप बाद में बता दीजिएगा। चंद्राकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं उनकी भी प्रशंसा करते हुए बात कहूंगा। मगर उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूं, चंद्राकर जी, अभी कितने विश्वविद्यालय हैं, क्या किसी

विश्वविद्यालय में हमारे छत्तीसगढ़ का कोई VC बना है? जितने भी विश्वविद्यालय हैं। आप जो शंका व्यक्त कर रहे थे, हम अपने मंडल और सब IAS अधिकारियों को सौंप तो देते हैं और पेपर लीक कहां से हो जाता है, इसके बारे में ध्यान ही नहीं रखते। मैं ऐसा समझता हूं जहां से आपका पेपर बनने जाता है, जिसको आप ठेका देते हैं उन संस्थानों के ऊपर यदि आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह संस्थाएं लगातार ऐसी गलती कर सकती हैं, मैं करेंगी नहीं बोल रहा हूं, कर सकती हैं। सभापति महोदय, इसलिए विधेयक में मेरा सुझाव है, कर्मचारी चयन मंडल जो बन रहा है, उसका जो मुखिया हो, कम से कम छत्तीसगढ़ का ही निवासी हो। जिसे छत्तीसगढ़ की माटी का दर्द मालूम हो, पसीने की खुशबू मालूम हो, यहां के गरीबों के हालात मालूम हों। जब भी होता है बाहर से आ जाता है और छत्तीसगढ़ के बारे में अगर उसको कुछ मालूम नहीं है तो छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चों के प्रति उसका जो प्रेम है, वह कम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। एक पुरानी बात याद करा सकता हूं, जैसा कि चंद्राकर जी ने कहा, 2011 में PMT केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ था और जिसमें पूरे देश में बदनामी हुई थी। उसके कारणों की जांच आपने शायद नहीं की या आपने की होगी तो किसी को पता नहीं चला। तो ऐसी व्यवस्था भविष्य में न हो। मूल-चूल जो परिवर्तन करना है करिए। आपको छूट है। आपको जिसको रखना है, रखिये। मगर वह छत्तीसगढ़ का IAS हो, छत्तीसगढ़ में जन्मा हो, छत्तीसगढ़ में रहता हो, ऐसी बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अजय चंद्राकर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। उसके लिए कुछ-कुछ मामलों में मैं सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप सरकार में बैठकर सुझाव देते रहें। मेरी तो ईश्वर से यही कामना होगी कि अगली बार आप सरकार में आ जाएं और लगातार रोज मंत्रिमंडल की बैठकों में बैठा करें, ताकि वह सुझाव आप देते रहें। अब उसको ऊपर वाला सुनता है या नहीं सुनता है, यह तो मैं नहीं कह सकता। आपके कर्म और कुकर्म के ऊपर, ऊपर वाले क्या दृष्टि रखते हैं, वह मैं नहीं जानता। (हंसी) मगर मेरी मंशा है कि आप जैसे लोग यहां रहें और सुझाव दें। आपने सेवा नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात की। इन सब बातों का समर्थन करते हुए मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज 70-80 हजार कर्मचारी आउटसोर्सिंग से हैं। अब जब आपने उनको आउटसोर्सिंग में लिया है तो वहां ST, SC या जितने भी रिजर्वेशन हैं, उसका ख्याल ही नहीं रखा जाता है। ईश्वर के, लोगों के बच्चों के दिल में बहुत सारा दर्द है। वह रोते हैं, हड़ताल कर रहे हैं और आज भी बहुत सारे बच्चे हड़ताल में बैठे हुए हैं। एक जगह बनाई है-तूता। वहां महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वह भी आपके ही बच्चे हैं। वहां जो बैठे हैं, वह सब हम लोगों को आकर परेशान करते रहते हैं। वह रोते भी हैं और हम लोग उनका कुछ सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे हड़ताल पर हैं, वह लगभग सभी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। चाहे महतारी में काम कर रहे हों, चाहे जिसमें भी काम कर रहे हों। उनके बारे में आप विशेष ध्यान दीजिए। किसी मंत्री को जवाबदारी सौंपिये। भले ही कुछ लोगों के साथ जाये, अधिकारियों के साथ जाये और उनकी भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपने ऐसे समय में यह

विधेयक लाया है। आपके ढाई साल तो बीत गए हैं, लेकिन फिर भी यदि आप ढाई साल काम करना चाहें तो बहुत है। आप जो कानून यहां बना रहे हैं, उसका हमारे साथियों ने कोई खास विरोध नहीं किया है। मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और सभापति महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि यह विधेयक भी हम सर्वानुमति से ही पास करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो हम नेता प्रतिपक्ष जी व उनके पक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि सबने इस विधेयक पर सहमति दी है। द्वारिकाधीश जी, आपको जो आशंका है, यह सब संदेह आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। हम लोग जो कहते हैं, उसको करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) मात्र दो साल में करीब 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, हम बहुतों की भर्ती कर चुके हैं और इस चयन मंडल का भी गठन शीघ्र होगा। (मेजों की थपथपाहट) हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा-बेटियों के लिए चिंतित हैं। (मेजों की थपथपाहट) अधिक से अधिक जितना होगा, उतनी भर्ती करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख का पोस्टर चिपकाये और विधान सभा में जवाब आया 22 हजार का। ऐसा नहीं होगा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में हमारे युवा अपनी पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। शासकीय सेवा में युवाओं की भर्ती तथा इनके लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की दिशा में हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विभिन्न विभागों के 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है तथा परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतने को लेकर उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। पूर्व सरकार में पी.एस.सी. भर्ती परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार की जांच सी.बी.आई. को सौंपी गयी है और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की गयी है। सभापति महोदय, पिछली सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए दिखाये गये लचर रवैये का नुकसान युवाओं को झेलना पड़ा, उन्होंने सिस्टम पर भरोसा तो खोया ही, उन्हें आयु सीमा का भी नुकसान उठाना पड़ा। हमारी सरकार ने युवाओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में 5 साल की छूट भी प्रदान की है। (मेजों की थपथपाहट) हम इसी सत्र में लोक भर्तियों और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक लेकर आए हैं, जो पास हो चुका है। इसके माध्यम से भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और इनमें गड़बड़ी के प्रयास करने वाले तत्वों पर नकेल कसी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के इसी क्रम में आज हमने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 का प्रस्ताव किया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना बहुत शीघ्र की जाएगी।

सभापति महोदय, परीक्षाओं के बेहतर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से कई विभागों में तो पांच-पांच सालों तक एक बार परीक्षा हो पाती है। यह एक बड़ी समस्या थी जिसका समाधान अब इस विधेयक के माध्यम से होने वाला है। मंडल के गठित होने से हम न केवल हर साल परीक्षाएं आयोजित कर पाएंगे, बल्कि परीक्षाएं निर्धारित समय में भी होंगी। परीक्षार्थी के पास मंडल द्वारा उस साल होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर होगा, इससे परीक्षार्थियों को तैयारी करने में आसानी होगी। परीक्षाओं का शेड्यूल तय हो जाने से परीक्षाओं के प्रबंधन में एजेंसियों को भी आसानी होगी। प्रतिभागियों के पास एक नियमित शेड्यूल होने से वे न केवल निश्चिंत होकर तैयारी कर पाएंगे, बल्कि तैयारी के आकलन करने के अवसर उनके पास उपलब्ध होंगे।

माननीय सभापति महोदय, शासकीय सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के सामने अक्सर यह दुविधा होती है कि शासन के अनेक विभागों की वैकेंसी अलग-अलग समय पर निकलती हैं। इनमें से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कई ऐसे पद हैं, जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एक समान होती है। अब उम्मीदवार के सामने दिक्कत होती है कि अलग-अलग विभाग के पृथक-पृथक पदों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना पड़ता है। यह समय साध्य और दोहराव वाला काम है। हर विभाग की चयन प्रक्रिया अलग होती है, इससे संबंधित विभाग की चयन प्रक्रिया के मुताबिक प्रतिभागी को तैयारी करनी पड़ती है, जिससे शेष विभागों की परीक्षाओं की तैयारी में असर पड़ता है। हर बार अलग-अलग परीक्षा लेने का दबाव भर्ती एजेंसियों पर भी रहता है। अत्यधिक संसाधन खर्च होते हैं, इससे सार्वजनिक धन का भी अपव्यय होता है और इसमें एजेंसी को भी काफी वक्त लगता है, जिससे नियुक्तियों में विलंब हो जाता है। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए हमने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल गठित करने का निर्णय लिया है ताकि हमारे प्रतिभागियों को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ न्यायपूर्ण अवसरों का लाभ मिल सकेगा। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विभिन्न विभागों के साथ ही वैधानिक निकाय, मंडल, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थान भी सम्मिलित किए जाएंगे, जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिसूचित करेगी। मंडल द्वारा चयन प्रक्रिया का निर्धारण भी किया जाएगा। सरकार तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त चयन प्रक्रिया भी आयोजित कर सकेगी।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम तीन सदस्य होंगे। मंडल में सचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अधीन कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी माने जाएंगे। मंडल को यह शक्ति होगी कि वह संपूर्ण चयन प्रक्रिया या किसी भाग के संचालन का दायित्व किसी एजेंसी को भी सौंप सकेगी। भर्ती, चयन, परीक्षा संचालन के लिए पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, वित्त समिति का भी गठन किया जाएगा। मंडल

राज्य सरकार के समस्त विभागों के लिए अधिसूचित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आयोजित कर सकेगा। कर्मचारी चयन मंडल के दायरे में वैधानिक निकाय, मंडल, प्राधिकरण तथा ऐसे अन्य संस्थानों की भर्ती भी सम्मिलित होगी, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करेगी। मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मंडल द्वारा जब सभी विभागों की भर्ती सेवाएं एक-साथ आयोजित की जायेंगी तो बड़ी संख्या में पदों पर प्रत्येक वर्ष भर्तियां होंगी इससे युवाओं का मोटिवेशन भी बना रहेगा । (मेजों की थपथपाहट) परीक्षाओं में एकरूपता होगी, जिससे प्रतियोगी एकाग्रता से एक ही तरह की चयन प्रक्रिया के मुताबिक तैयारी कर सकेगा । नियमित रूप से परीक्षाओं का आयोजन भी हो सकेगा ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे युवा साथी विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार हैं । एक पारदर्शी न्यायपूर्ण वातावरण में हम उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करेंगे । यह विधेयक केवल परीक्षा प्रक्रिया को सरल और नियमित करने तक सीमित नहीं है । यह विधेयक दरअसल सिस्टम में उस भरोसे को वापस लाने का बड़ा काम है जो पिछली सरकार ने नष्ट कर दिया था । माननीय सभापति महोदय, भर्ती प्रक्रियाओं में किया गया भ्रष्टाचार युवाओं के सपनों को ही नहीं तोड़ता है, वह शासकीय सेवाओं में ऐसे तत्वों को शामिल कर देते हैं जिनका जनसरोकार नहीं होता और जो सिस्टम को ही भीतर से खोखला करने लगते हैं । हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है । हम हर परीक्षा पारदर्शिता से कराने संकल्पित हैं । (मेजों की थपथपाहट) हम भर्ती प्रक्रियाओं में शूचिता बनाये रखने के लिये सभी उपाय सुनिश्चित करेंगे । युवाओं के लिये अधिकतम अवसर प्रदान करने भी हमारा ऐसा ही प्रयास रहेगा, हमारे सभी युवा भाईयों को इसके लिये बहुत शुभकामनाएं, सभी सदस्यों का बहुत आभार । (मेजों की थपथपाहट) मैं एक-बार फिर विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस विधेयक को सहमति से पास करने का भी अभिमत दिया है और किसी भी तरह का माननीय सदस्य कोई संदेह में नहीं रहें । यह सरकार की कथनी और करनी में एकरूपता है । हम लोगों की नीति और नीयत स्पष्ट है । (मेजों की थपथपाहट) हम लोग छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बेटा-बेटियों के हित में जो भी अच्छा होगा वह करेंगे । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 22 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 22 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

सभापति महोदय :- श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पारित किया जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सर्वसम्मत करिये । वह सर्वसम्मत का अभिमत दे चुके हैं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मत पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

<u>अशासकीय संकल्पों को आगामी सत्र में लिया जाना</u>

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में क्योंकि आज अशासकीय दिवस है और 2 अशासकीय संकल्प भी हैं और आज क्योंकि सत्र का अंतिम दिवस है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह दोनों अशासकीय संकल्प को अगले सत्र में लिया जाये ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से एक बात आग्रह का करूं, वह जो बोल रहे हैं, मैं उसमें सहमत हूं । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कथनी और करनी वाली बात, हम वही करते हैं करके । माननीय सभापति महोदय, आसंदी से एक

घोषणा हुई थी कि मेरे दो अशासकीय संकल्प पिछले सत्र के हैं वह इस सत्र में रखे जायेंगे । वह तो आये ही नहीं और जो आज लगे हैं वह अगले सत्र के लिये शिफ्ट हो गये । (हंसी)

सभापति महोदय :- ठीक ।

समय
4.00 बजे

श्री केदार कश्यप :- क्योंकि दोनों जो अशासकीय संकल्प हैं, उसके जो भारसाधक मंत्री हैं, वह आज सदन में नहीं हैं इसलिए मैंने इस बात का आग्रह किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ। मेरा एक विषय है। मैं इधर-उधर की बात नहीं बोल रहा हूँ, आप जैसा कहें। आपको यह अधिकार है कि हम किसी भी दिन को अशासकीय दिवस घोषित कर सकते हैं।

श्री केदार कश्यप :- हम अगली बार कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एकाध बार इसका प्रयोग कीजिए यदि आखिरी दिन होता है तो बीच में किसी भी दिन को रोककर, हम अशासकीय दिवस करवायें।

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित दोनों अशासकीय संकल्प आगामी विधान सभा सत्र में लिये जाएंगे, मैं समझता हूँ कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

<u>समितियों का निर्वाचन एवं नाम-निर्देशन</u>

सभापति महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए नौ-नौ उम्मीदवारों के ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। चूंकि पांचों समिति हेतु नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित होना है। अत: मैंने इन समितियों के लिए प्राप्त नाम-निर्देशन प्रपत्र अनुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों में प्रावधान के अनुसार मैंने नाम-निर्दिष्ट समितियों के लिए भी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट कर दिया है तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति हेतु नियमानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए समिति का कार्यकाल निर्धारित है अत: मैंने इस समिति में भी

वित्तीय वर्ष 2026-2027 एवं वर्ष 2027-2028 की अवधि हेतु सेवा के लिए सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट कर दिया है।

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैंने इन समितियों के सभापति को भी नियुक्त कर दिया है।

उक्त समितियों के सभापति एवं सदस्यों की जानकारी पत्रक भाग-दो के माध्यम से पृथक से सदस्यों को जानकारी दी जायेगी।

सत्र समापन

सभापति महोदय :- माननीय सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी माननीय सदस्यगण जैसा कि आप सब अवगत हैं कि इस बजट सत्र में माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय अपने स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हो पाएं, किन्तु बजट सत्र की सभी बैठकों का उन्होंने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधनों से सदन की कार्यवाही का निरन्तर अवलोकन किया और सभा के संचालन के संदर्भ में उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। आज इस सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेषित संदेश के वाचन के पूर्व मैं आप सभी पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगणों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सभापति के रूप में मुझे कार्य करने में आप सभी ने अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया। आपके सहयोग और मार्गदर्शन से ही मैं सभापति के दायित्वों को निर्वहन कर सका।

माननीय विधान सभा अध्यक्ष द्वारा प्रेषित संदेश का वाचन

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के अष्टम् सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह बजट सत्र **23 फरवरी, 2026 से 20 मार्च, 2026** के मध्य आहूत था। नवीन विधानसभा भवन में यह प्रथम बजट सत्र था और यह हमारे लिए उपलब्धि है कि इस सत्र में पूर्व निर्धारित समस्त संसदीय कार्य सफलतापूर्वक संपादित हुए। इस बजट सत्र की अवधि में मैं अपनी शारीरिक अस्वस्थ्यता के चलते प्रारंभिक दिवस को छोड़कर लगभग शेष कार्य दिवसों में उपस्थित नहीं रह सका। इसका मुझे आत्मिक रूप से खेद है, परन्तु मेरा मन, पूरा ध्यान सभा के कार्यों पर केंद्रित था इसलिए तकनीकी संचार माध्यमों से मैं इस सदन की कार्यवाही से निरंतर जुड़ा रहा। बजट सत्र के दौरान सदन के सुव्यवस्थित संचालन में जिस तरह आप सभी ने सभा के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग प्रदान किया, यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के श्रेष्ठ संसदीय संस्कारों को प्रतिबिंबित और परिभाषित करता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं आप सभी माननीय सदस्यगणों के प्रति हृदय की गहराईयों से कृतज्ञता व्यक्त

करता हूँ (मेजों की थपथपाहट) और ईश्वर से कामना करता हूँ कि संसदीय सदन एवं सदन की व्यवस्थाओं के प्रति आपके हृदय में सम्मान का भाव सदैव शाश्वत् और जागृत बना रहे। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉ. चरणदास महंत जी, संसदीय कार्यमंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगणों सहित आप सभी माननीय सदस्यों को मैं इस सत्र के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर अपनी ओर से बधाई देता हूँ । विशेषकर सभापति तालिका के सदस्य, वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री विक्रम उसेंडी जी, माननीय सदस्य श्री प्रबोध मिंज जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, श्री दलेश्वर साहू जी आप सभी ने सभापति की भूमिका का दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहित किया। इस अवसर पर एक विशेष बात का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित, वरिष्ठ सदस्यगणों ने सदन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभापति के दायित्व को निर्वहन करने के लिए उदारतापूर्वक अपनी सहमति और सहयोग दिया। उनके इस व्यवहार से छत्तीसगढ़ विधानसभा की उच्च संसदीय भावना को और अधिक मजबूती मिली है। प्रदेश और देश में यह संदेश गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य सदन की गरिमा, व्यवस्था और प्रतिष्ठा के निरन्तर संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के समग्र पहलूओं पर आप सभी ने व्यापक सारगर्भित चर्चा की । मुझे यह विश्वास है कि इन चर्चाओं से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में छत्तीसगढ़ के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज देश और अन्य विधानसभाओं में संसदीय मूल्यों की स्थापना के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है । ऐसी विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के पालन की दिशा में जो अनवरत कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है, वह अपने आप में न केवल अद्वितीय है, बल्कि मैं समझता हूँ अनुकरणीय भी है। (मेजों की थपथपाहट)

इस सत्र में देश के उच्च सदन राज्य सभा के लिए दो माननीय सदस्यों का निर्वाचन हुआ, मैं माननीया श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी एवं माननीया श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर अपनी तथा सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में संसदीय सहृदयता का भाव आप माननीय सदस्यों के कार्य, विचार और व्यवहार से निरंतर मजबूत हो रहा है। पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्य भी अब संसदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्णतः निपुण हो चुके हैं। उदाहरण के लिए श्रीमती भावना बोहरा, श्री सुशांत शुक्ला, श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री अटल श्रीवास्तव, श्रीमती शेषराज हरवंश जी जैसे अनेक सदस्य हैं जो, सदन में किसी भी विषय पर सारगर्भित ढंग से अपने विचारों को सदन में रखते आ रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) वरिष्ठ सदस्यगण माननीय श्री अजय

चन्द्राकर, माननीय श्री भूपेश बघेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद ने भी अपने अनुभव और ज्ञान से सदन की कार्यवाही को प्रभावी बनाने में महती भूमिका निभाई है।

प्रथम बार चुनकर आए भारसाधक मंत्रिगण और वरिष्ठ मंत्रीगणों ने पूर्ण कुशलता के साथ अपने विभागों का नेतृत्व किया । मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों का योगदान प्रशंसनीय है विशेषकर संसदीय कार्यमंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में सदन के निर्बाध संचालन को बेहतर समन्वय के साथ सुनिश्चित किया। मैं उनके इस योगदान की सराहना करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस सत्र में प्रश्नकाल का आप सभी माननीय सदस्यों ने प्राप्त अवसर का भरपूर लाभ लिया। प्रश्नकाल वह हथियार है जिसमें सदस्य सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। मैं बताना चाहूंगा कि इस सत्र में प्रश्न की महत्ता को देखते हुए माननीय अजय चन्द्राकर जी के एक प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा भी हुई और इस चर्चा में उन्होंने जो तथ्य रखे, मैं समझता हूँ वे तथ्य छत्तीसगढ़ के इतिहास के अनमोल ज्ञान धरोहर बनेंगे।

आप माननीय सदस्यगणों से मेरा यह आग्रह है कि सदन की गरिमा और मर्यादा दोनों आपके कार्यकरण पर ही निर्भर है। जितना आप इस सदन की गरिमा का ध्यान रखेंगे उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा। मैं नवोदित माननीय सदस्यगणों और वरिष्ठ माननीय सदस्यगणों दोनों से ही अनुरोध करता हूँ कि सदन की परम्परा और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए आप गम्भीर हों। आपका यही गुण आप में संसदीय परिपक्वता ला सकता है।

आप माननीय सदस्यों से मेरा यह भी आग्रह है कि अपने संसदीय ज्ञान को विस्तार देने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहें। विधानसभा के पुस्तकालय और संदर्भ शाखा का उपयोग करें। अपने वरिष्ठजनों से परामर्श लें क्योंकि किसी भी विषय पर आपका अध्ययन और जानकारी जितनी अधिक होगी, आप उतने ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रख सकेंगे और आपके इस कार्य से निश्चित ही सदन में न केवल इससे चर्चा का स्तर बढ़ेगा, अपितु चर्चा परिणाम मूलक भी होगी। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट सत्र में माननीय सदस्यगणों में लगभग 320 पृष्ठ पुस्तकालय साहित्य संदर्भ उपलब्ध कराया गया। मेरी अपेक्षा है यह संख्या निरन्तर बढ़ती रहे।

माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों की मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि आपने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का कुशलता से निर्वहन कर लोकतन्त्र में सजग सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका को अपने कार्य, विचार और व्यवहार से सिद्ध किया है। (मेजों की थपथपाहट) यह बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। आप माननीय सदस्यगणों की जनकल्याण के प्रति आपकी वचनबद्धता इस सत्र में स्पष्ट रूप से नजर आयी। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप माननीय सदस्यगणों ने पक्ष प्रतिपक्ष के भाव से ऊपर उठकर, जनकल्याण को सर्वोपरि समझा।

इस बजट सत्र में राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग 2384 छात्र-छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया यह परम्परा आने वाले सत्रों में भी बनी रहे इसके लिए आप माननीय सदस्यगण प्रयास करेंगे।

विधानसभा लोकतन्त्र का पावन मंदिर है। लोकतान्त्रिक मूल्यों को मजबूती देना ही विधानसभा का मुख्य दायित्व है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस बजट सत्र में माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगभग 585 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया। (मेजों की थपथपाहट) इस कार्य से राज्य और देश में यह संदेश स्थापित हुआ कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार समाज के दिगभ्रमित युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। इसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य की आन्तरिक सुरक्षा, शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस प्रेरणास्पद कार्य के लिए मैं माननीय श्री विजय शर्मा और उनके विभाग के सम्बद्ध जनों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

परम्परा अनुसार बजट सत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 17 मार्च से 19 मार्च 2026 को विधानसभा चिकित्सालय में किया गया। इस हेतु मैं स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन को अपनी ओर से और सदन की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

इस सत्र में संसदीय कार्यों, वित्तीय कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सम्पन्न किए गए। जिनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक-2026, छत्तीसगढ़ नगर ग्राम निवेश विधेयक-2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक-2026 जैसे विधेयक सदन में प्रस्तुत हुए और उनका पारण हुआ।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र के 26 दिवसों में कुल 15 बैठकों में लगभग 108 घंटे चर्चा हुई। 14 बैठकों में 86 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस सत्र में 1495 तारांकित प्रश्न एवं 1429 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 2924 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 603 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 220 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। इस सत्र में कुल 244 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुईं। शून्यकाल की 137 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 40 सूचनाएं ग्राह्य और 31 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में 370 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं, जिनमें 115 ग्राह्य व 228 अग्राह्य रही। 31 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें 07 अशासकीय संकल्प ग्राह्य हुए तथा 01 संकल्प स्वीकृत हुआ एवं 24 अस्वीकृत हुए। इस सत्र में 08 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और 08 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 08 पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक अनुमान पर सामान्य चर्चा में 09 घंटे 58 मिनट, वर्ष 2026-27 के बजट की अनुदान मांगों पर 47 घंटे 04 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 06 घंटे 49 मिनट चर्चा हुई।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधानसभा के सचिव, श्री दिनेश शर्मा सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। आगामी सत्र जुलाई माह के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह के मध्य संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ । (मेजों की थपथपाहट) **धन्यवाद । जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़**

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, आज बजट सत्र का समापन हो रहा है और यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें कई महत्वपूर्ण काम निपटाए। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता पूरे सदन ने प्रकट किया। बजट भी पास किए। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को भी सत्र में पास किए। परीक्षा में अनुचित साधन रोकने और कर्मचारी चयन मंडल जैसे विधेयक को सर्वसम्मति से पास किए और इस सत्र में जो पुनर्वासित नक्सली हैं, वे भी भारी संख्या में विधान सभा देखने के लिए आए और देश की संविधान पर और विकास की मुख्यधारा से वे जुड़े। मैं सबसे पहले तो विधान सभा अध्यक्ष आदरणीय डॉ. रमन सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो

अस्वस्थता के बावजूद डिजिटल रूप से सदन की कार्यवाही की चिंता करते रहे और उनकी अनुपस्थिति में आपने सभापति के रूप में और अपने पुराने अनुभव के आधार पर इस सत्र का बहुत ही अच्छे से संचालन किया है। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। हमारे सिक्योरिटी के अधिकारी-कर्मचारी, हमारे विधान सभा के अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं का भी बहुत-बहुत आभार है, जो यहाँ की बातों को जनता तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। अंत में जितने भी सदस्य सभापति के रूप में आसंदी पर बैठकर सभा के संचालन में सहयोग दिए हैं, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत जी। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, आज इस नई विधान सभा के प्रथम बजट सत्र का समापन हो रहा है। आपने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चूँकि आपने माननीय अध्यक्ष जी का संदेश पढ़कर सुनाया है और आपने हमें विश्वास दिलाया है कि अध्यक्ष जी हमें देख रहे हैं। अतः मैं कुछ बातें उन्हें समर्पित करते हुए उन्हीं को सुनाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके बिना यहाँ मन नहीं लग रहा था। हालांकि हम लोग यहां नियमित रूप से आते रहे और हम लोगों ने सभी कार्यक्रमों में भाग लिया है। वैसे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी ने आपकी कमी नहीं होने दी क्योंकि अधिकतर सदस्य यहां उन्हें अध्यक्ष जी के नाम से कई बार संबोधित कर गए। वैसे ही हमारे पूर्व विधान सभा उपाध्यक्ष श्री धर्मजीत सिंह जी ने भी पूरे सदन का ध्यान रखा और वे आपकी कमी को पूरी करते रहे। इन दोनों ने हमें यह आभास ही नहीं होने दिया कि आप सदन में उपस्थित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके बिना यहाँ दिल नहीं लगता था। इसलिए मुझे यह कहना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपके साथ व्यवहार करता हूं। आपके, हमारे और इनके जमाने का भी एक गीत है कि 'यह दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें'। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय कौशिक साहब ने भी आपकी ही तरह हम सबको बहुत प्यार दिया और विपक्ष की भावनाओं का ख्याल रखा, उसके लिए मैं उन्हें विशेष धन्यवाद देता हूँ। श्री धर्मजीत सिंह जी ने भी वही शांत भाव से हम सबकी बातें बखूबी सुनीं। जहाँ तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात है, जैसा कि उनका नाम विष्णुदेव है। जैसे हम लोग फोटो में देखते हैं कि विष्णु भगवान सदैव शेष शैय्या में आनंदित भाव में विराजमान रहते हैं और लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही हैं। वैसे ही वे आनंदित भाव से सदन को संचालित करते हैं। यद्यपि उन्होंने सदन में उपस्थिति कम दी, लेकिन जब भी वे सदन में आए तो उनका वही शांत स्वभाव और विशेष स्नेह सदन को मिलता रहा। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। सभापति महोदय, आपने श्री अजय चंद्राकर जी के प्रश्न को उद्धृत करते हुए बताया है कि उन्होंने यहां

आधा घंटा का प्रश्नकाल लिया। आज मैंने उसे तोड़ने की या वहां तक पहुंचने की कोशिश की तो चन्द्राकर जी ही उसमें बाधा बनें। (हंसी) और मुझे आधे घण्टे के प्रश्न काल का समय नहीं लेने दिया गया, इसका मुझे दुख है और आने वाले समय में आप इस बात का ख्याल रखेंगे । आपसे और केदार कश्यप जी से एक गुजारिश है कि सत्र के दिनों में इस बार बहुत कटौती हो गई, ऐसा लगा नहीं कि यह बजट सत्र है । हम लोग दस बजे तक बैठे, पौने नौ बजे तक बैठे, हमारा कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि इस सत्र को छोटा करें । मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आने वाला सत्र कुछ लम्बा हो और इसमें आपकी भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी । एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने शुभ नवरात्रि के दिन, हिन्दू नव-वर्ष के दिन हम सब लोगों को यहां बुलवा लिया । हमारे लोग भी नवरात्रि की बहुत पूजा करते हैं, सभी हिन्दू धर्म के हैं, मैं किसी धार्मिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लोक सभा के लोगों को तो समझ में आ गया कि उन्होंने आज और कल की छुट्टी दे दी है और आपने नहीं दी है, इसका थोड़ा दुख है । हमें अपने आने वाले समय में धार्मिक कार्यों को, पूजा पाठ के कार्यों को, आप पूरा करने का अवसर देंगे । मैं यही कहना चाहता हूँ । सभापति महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जिसमें सदन के साथियों से माफी मांगते हुये कहना चाहता हूँ, आप भी अनुभव किये होंगे, मैं भी अनुभव करता था, भाई धर्मजीत भी किये होंगे, अभी तक हम ढ़ाई साल गुजार लिये, लेकिन हमारे सदन का जो प्रशिक्षण हैं, सद्व्यवहार का, सदाचरण का, वह अभी पूरा नहीं हो पाया है । वह हमारे व्यवहार में झलकना चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि एक दिन का प्रशिक्षण शिविर और रख दें । हम सदन में कैसे व्यवहार करें, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, वरिष्ठ साथियों के साथ, सदन के भीतर कितनी तेजी से और कितने गुस्से से हमें बोलना चाहिये, कई बार इधर से भी गलतियां हुई है और उधर से भी गलतियां हुई है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ । यहां 51-51 सदस्य नये हैं, मैं इसलिये प्रार्थना करता हूँ कि उसको इस प्रकार का आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं लगे कि कुछ कमी है और प्रशिक्षण नहीं किया है । ढ़ाई साल गुजर गये हैं । सभापति जी, मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, यहां हम सब के बीच में जरूर लड़ाइयां होती है, लेकिन भोजन कक्ष में हमारे अधिकतर सदस्य आपस में गपियाते रहते थे । यहां उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है कि उसके लिये दोनो तरफ के लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नया भवन है, अच्छा लगा । हमारे क्षेत्र के बहुत लोग नये विधान सभा भवन में घूमने आये, देखने आये, फोटो खिंचाते रहे और मुग्ध होकर गये हैं, इन सब के लिये जो सचिव महोदय दिनेश शर्मा जी और यहां के सभी सचिवालयीन कर्मचारियों ने जो व्यवस्था किये हैं, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । सभापति महोदय, सुरक्षा कर्मियों की जरूरत तो नहीं पड़ी है, मगर सुरक्षा कर्मी और यहां के पुलिस वाले जो आये थे, उनका धन्यवाद करता हूँ और सचिव महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी है, उनको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा । आप आने वाले सत्र में ख्याल रखियेगा । हमारे पत्रकार साथियों को धन्यवाद, टी.वी.चैनल के जो

साथी आये थे और इंटरव्यू लेते थे, उनको भी धन्यवाद । वह भी मन में थोड़ी पीड़ा लेकर जाते रहे हैं कि हमको दूर कर दिया गया है । खैर, जल्दी में यह सत्र हुआ है, नया भवन बना है, ऐसा हो गया होगा। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इन सब कमियों को पूरा करेंगे। आपने, सबने जो यहां के अच्छे वातावरण में आज के समापन के अवसर पर हमें एक दूसरे की बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय हमारे पक्ष-प्रतिपक्ष के समस्त सदस्यगण। आज इस नई विधानसभा में बजट सत्र के इस समापन अवसर पर सत्र के सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, जब उन्होंने बजट सत्र के शुरुआती दिनों में इस बजट सत्र की शुरुआत की और स्वास्थ्यगत कारणों से वह बजट सत्र के बाकी दिनों में अनुपस्थित रहे। हम चाहेंगे कि पूरा सदन उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करे और जल्द से जल्द उनके निर्देश पर हमारी ये विधानसभा फिर से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करे। माननीय सभापति महोदय, आपने भी पूरी दृढ़ता के साथ इस विधानसभा में अपनी भूमिका अध्यक्षीय कार्य का निर्वहन किया, आपके अनुभव का लाभ हम सबको मिला, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में सभा के सुव्यवस्थित संचालन में संसदीय कार्य मंत्री के नाते ये एक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि विपक्ष कई बार नाराज होकर चले जाते हैं, कई बार बहिर्गमन करके चले जाते हैं तो उनको मनाना पड़ता है लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि इस बार आप बहुत कम रूठे, बाजू वाले ज्यादा रूठे मुझे ऐसा लगा । आगे आपका सहयोग और मिले लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में, क्योंकि कार्य के व्यवस्थित संचालन करने में चुनौती होती है, उसमें आपका सहयोग, हमारे पक्ष-विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों का जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि बजट सत्र हर मायने में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए, अनेक विषयों पर जो व्यापक चर्चा होती है, उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सत्र होता है। माननीय सभापति महोदय, आपके अनुभवों का लाभ मिला। उसके साथ-साथ हमारे सभापति तालिका के जो सम्मानित सदस्यगण हैं, आदरणीय धर्मजीत जी, आदरणीय विक्रम उसेंडी जी, आदरणीय लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय दलेश्वर साहू जी, आदरणीय प्रमोद मिंज जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सभा के सुव्यवस्थित संचालन में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया। सभापति महोदय, मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी मंत्रीगणों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जवाबदेही के साथ सरकार का पक्ष रखा। हमारे माननीय नेता

प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी सदस्यगणों ने जो सरकार को सकारात्मक सुझाव दिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अलावा मैं राज्य शासन के मुख्य सचिव और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को विशेष तौर पर सबने इस सत्र के व्यवस्था में सामूहिक सहयोग दिया, मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूरी सत्र के सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा जवान हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों का भी विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने पूरे सदन की कार्यवाही से पूरे प्रदेश की जनता को अवगत कराया। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।

अटल है संकल्प हमारा, नव इतिहास बनायेंगे,

छत्तीसगढ़ की गरिमा-गौरव को बुलंदियों तक पहुंचायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद व बहुत-बहुत आभार। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- अब राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम्'' और उसके पश्चात् ''राष्ट्रगान'' होगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

<u>राष्ट्रगीत/राष्ट्रगान</u>

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" एवं राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई)

सभापति महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित।

(सायं 4 बजकर 40 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 20 मार्च, 2026